ISSN-0971-8397

योजना

अक्तूबर 2008 विकास को समर्पित मासिक मूल्य : 10 रुपये

स्त्री अधिकारिता

घरों/उद्योगों में आग अधिकतर घटिया सॉकेटों, प्लगों और तारों के कारण लगती है

हमेशा केवल IS : .... CM/L-___ मुहर लगे सॉकेट, प्लग और तारों का ही इस्तेमाल करें।
यह आग के खतरों से आपकी रक्षा करते हैं।

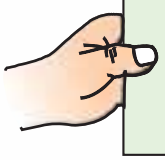

IS : ___ CM/L-___ मुहर का दुरुपयोग दंडनीय अपराध है तथा भा. मा. ब्यूरो अधिनियम 1986 के तहत दंडनीय है।

भारतीय मानक ब्यूरो
मानक भवन, 9, बहादुरशाह ज़फर मार्ग,
नई दिल्ली–110002
वेबसाइट : **www.bis.org.in**

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग,
भारत सरकार
www. fcamin.nic.in पर लॉग ऑन करें।

अपनी उपभोक्ता संबंधी सभी जानकारियों और मार्गदर्शन के लिए टोल फ्री नेशनल कन्ज़्यूमर हेल्पलाइन नं. 1800–11–4000 (बीएसएनएल/एमटीएनएल लाइनों से प्रातः 9.30 से सायं 5.30 के बीच सोमवार से शुक्रवार) और 011–27662955, 56, 57, 58 (सामान्य काल शुल्क) पर संपर्क करें।

davp 08101/13/0059/0809

IS : .... CM/L-___ है गुणता, विश्वसनीयता और सुरक्षा की मुहर

YH-10/08/02

योजना

वर्ष : 53 • अंक : 10 अक्तूबर 2008 आश्विन-कार्तिक, शक संवत 1930 कुल पृष्ठ : 68

प्रधान संपादक
एस.बी.शरण

वरिष्ठ संपादक
राकेशरेणु

संपादक
रेमी कुमारी

संपादकीय कार्यालय
538, योजना भवन, संसद मार्ग,
नयी दिल्ली-110 001
दूरभाष : 23096738, 23717910
टेलीफैक्स : 23359578
ई-मेल : exeed.yojana@gmail.com
yojanahindi@gmail.com
वेबसाइट : www.yojana.gov.in
www.publicationsdivision.nic.in
a) dpd@nic.in
b) dpd@hub.nic.in

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
एन.सी. मजूमदार

सहा. व्यापार व्यवस्थापक (प्रसार एवं विज्ञापन)
बी.डी. प्रसाद
दूरभाष : 26100207, 26105590
फैक्स : 26175516
ई-मेल : pdjucir_icm@yahoo.co.in

आवरण : **रीना शर्मा**

इस अंक के फोटो स्वयंसेवी संगठन 'आलोचना' से साभार

इस अंक में

संपादकीय	-	5
आर्थिक संकेतक	-	6
सशक्त स्त्री सशक्त देश	प्रतिभा देवी सिंह पाटिल	7
रेणुका चौधरी से साक्षात्कार : आत्मसम्मान में निहित है शक्ति और सामर्थ्य	एस.बी. शरण	9
मुस्लिम महिलाओं के साथ इंसाफ	सैयदा हमीद	13
महिला सशक्तीकरण : कुछ विचार	किरण बेदी	15
पंचायतों के माध्यम से महिला सशक्तीकरण	अरविंद कुमार	17
अर्थव्यवस्था में महिलाओं की स्थिति	संगीता कुमार	19
सशक्तीकरण के भारतीय संदर्भ	सरोज कुमार वर्मा	23
स्वयंसिद्धा: हम होंगे कामयाब	संतोष यादव	28
सफ़ाई मज़दूरी से अधिकारिता का सफ़र	प्रज्ञा पालीवाल गौर	30
बिखरने न दें अस्तित्व	ऋतु सारस्वत	32
कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम	उमेश चंद्र अग्रवाल	35
महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण	विजयलक्ष्मी	40
जहां चाह वहां राह : जैविक खेती में स्वावलंबन	अनिल प्रकाश	43
क्या आप जानते हैं? : यौन प्रताड़ना	-	47
गांधी की आर्थिक दृष्टि	कन्हैया त्रिपाठी	48
बुजुर्गों के लिये कल्याण योजनाएं	प्रतापमल देवपुरा	51
झरोखा जम्मू-कश्मीर का	-	53
ख़बरों में	-	55
स्वास्थ्य चर्चा : गुणों की खान शहद	प्रेमलता मौर्य	57
मंथन : समझें अपनी प्रकृति	रमेश प्रसाद गुप्ता	61
नये प्रकाशन : इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अस्तित्व का आईना	अनामिका	62

योजना हिंदी के अतिरिक्त असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, उड़िया, पंजाबी, तेलुगु तथा उर्दू भाषाओं में भी प्रकाशित की जाती है। पत्रिका मंगवाने हेतु, नयी सदस्यता, नवीकरण, पुराने अंकों की प्राप्ति एवं एजेंसी आदि के लिये मनीआर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर 'निदेशक, प्रकाशन विभाग' के नाम से बनवा कर निम्न पते पर भेजें : व्यापार व्यवस्थापक (प्रसार एवं विज्ञापन), प्रकाशन विभाग, ईस्ट ब्लाक IV, लेवल VII, आर.के. पुरम, नयी दिल्ली-110066 दूरभाष : 26100207, 26105590, तार : सूचनाप्रकाशन।

सदस्य बनने अथवा पत्रिका मंगाने के लिये आप हमारे निम्नलिखित बिक्री केंद्रों पर भी संपर्क कर सकते हैं :- सूचना भवन सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003 (दूरभाष : 24367260, 5610), हाल सं. 196, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054 (दूरभाष : 23890205) * 701, सी- विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर, नवी मुंबई-400614 (दूरभाष : 27570686) * 8, एसप्लानेड ईस्ट, कोलकाता-700069 (दूरभाष : 22488030) * 'ए' विंग, राजाजी भवन, बंसल नगर, चेन्नई-600090 (दूरभाष : 24917673) * प्रेस रोड नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट, तिरुवनंतपुरम-695001 (दूरभाष : 2330650) * ब्लॉक सं-4, पहला तल, गृहकल्प, एमजी रोड, नामपल्ली, हैदराबाद-500001 (दूरभाष : 24605383) * फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला, बंगलुरु-560034 (दूरभाष : 25537244) * बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ, पटना-800004 (दूरभाष : 2683407) * हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, सेक्टर-H, अलीगंज, लखनऊ-226024 (दूरभाष : 2225455) * अंबिका कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, पाल्दी, अहमदाबाद-380007 (दूरभाष : 26588669) * के.के.बी. रोड, नयी कॉलोनी, मकान संख्या-7, चेनीकुटी, गुवाहाटी-781003 (दूरभाष : 2665090)

चंदे की दरें : वार्षिक : 100 रु. **द्विवार्षिक :** 180 रु.; **त्रैवार्षिक :** 250 रु.; **विदेशों में वार्षिक दरें : पड़ोसी देश:** 500 रु.; **यूरोपीय एवं अन्य देश :** 700 रु.

'योजना' में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। ज़रूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिये 'योजना' उत्तरदायी नहीं है।

आपकी राय

झरोखा जम्मू-कश्मीर का

अंक पढ़ा। पढ़कर मन अत्यंत हर्षित हुआ कि *योजना* देश व समाज की ज्वलंत समस्यायों को यथोचित ढंग से देश की जनता के सामने प्रस्तुत कर समाधान के साथ-साथ विभिन्न बुद्धिजीवियों के लेख व विचार प्रकाशित कर सामाजिक सौहार्द व भाईचारे को बढ़ावा देती है। 'झरोखा जम्मू-कश्मीर का' पढ़कर मालूम हुआ कि कश्मीर में मुसलमान भाइयों ने अमरनाथ यात्रियों को भोजन, आवास व लंगर उपलब्ध कराकर एकता की मिसाल प्रस्तुत की है।

आज भारत के अनेक राज्यों में जातिवाद, अलगाववाद की आग भड़क रही है। देश आतंक के साये से जूझ रहा है। ऐसी विकट स्थिति में कश्मीर में मुसलमान भाइयों का यह प्रेम देश के उन तमाम लोगों के लिये एकता का सशक्त उदाहरण है, जो देश में सांप्रदायिक दंगे व अलगाववाद को पनाह दे रहे हैं। *योजना* से, मुझे पूर्ण आशा व विश्वास है कि इसी तरह देश के अन्य स्थानों से जीवंत मिसालों को सामने रखेगी तथा लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी और देश में लोकतंत्र को सच्चे अर्थों में कायम व मज़बूत करेगी।

अश्विनी कुमार पांडेय
चिरीमिरी, छत्तीसगढ़

मधुबनी चित्रकला की जानकारी

नेपाल के इतिहास और वर्तमान पर पर्याप्त सामग्री से पड़ोसी देश के विभिन्न पहलुओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। पत्रिका में ऐसे लेख चिंतन की उपादेयता सिद्ध करते हैं। भविष्य में यदि *योजना* में मधुबनी चित्रकला के आर्थिक आयाम पर वृहद विश्लेषण प्रकाशित करें तो मिथिलांचल के सांस्कृतिक, आर्थिक अंतरसंबंधों की स्थिति स्पष्ट होगी।

प्रशांत कुमार मिश्रा
मधुबनी, बिहार

ग्रामोत्थान को समर्पित

अगस्त अंक बहुत ही सारगर्भित और समीक्षात्मक रहा। यदि पत्रिका का शीर्षक 'नरेगा एक मूल्यांकन' होता तो पत्रिका के कलेवर में चार चांद लग जाता। वैसे भी गोपीनाथ घोष ने भ्रष्टाचार का जो चेहरा उभारा है वह किसी दूसरे साक्ष्य का मोहताज नहीं है कि कैसे नरेगा जैसे कल्याणकारी कार्यक्रमों को हाशिये पर रखकर भ्रष्टाचार की लूटखसोट मची है।

अपनी अनेक उपलब्धियों के बावजूद नरेगा आज भी विकास की बुनियादी संरचना के निर्माण में असफल है, वंचित पायदान पर खड़े लोग इसके लाभ से कोसों दूर हैं, दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन की प्रवृत्ति जारी है, स्थायी रोज़गार का संकट पूर्ववत खड़ा है, आर्थिक विकास के संरचनात्मक परिवर्तनों में जंग मची हुई है।

वृक्षारोपण और जल प्रबंधन के लिये जो भी प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं वे पारदर्शी प्रबंधन के अभाव में अपेक्षित सफलता से वंचित हैं। वृक्षारोपण की मुहिम को जानवरों की छूट चरती जा रही है। कृषि पर बढ़ती जनसंख्या का दबाव एवं सघन बेरोज़गारी की समस्या को सुलझाने के लिये नरेगा का विस्तार जिन 596 जिलों तक किया गया है वहां अभी तक यह निश्चित नहीं किया जा सका है कि उनकी समस्या क्या है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश जैसे कृषि प्रधान व श्रमाधिक्य वाले राज्यों में नरेगा की क्रियाशीलता जिस क़दर मूल्यांकन के कटघरे में खड़ी है उससे इसकी सफलता बहुत ही संदिग्ध है।

अत: नरेगा की सफलता के लिये आवश्यक है कि नदियों की सफ़ाई, पर्यावरण प्रबंधन, सार्वजनिक भूमि, सड़कों एवं रेलवे की फ़िज़ूल पड़ी ज़मीन पर वृक्षारोपण, बागवानी एवं तालाब खुदवाकर मत्स्यपालन को प्रोत्साहन दिया जाए। प्रयास यह होना चाहिए कि ग्रामीण बेरोज़गारों को रोज़गार के व्यवस्थित अवसर उपलब्ध हो सकें, खेतिहर मज़दूरों को मौसमी बेरोज़गारी से बचाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि इनके कामकाज में सुधार और जीवनस्तर को ऊंचा करके ही नरेगा को सफल बनाया जा सकता है।

पर्यावरणविद सुनीता नारायण की टिप्पणी भी अमल योग्य है। 'सवा पांच रुपये में आजीविका' और 'अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों की आजीविका' शीर्षक लेख बहुत ही दिलचस्प रहे। हरेन्द्र प्रताप ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर विश्व परिदृश्य की जो ऐतिहासिक क्रिया-प्रतिक्रिया प्रस्तुत की, वह संग्रहणीय है। 'भारतीय अर्थव्यवस्था का कृषि से उत्थान' और 'मंथन' जैसे लेखों की तारीफ़ के लिये उपयुक्त शब्द नहीं मिलते।

गजेन्द्र सिंह मधुसूदन
कृष्णा नगर, अतर्रा, बांदा, उ.प्र.

कमज़ोर पक्ष को छुपाया गया है

अगस्त अंक ग़रीबों की जीवनरेखा के साथ-साथ भारतीय समाज व्यवस्था की सच्चाई व्यक्त कर रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम-2005 विभिन्न मौलिक उपहारों का संगम है तथा इसमें जीवंत समाज की संकल्पना के साकार होने का भविष्य निहित है।

इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश में कार्यों के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी सहायकों की नियुक्ति की गई है, तकनीकी सहायकों को विकास खंड

स्तर पर तैनात किया गया है तथा इन्हें विकास खंड के कतिपय ग्राम पंचायतों के इस योजना से संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तकनीकी सहायक की शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट विज्ञान एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम (सिविल इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग/मैकेनिकल इंजीनियरिंग) है। एक तकनीकी सहायक को प्रतिमाह 700 रुपये मात्र यात्रा भत्ता के रूप में देय है तथा साथ में स्वीकृत धनराशि का 0.6 प्रतिशत कमीशन के रूप में दिए जाने का प्रावधान है। यात्रा भत्ता 700 रुपये तो प्रतिमाह दे दिया जाता है, किंतु शासन द्वारा उन्हें निर्धारित कमीशन नहीं दिया जाता है। इस तरह एक तकनीकी सहायक को मात्र 700 रुपये प्रतिमाह ही मिल पाता है। इस उपेक्षापूर्ण व्यवहार का ही परिणाम है कि नरेगा के कार्यों के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी सहायक नहीं मिल रहे हैं।

पुनश्च कि जनपद इलाहाबाद के सैकड़ों तकनीकी सहायकों ने कार्य करना छोड़ दिया। एक मज़दूर को एक वर्ष में 10,000 रुपये मिल जाते हैं किंतु उत्तर प्रदेश के एक तकनीकी सहायक को मात्र 8,400 रुपये मिल पाते हैं। इस तरह एक तकनीकी सहायक की स्थिति एक मज़दूर से भी बदतर है।

नरेगा के कार्यों के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम रोज़गार सेवक की नियुक्ति हुई है उसे प्रतिमाह 2,000 रुपये मिलते हैं। प्रत्येक वर्ष नवीकरण का प्रावधान किया गया है। इस कारण ग्राम रोज़गार सेवक स्वतंत्र होकर अपना योगदान नहीं कर पा रहा है, उसकी भूमिका ग्राम प्रधान के घरेलू नौकर जैसी है। वर्तमान समय में नरेगा के कार्यों के क्रियान्वयन हेतु ग्राम रोज़गार सेवक से लेकर जिलाधिकारी तक को सीयूजी सिम कार्ड दिए गए हैं। इस मामले में उत्तर प्रदेश में पारदर्शिता नहीं है। कतिपय जनपदों में मात्र सीयूजी सिम कार्ड दिए गए हैं, वहीं अन्य जनपदों में मोबाइल सेट भी दिए गए हैं। इसमें बहुत विषमता, भ्रष्टाचार एवं अन्याय व्याप्त है।

अंक के समस्त लेख सामाजिक तथ्यों से भरपूर हैं तथा लेखकगण बधाई के पात्र हैं।

ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का लेख 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कानून के दो साल' निश्चित ही उपयोगी है किंतु इस योजना की आधारशिला के रूप में कार्यरत तकनीकी सहायकों एवं ग्राम रोज़गार सेवकों के बारे में एक भी शब्द न कहकर इसके सबसे कमज़ोर पक्ष को छिपाया गया है। अन्य लेखकों ने भी तकनीकी सहायकों एवं ग्राम रोज़गार सेवकों के बारे में विचार नहीं व्यक्त किए हैं। शायद इसलिये कि वे इस योजना के विशेष अंग नहीं है या कोई अन्य कारण हो सकता है।

असित कुमार सिंह
प्रतापगढ़, उ.प्र.

नरेगा की खामियों में सुधार ज़रूरी

अंक में राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना पर विशेष आलेख के संदर्भ में यह कथन सही है कि यह योजना देश के ग़रीबों की जीवनरेखा बन गई है। परंतु योजना की कुछ खामियां हैं जिनपर शायद सरकार का ध्यान अब तक नहीं गया है। पहली ख़ामी यह कि इसमें जो सौ दिन का रोज़गार उपलब्ध कराने की बात कही गई है, वह बहुत ही कम है। सौ दिन पूरे होने के बाद बाकी दिन ये क्या करेंगे? दूसरी, इसमें जो मज़दूरी की दर है वह बहुत ही कम है तथा विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न दरें प्रचालन में हैं। इसके लिये सरकार एक समान न्यूनतम राष्ट्रीय दर निर्धारित करे। नरेगा बेरोज़गारों के लिये वरदान ज़रूर साबित हुआ है पर झारखंड राज्य में यह अभिशाप बन गया है क्योंकि वहां सिर्फ़ भ्रष्टाचार का बोलबाला है तथा काम सिर्फ़ कागज़ों पर हो रहा है।

दीपक कुमार सिंह
कुम्हार टोली, हजारीबाग, झारखंड

इन विषयों पर लेख छापें

मैं पत्रिका का नियमित पाठक हूं। मेरा अनुरोध है कि आप पत्रिका में पर्यावरण एवं प्रदूषण, आपदा एवं आपदा प्रबंधन, अनुबंध कृषि, ई-कृषि, विशेष आर्थिक क्षेत्र, वनों का प्रभाव एवं कारण, जनसंख्या की समस्या, संसाधन का दोहन, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा अन्य आर्थिक क्षेत्र में अंतर, भारत में कृषि की दशा एवं दिशा, सरकार की भूमिका, पंचायत की स्थिति, जैव विविधता, मानव विकास की रूप रेखा, रेगिस्तान कितना सही है, भारत में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में उष्मा एवं प्रदूषण की भूमिका इत्यादि विषयों पर लेख दें ।

प्रिंस कुमार सिंह
पहाड़पुर, सारण, बिहार

रोज़गार योजना में असामाजिक तत्व

***यो**जना* का अगस्त अंक पढ़ा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के बारे में जानकारी बहुत ज्ञानवर्द्धक, रोचक तथा सत्य है। इस कार्यक्रम को लागू हुए दो वर्ष हो गए हैं। इन दो वर्षों से यह देश की निर्धनता और बेरोज़गारी को कम करने में बहुत हद तक सफल भी हुई है। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ असामाजिक तत्वों के इसमें प्रवेश ले लेने के चलते कई क्षेत्रों से यह योजना पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इस योजना की जानकारी नहीं होती है जिसके कारण उन्हें सरकार द्वारा तय की गई मज़दूरी नहीं मिल पाती है। यह हमारे समाज के लिये शर्म की बात है। एक तो उन्हें न्यूनतम मज़दूरी दी जा रही है, ऐसे में मज़दूरी कम करके देना कहां तक उचित है? मज़दूर मेहनत-पसीना बहाकर मज़दूरी करते हैं, तब जाकर कहीं अपने बाल-बच्चों का पालन-पोषण कर पाते हैं। ऐसे लोगों की रोजी-रोटी छीनकर खाना बहुत बड़ा पाप है।

रोहित कुमार राय
कटारा हिल्स, बागमुगलिया, भोपाल

शोधकर्ताओं के लिये उपयोगी

मैं *योजना* की नियमित पाठिका हूं। जुलाई अंक के संपादकीय के माध्यम से भारत में अन्न संकट का यथार्थ चित्र खींचा गया है।

रहीस सिंह का लेख 'खाद्यान्न संकट की तपन से झुलसती दुनिया' में आंकड़ों के साथ खाद्य संकट का चित्रण किया गया है साथ ही संकट को दूर करने के उपायों की भी चर्चा की गई है।

ऋतु सारस्वत का लेख 'धरती पर बढ़ता बोझ' में बढ़ती हुई जनसंख्या को हर दृष्टिकोण से ख़तरे की घंटी बताई गई है।

अंतरा घोष की 'कहानी एक लड़की की' में पापिया की कहानी के माध्यम से महिलाओं को प्रोत्साहित किया गया है। पापिया का यह कहना कि हम जबतक अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, जीवन को सही मायने में नहीं जी सकेंगे, प्रेरक है।

अरविंद कुमार सिंह ने अपने लेख में नेपाल की तराई और 1857 में हजरत महल के जीवन की निष्ठा और त्याग का वर्णन किया है।

योजना विद्यार्थियों और शोधार्थी के लिये उत्तम पत्रिका है। विशेषकर अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिये तो इसमें ढेरों सामग्रियां होती है।

आशा सिन्हा
चाणक्यपुरी, गया, बिहार

MISSION IAS - 2009

यदि आप खुद की क्षमताओं में विश्वास रखते हैं, और उसे दूसरों को भी दर्शाना चाहते हैं, लेकिन मुश्किल से आपका विश्वास किया जाता है .....

ENSEMBLE

एक सुनागरिक समाज. सिविल सेवियों का समाज.

..... जब तक कि वास्तव में आप हमसे रूबरू नहीं होते।

भूगोल

के. सिद्धार्थ के निर्देशन में

शरत्कालीन सत्र प्रारम्भ : 14 अक्टूबर, 2008

Rajinder Nagar Centre: Knowledge Park : B-5/4, Poorvi Marg, Below ICICI Bank, NEA, Opp. Ganga Ram Hospital, Old Rajinder Nagar, Delhi-60, Ph.: 01142430022/33, 9811506926
Mukherjee Nagar Centre: 2nd Floor, Batra Cinema, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09, Tel.: 011-27651852, 27651853, 9899707583
Email: ensemblecareersolutions.pvtltd@gmail.com

YH-10/08/4

संपादकीय

स्त्री और पुरुष के बीच समानता का सिद्धांत भारत के संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों तथा नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर्निहित है। संविधान न केवल महिलाओं को समान अवसर प्रदान करता है बल्कि सरकार को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के लिये कदम उठा सके।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-78) और उसके बाद से महिलाओं से जुड़े मुद्दों के प्रति उल्लेखनीय परिवर्तन आया है और यह कल्याण से आगे बढ़ता हुआ महिलाओं के विकास की दिशा में बढ़ रहा है। हाल के वर्षों में, महिलाओं के सशक्तीकरण को, उनकी हैसियत के निर्धारण का केंद्रीय विषय माना जाने लगा है।

आठवीं योजना (1992-97), जो मुख्य रूप से मानवीय विकास पर केंद्रित थी, ने पुन: महिलाओं के विकास पर ज़ोर दिया। इसमें यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया था कि विभिन्न क्षेत्रों से होने वाले लाभों से महिलाएं वंचित न रहें। इसका उद्देश्य सामान्य विकास कार्यक्रमों को पूर्ण करने हेतु विशेष कार्यक्रमों का कार्यान्वयन और विकास के अन्य क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले लाभों को महिलाओं के लिये सुनिश्चित करना था ताकि वे विकास प्रक्रिया में समान रूप से सहयोगी और सहभागी बन सकें।

नौवीं योजना (1997-2002) में महिलाओं के लिये नियोजन की धारणात्मक व्यूहरचना में दो उल्लेखनीय परिवर्तन किए गए। पहला, महिलाओं के सशक्तीकरण ने नौवीं योजना के नौ प्राथमिक लक्ष्यों में से एक का रूप ले लिया। दूसरा, योजना ने महिला केंद्रित और महिला संबंधित क्षेत्रों में विद्यमान सभी सेवाओं को एक धारा में मिलाने का प्रयास किया।

दसवीं योजना में सामाजिक परिवर्तन और विकास के अभिकर्ता के रूप में महिलाओं के सशक्तीकरण की रणनीति प्रमुखता से जारी रही। इसमें महिलाओं के सशक्तीकरण के लिये विशिष्ट क्षेत्रों के लिये तिहरी रणनीति को अपनाया गया, ये थे - सामाजिक सशक्तीकरण, आर्थिक सशक्तीकरण और महिलाओं के लिये समान न्याय। भारत की कुल जनसंख्या का 48 प्रतिशत महिलाएं हैं। ग्यारहवीं योजना में महिलाओं के सशक्तीकरण की जो परिकल्पना की गई है उसमें समावेशी और समेकित विकास, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तीकण के साथ-साथ स्त्री के लिये समान न्याय को प्रमुखता दी गई है।

पिछले कुछ वर्षों में, महिलाओं के सशक्तीकरण को व्यापक नीतिगत समर्थन मिला है। परंतु यह प्रश्न अभी भी बना हुआ है कि हम इन उद्देश्यों और विभिन्न सामाजिक समूहों और क्षेत्रों की महिलाओं की आवश्यकताओं की प्राप्ति कहां तक कर सके हैं। *योजना* का यह अंक महिलाओं के सशक्तीकरण के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित है। राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के एक भाषण के प्रमुख अंश के अतिरिक्त इस अंक में महिलाओं के सशक्तीकरण से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों, महिलाओं के साहित्य और मुस्लिम महिलाओं से संबंधित विषयों पर विचारपूर्ण आलेख और निबंध शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही महिला एवं बाल विकास मंत्री रेणुका चौधरी का एक विचारोत्तेजक साक्षात्कार भी दिया जा रहा है। आपको इस अंक में सशस्त्र सेनाओं में महिलाओं की प्रगति के साथ-साथ बहुचर्चित 'अलवर मॉडल' की अभूतपूर्व सफलता के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा।

महिलाओं का सशक्तीकरण - जिसे संक्षेप में डब्ल्यूई भी कहते हैं, एक एकीकृत बल का बोध कराता है। *योजना* के इस अंक के माध्यम से हम आपका ध्यान महिलाओं और पुरुषों के बीच अर्थपूर्ण सहभागिता वाले एक न्यायपूर्ण और समान अवसरयुक्त राष्ट्र के निर्माण के कठिन परंतु आवश्यक कार्य की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, "महिलाओं और पुरुषों की स्थिति एक समान है, परंतु एक जैसी नहीं। एक-दूसरे के पूरक वे अद्वितीय युगल हैं, जो एक-दूसरे की सहायता करते हैं ताकि एक के बिना दूसरे के अस्तित्व की कल्पना भी न की जा सके। इन तथ्यों की तार्किक परिणति यह है कि ऐसी कोई भी वस्तु जो दोनों में से किसी एक की स्थिति को कष्ट पहुंचाती है, दोनों को ही समान रूप से नष्ट कर देगी।" ❑

आर्थिक संकेतक

संकेतक: वार्षिक	इकाइयां	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (प्रक्षेपित)
जनसंख्या (1 अक्तूबर तक)	करोड़ में	101.9	103.8	105.5	107.3	109	111	112.2	113.8	115.2
जीडीपी वर्तमान बाज़ार मूल्य पर	करोड़ रुपये	21,02,314	22,78,952	24,54,561	27,54,621	31,49,412	35,80,344	41,45,810	47,13,148	-
जीडीपी प्रतिव्यक्ति (वर्तमान मूल्य)	रुपये	20,631	21,955	23,266	25,696	28,920	32,372	36,950	41,416	-
सकल घरेलू बचत (वर्तमान मूल्य)	जीडीपी प्रति.	23.7	23.5	26.4	29.8	31.8	34.3	34.8	-	-
सकल घरेलू पूंजी निर्माण (वर्तमान मूल्य)	जीडीपी प्रति.	24.2	24.2	25.2	26.8	31.6	34.5	36.0	37.5	-
सकल राजकोषीय हानि	जीडीपी प्रति.	5.7	6.2	5.9	4.5	4.0	4.1	3.4	3.0	2.5
वर्तमान मूल्य पर जीडीपी एफसी का क्षेत्रवार हिस्सा										
कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र	जीडीपी का %	23.4	23.2	20.9	21.0	19.2	18.8	18.3	17.8	-
उद्योग	जीडीपी का %	26.2	25.3	26.5	26.2	28.2	28.8	29.3	29.4	-
सेवा	जीडीपी का %	50.5	51.5	52.7	52.8	52.6	52.4	52.4	52.8	-
मूल्य (वार्षिक औसत)										
थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूटी 100.00)	अप्रैल 1993=100	155.7	161.3	166.8	175.9	187.2	195.5	206.1	215.9	-
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक - औद्यो. कर्म	जुलाई 2001=100	95.93	100.07	104.05	108.07	112.2	117.2	125.0	132.75	-
कृषि उत्पादन आम सूचकांक भारत										
खाद्यान्न	मिलि. टन	196.8	212.9	174.8	213.2	198.4	208.6	217.3	230.7	230.7
मोटा अनाज	मिलि. टन	185.7	199.5	163.7	198.3	185.2	195.2	203.1	215.6	215.6
चावल	मिलि. टन	85.0	93.3	71.8	88.5	83.1	91.8	93.4	96.4	96.4
गेहूं	मिलि. टन	69.7	72.8	65.8	72.2	68.6	69.4	75.8	78.4	78.4
दालें	मिलि. टन	11.1	13.4	11.1	14.9	13.1	13.4	14.2	15.1	15.1
तिलहन	मिलि. टन	18.4	20.7	14.8	25.2	24.4	28.0	24.3	28.8	28.8
गन्ना	मिलि. टन	296.0	297.2	287.4	233.9	237.1	281.2	355.5	340.6	340.6
उद्योग और ऊर्जा										
औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (मान-100) (वार्षिक औसत)	अप्रैल 1993 = 100	162.69	166.99	176.64	188.97	204.8	221.52	247.05	268.02	-
	% परिवर्तन	5.06	2.64	5.78	6.98	8.37	8.16	11.53	8.49	-
व्यावसायिक ऊर्जा उत्पादन	एमटीओई #	230.9	237.9	246.9	259.2	272.0	283.83	298.55	73.45	-
सार्वजनिक इकाइयों द्वारा ऊर्जा उत्पादन	मिलि. केडब्ल्यूएच	501.2	517.4	532.7	565.1	594.5	617.5	662.5	704.5	-
विदेश व्यापार										
निर्यात	मिली. अम. डॉलर	44,147	43,958	52,823	63,886	83,502	1,03,075	1,26,276	1,55,435	1,79,000
आयात	मिली. अम. डॉलर	50,056	51,567	61,533	78,203	1,11,472	1,49,144	1,85,624	2,35,868	3,09,000
विदेशी मुद्रा भंडार^	मिली. अम. डॉलर	39,554	51,049	71,890	1,07,448	1,35,571	1,45,108	1,91,924	2,99,147	-
भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (शुद्ध)	मिली. अम.डॉलर	4,031	6,125	5,036	4,322	5,987	8,901.0	21,991	32,327	-
भारत में पोर्टफोलियो निवेश (शुद्ध)	मिली. अम. डॉलर	2,760	2,021	979	11,356	9,311	12,494	7,004	29,096	-
रुपया विनिमय दर	रुपये/अम. डॉलर	45.61	47.55	48.30	45.92	44.95	44.28	45.29	40.24	-

संकेतक : मासिक																	
मूल्य		मई 07	जून 07	जुलाई 07	अगस्त 07	सितं. 07	अक्तू. 07	नवंबर 07	दिस. 07	जन. 08	फर. 08	मार्च 08	अप्रैल 08	मई 08	जून 08	जुलाई 08	अगस्त 08
थोक मूल्य सूचकांक 1993-94 = 100		212.3	212.3	213.6	213.8	215.1	215.2	215.9	216.4	218.2	219.9	225.5	228.5	230.8	236.6	239.2	-
(सभी सामग्रियां) परिवर्तन		5.5	4.5	4.7	4.1	3.5	3.1	3.3	3.8	4.5	5.3	7.5	8.0	8.8	11.5	11.95	-
कृषि																	
वास्तविक वर्षा: अखिल भारत	मिलीमीटर	48	153	259	299	194	75	14	16	19	19	32	37	38	159	276	249
सामान्य वर्षा से अंतर	प्रतिशत	-31	8	0	-2	14	-22	-49	1	-19	-14	21	-15	-31	22	-15	2
चावल भंडार (केंद्रीय पूल)	मिलि.टन	12.61	10.98	-	6.67	-	10.65	10.05	11.15	-	-	13.84	12.86	12.13	-	97.93	-
गेहूं भंडार (केंद्रीय पूल)	मिलि.टन	13.31	12.93	-	10.86	-	90.2	83.6	73.52	-	-	58	17.69	24.12	-	24.38	-

निवेश (सीएमआईई कैपएक्सडेटाबेस)		**मार्च '01**	**मार्च '02**	**मार्च '03**	**मार्च '04**	**मार्च '05**	**मार्च '06**	**मार्च '07**	**मार्च '08**
परियोजना निवेश	करोड़ रुपये	1,403,025	1,486,938	1,382,122	1,503,040	1,931,500	2,761,339	4,293,108	6,118,218
	परियोजना की संख्या	4,328	5,805	6,942	8,835	9,434	9,688	12,281	14,501

टिप्पणी: (क), % परिवर्तन वार्षिक आधार पर है; (ख) एमटीओई: मिलियन टन तेल का समतुल्य; (ग) ^ भारत सरकार के पास उपलब्ध विदेशी मुद्रा का कुल मूल्य (स्वर्ण एवं एसडीआर को छोड़कर); (घ) * यह देश में चल रहे सभी चालू पूंजीगत व्यय वाली परियोजनाओं की परियोजना लागत का सकल योग है। ये परियोजनाएं इनमें से किसी भी तीन अवस्थाओं में हो सकती है - घोषित अथवा जिनका क्रियान्वयन किया जा रहा हो।

स्रोत : योजना आयोग में स्थित i^3 (आई क्यूब) सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई)।

सशक्त स्त्री सशक्त देश

● प्रतिभा देवी सिंह पाटिल

जब हम अपने अतीत पर नज़र डालते हैं तो पाते हैं कि भारत में गार्गी और मैत्रेयी जैसी प्रसिद्ध महिला दार्शनिक थीं जो पुरुषों के स्तर पर ही भाषण-प्रवचन तथा बहस-मुबाहिशों में हिस्सा लिया करती थीं। हमारे स्वाधीनता आंदोलनों में भी महिलाओं का योगदान पुरुषों से थोड़ा भी कम नहीं था। स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ने के महात्मा गांधी के आह्वान पर ऐसे समय में महिलाओं ने उसमें हिस्सा लिया जब सिर्फ़ 2 प्रतिशत महिलाएं शिक्षित थीं। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि महिलाओं के लिये घर से बाहर निकलना कितना कठिन था, परंतु तब भी वे बाहर निकलीं। आज़ादी के बाद भी संविधान सभा के सदस्य के रूप में महिलाओं ने स्वतंत्र भारत के लिये संविधान का मसौदा तैयार करने के काम में हिस्सा लिया। यह गर्व की बात है कि डा. बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रस्ताव पर संविधान ने शुरू से ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया, जिससे ऐसी व्यवस्था वाले चुनिंदा देशों की श्रेणी में भारत भी शामिल हो गया।

यह दुर्भाग्य की बात है कि आज भी दहेज, बाल-विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, कन्या शिशु हत्या तथा नशे की लत हमारे समाज में कायम है। मुझे विश्वास है कि हम सभी सामूहिक रूप से इन्हें दूर कर सकते हैं। उन सामाजिक व्यवहारों में भारतीय समाज में प्रगतिशील तथा अग्रसोची होने की परंपरा रही है जिन व्यवहारों में सुधार अथवा उनकी समाप्ति की ज़रूरत थी। हमलोगों ने हमेशा ऐसा करने की हिम्मत एवं विवेकशीलता दिखाई। 19वीं सदी में राजाराम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर तथा स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे सुधारकों ने सामाजिक बुराइयों के ख़िलाफ़ लड़ाइयां लड़ीं। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि महिलाओं के ख़िलाफ़ भेदभाव तथा हिंसा से लड़ने की इच्छा कायम है। इस बात की ज़रूरत है कि समाज में जागरुकता पैदा कर हम अपेक्षित परिणाम पाने की कोशिशें तेज़ करें तथा उस दिशा में अपनी शक्ति लगाएं।

बाल विवाह बच्चों के प्रति भारी अन्याय है। एक युवती, जो अभी प्रारंभिक अवस्था में है और अपने आसपास की दुनिया को पूरी तरह समझ भी नहीं पाई है, उसे वैवाहिक बंधन में जकड़ दिया जाता है। बाल विवाह न सिर्फ़ बालिका पर प्रतिकूल असर डालता है, बल्कि उन पर अन्य तरह के भी कई बुरे असर पड़ते हैं। मैंने बाल विवाह के ऐसे मामले देखे हैं जब बालिकाएं केवल 13 या 14 साल की उम्र में ही मां बन जाती हैं। उसके बाद से वह बच्चा पैदा करने की मशीन बन जाती हैं। इसका उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और वे अपने बच्चों को वांछित स्तर की पौष्टिकता नहीं दे पातीं और न ही उनकी सही देखभाल ही कर पाती हैं। जब एक युवती के पढ़ने, सीखने तथा जीविका के लिये कुशलता ग्रहण करने का समय होता है, उन्हें नयी पीढ़ी की देखभाल का भार सौंप दिया जाता है। यह साफ़तौर पर अन्यायपूर्ण स्थिति है। बाल-विवाह के बंधन में बांधकर हमने युवतियों को शिक्षित एवं योग्य नागरिक बनने के सुअवसर से वंचित कर दिया है। साथ ही बच्चों की नयी पीढ़ी को सुविज्ञ एवं स्वस्थ मां की सही निगरानी से भी वंचित कर दिया है। इससे सामाजिक एवं आर्थिक रूप से समाज को कितना बड़ा नुकसान हुआ है, यह बताना कठिन है।

महिलाओं तथा बालिकाओं के प्रति हमारे रुख में बदलाव की ज़रूरत है। पिछले दो दशकों के दौरान महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने के लिये महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं, फिर भी और अधिक उपायों की ज़रूरत है। महिला अधिकारिता के स्तंभों में साक्षरता, शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं तथा मां और बच्चों के लिये पौष्टिकता, राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा स्वरोज़गार के सुअवसर सहित वित्तीय सुरक्षा शामिल हैं ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। ये सारे काम महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने, उन्हें महिला होने का गर्व होने, प्रेरक माहौल बनाने तथा गरिमापूर्ण जीवन जीने का सुअवसर प्रदान करने पर ही पूरे हो सकेंगे। अक्सर यह देखा जाता है कि महिलाओं को कम मज़दूरी वाले काम दिए जाते हैं और विकास के जैसे अवसर पुरुषों को मिलते हैं उन्हें नहीं मिल पाते। जब कभी भारतीय महिलाओं को अनुकूल माहौल और सही सुविधाएं मिली हैं वे सफल हुई हैं और इंजीनियर, डॉक्टर, प्रशासक, उद्योगपति, पुलिस बल तथा सशस्त्र बल के सदस्य, यहां तक कि अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं।

महिलाओं की शिक्षा तथा अधिकारिता विकास एवं ग़रीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राज्य सरकारों को ऐसी योजनाएं लागू करनी चाहिए जो बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करे। इससे स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाली बालिकाओं की संख्या में भी कमी आएगी। घरेलू हिंसा तथा सामाजिक भेदभाव कम करने के लिये एक समुचित सामाजिक एवं कानूनी माहौल बनाने की ज़रूरत है जिसके लिये समाज के सभी वर्गों, सामाजिक संगठनों, मीडिया तथा सरकार को मिलकर कोशिश करनी चाहिए। हमारी नीतियां तथा कार्यक्रम भी ऐसे होने चाहिए, जो महिलाओं की ज़रूरतों तथा हितों को ध्यान में रखकर तैयार हों। महिलाओं को स्वसहायता समूहों द्वारा ऋण सुविधा देकर अपना कारोबार शुरू करने के लिये मदद दी जानी चाहिए। ये उपाय महिलाओं को आर्थिक स्वाबलंबन प्राप्त करने में मदद पहुंचाएंगे तथा उनकी अधिकारिता में योगदान करेंगे। हमारा मकसद होना चाहिए कि महिलाओं को काम करने का सुअवसर दें तथा ऐसा माहौल बनाएं जिसमें महिलाएं सम्मान एवं गरिमा के साथ रह सकें और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।

एक राष्ट्र के रूप में हमारी पूरी क्षमता का उपयोग तभी हो सकेगा जब महिलाएं, जो हमारी आबादी का क़रीब आधा हिस्सा हैं, अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकें। जब तक ऐसा नहीं होता है, प्रतिभा का आधा हिस्सा, प्रगति का आधा भाग, बर्बाद होता रहेगा। एक राष्ट्र के रूप में हमलोग इस बर्बादी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिस तरह एक रथ के आगे बढ़ने के लिये उसके दोनों पहियों के आगे चलने की ज़रूरत होती है उसी तरह पुरुषों और महिलाओं को संयुक्त रूप से मज़बूत होने और आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है। भारतीय महिलाओं की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति के लिये मैं एक कविता की चार पंक्तियां प्रस्तुत हैं:

हटा दो सब बाधाएं मेरे पथ की,
मिटा दो आशंकाएं सब मन की,
जमाने को बदलने की शक्ति को समझो,
कदम से कदम मिला के चलने तो दो मुझको। ❑

(16 फरवरी, 2008 को पटना में 'मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना' नामक कार्यक्रम के उद्घाटन के समय भारत की राष्ट्रपति डा. प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के भाषण से उद्धृत अंश)

ALS IAS
ALTERNATIVE LEARNING SYSTEMS

सामान्य अध्ययन प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु हिन्दी माध्यम का सर्वश्रेष्ठ संस्थान

सामान्य अध्ययन
GS Foundation 2009-10
प्रारंभिक-सह-मुख्य परीक्षा 2009-10

हमारी GS टीम

- इतिहास — *by* YD Mirsa & Manoj K Singh
- भारतीय राजव्यवस्था — *by* Manoj K Singh & M. Gautam
- भूगोल — *by* ALS Team
- भारतीय अर्थव्यवस्था — *by* Arunesh Singh
- समसामयिक मुद्दे — *by* Wizard Team
- GS रणनीति — *by* Shashank Atom, Manoj K Singh & Jojo Mathews

हमारी कक्षागत योजना

- कक्षा प्रारंभ में परीक्षा संबंधी रणनीति व GS Basics की जानकारी
- राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक व समसामयिक विषयों की तैयारी हेतु विश्लेषणात्मक प्रशिक्षण व्यवस्था
- मुख्य परीक्षा हेतु प्रश्नोत्तर लेखन का अभ्यास (250 शब्द, 150 शब्द, 20 शब्द)
- साप्ताहिक परीक्षण व्यवस्था
- लेखन शैली पर हमारे IAS Toppers द्वारा Orientation Programme.
- 15 प्रारंभिकी टेस्ट सिरीज एवं 6 मुख्य परीक्षा टेस्ट सिरीज व्याख्या सहित

बैच प्रारंभ अक्टूबर 04 एवं अक्टूबर 14

इतिहास
प्रारंभिक-सह-मुख्य परीक्षा
द्वारा Y D MISRA
बैच प्रारंभ : अक्टूबर 24

लोकप्रशासन
प्रारंभिक-सह-मुख्य परीक्षा
द्वारा R K Sharma
बैच प्रारंभ : अक्टूबर 24

Alternative Learning Systems (P) Ltd.

ALS Alternative Learning Systems

Corporate Office: B-19, ALS House, Commercial Complex, Dr Mukherjee Nagar, Delhi-9 Ph. 27651700, 27651110 • **South Delhi Centre :** 62/4, Ber Sarai, Delhi-16, Ph. 26861313 **Mobile Nos. 9810312454, 9810269612**

YH-10/08/20

आत्मसम्मान में निहित है शक्ति और सामर्थ्य

यदि कोई महिला अपने अधिकारों के बारे में सजग है, यदि वह आत्मनिर्भर है, उसका आत्मसम्मान बढ़ा हुआ है तो वह सशक्त है। यह मानना है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रेणुका चौधरी का। *योजना* की प्रधान संपादक *एस.बी. शरण* के साथ एक बेबाक, किंतु आत्मीय और विशिष्ट बातचीत में उन्होंने स्त्री अधिकारिता और सशक्तीकरण से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से अपनी राय रखी। यहां प्रस्तुत है वह बातचीत

प्रश्न : *आपको महिलाओं के सशक्तीकरण का प्रबल पैरोकार माना जाता है। आपकी दृष्टि में महिला सशक्तीकरण क्या है? क्या यह महिलाओं की आर्थिक, राजनीतिक बेहतरी है या सिर्फ़ एक मनोस्थिति?*

उत्तर : मेरी दृष्टि में सशक्तीकरण का अर्थ है- आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास। कभी-कभी लोग सोचते हैं कि यदि ऐसा होता, वैसा होता, तो यह हो सकता था। परंतु यदि कोई महिला अपने और अपने अधिकारों के बारे में सजग है, यदि उसका आत्मसम्मान बढ़ा हुआ है तो वह सशक्त है, समर्थ है।

प्रश्न : *आप राजनीति में दो दशकों से हैं- इस अवधि में महिलाओं के सशक्तीकरण के मुद्दे ने क्या रूप धारण किया है? आपने जब सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया था, तब से आज की यह स्थिति कितनी अलग है?*

उत्तर : कभी-कभी हमें संसदीय प्रतिमानों और आचरण में गिरावट आने जैसी बातें दिखाई देती हैं, और सांसदों को पैसा देने की हाल की घटनाएं तो बहुत ही गिरी हुई बात है। इसका कारण कुछ भी हो पर इससे हम सबको शर्मसार होना पड़ता है। परंतु गतिशील लोकतंत्र की चमक हमें निरंतर इस बात की चुनौती देती है कि हम अपने को और अपने लक्ष्यों को पुनर्परिभाषित करें। यही विकास प्रक्रिया है।

प्रश्न : *यह तो राजनीतिक मोर्चे की बात हुई परंतु ऐसी अनेक महिलाएं हैं, जो उससे हट कर भी सक्रिय जीवन जी रही हैं? उनके सशक्तीकरण के बारे में आप क्या कहेंगी?*

उत्तर : एक ओर जबकि ऐसा लगता है कि कुछ खास काम नहीं हुआ है, अभी हमें मीलों आगे जाना है, और आगे हमें जाना ही होगा, परंतु सरकार ने जो प्रयास किए हैं, उसके कारण एक मौन क्रांति भी हो रही है। संभवत: अधिकतर लोगों के लिये इसका कोई महत्व नहीं है। वे इस बात की ओर ध्यान ही नहीं देते कि इस क्षेत्र में क्या-क्या हो रहा है। वे बस वही घिसी-पिटी बातें दोहराते रहते हैं कि इन महिलाओं को कुछ तो चाहिए। सच्चाई यह है कि लघु वित्त (माइक्रो फाइनेंस) के रूप में छोटे-मोटे कार्यों के लिये आर्थिक सहायता ने महिलाओं को काफी सशक्त और समर्थ बना दिया है। ज़रूरी नहीं कि वे साक्षर हों। शिक्षा से तो सुविधाभर होती है, यह हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं है। आखिरकार, पढ़े-लिखे लोग ही भ्रूण के लिंग का चयन कर गर्भपात कराते हैं। परंतु ऐसी सशक्त महिलाएं भी हैं जो बखूबी अपना जीवन जी रही हैं। आप उनमें भरपूर आत्मसम्मान देख सकते हैं।

घटती घरेलू हिंसा पर लघु वित्त प्रभाव का पता लगाने के लिये मैं एक अध्ययन कराने जा रही हूं। दरअसल, मैंने इसे अनौपचारिक रूप से अनुभव किया है। जब मैं पांच, दस या तीस हज़ार के समूह में महिलाओं से बात करती हूं और उनसे पूछती हूं कि क्या आपको लगता है कि हमारे भाइयों के हाथ अब हम पर उतने नहीं उठते तो वे हंसती हैं और अपनी सहमति जताती हैं। अत: ज़मीनी स्तर पर सशक्तीकरण हो रहा है।

सरकार ने जब यह पहल शुरू की, तब केवल कर्ज़ देने-लेने की ही बात नहीं थी, बल्कि महिलाओं को सशक्त बनाने का ही विचार था। यह हमारी उस व्यवस्था से ही जन्मा था जिसमें महिलाओं को ऋण देने के योग्य नहीं माना जाता था। हमें (महिलाओं को) बाज़ार की गतिशीलता के लिये अप्रासंगिक माना जाता था और इसीलिये हाशिये पर डाल दिया गया। एक समय था जब हमें स्त्रीधन

इसलिये दिया जाता था कि पैतृक संपत्ति में हमारा कोई अधिकार नहीं होता था। अचल संपत्ति से हमें वंचित रखा गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि हम एक जिंस भर बनकर रह गए। परंतु अब जब महिलाओं को ऋण देने का पात्र समझा जाने लगा है, इससे मुद्रा बाज़ार में महिला की पहचान बनी है और उसके पति की नज़रों में उसका मूल्य भी बढ़ गया है। वह एक ऐसी व्यक्ति है जो संभवत: ऋण भी ले सकती है- मुझे लगता है कि इस तथ्य का भी जबर्दस्त प्रभाव पड़ा है।

मध्य और उच्च-मध्य वर्गों के भी कुछ मुद्दे हैं जहां यौन प्रताड़ना काफी महिलाओं के लिये चिंता का विषय बना हुआ है। महिलाओं के आरक्षण संबंधी विधेयक का राजनीतिक विरोध तो ठीक हमारे सामने ही हमें दिख रहा है। परंतु ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं का सशक्तीकरण हो रहा है। शुरू-शुरू में तो इसे सरपंच के प्रतिनिधि के तौर पर ही देखा जाता था और महिलाओं का क्षमता विकास का प्रयास नहीं किया गया। परंतु अब आप देख सकते हैं कि महिलाएं कितनी सशक्त हो चुकी हैं। आपको महसूस होगा कि उन्हें वास्तव में पता होता है कि वे क्या कर रही हैं और बहुत दृढ़ता से, शालीनता से अपने पतियों को बता देती हैं कि कब और कहां उन्हें दखल नहीं देना चाहिए।

मैं समझती हूं कि आगामी पीढ़ी की यह तैयारी एक हैरानी की बात है। अब हम उन्हें एक ऐसे वातावरण में बड़ा होते देख रहे हैं, जहां माताएं सशक्त हैं या फिर इसी उद्देश्य के लिये काम कर रही हैं। यहां जो हो रहा है वह तो समूची नयी पीढ़ी की तैयारी है। मैं नहीं सोचती कि हमें इसका महत्व कम करके आंकना चाहिए।

हां, यह सही है कि हमें मीडिया में बलात्कारों और अपराधों के बारे में ख़बरें पढ़ने-देखने को मिलती हैं, और इसमें से बहुत कुछ सनसनी फैलाने के इरादे से किया जाता है। परंतु सच्चाई यह है कि मीडिया हमें कभी-कभी हमारी प्रणालीगत व्यवस्था की असफलता की ओर भी ध्यान दिलाता है।

प्रश्न : *आपने महिला आरक्षण विधेयक का जिक्र किया। परंतु आजकल जिसकी चर्चा है, वंचित जातियों की महिलाओं के सशक्तीकरण के बारे में आपका क्या कहना है?*

उत्तर : देखिए, महिलाओं के वर्गीकरण का कोई प्रश्न नहीं है। किनका सशक्तीकरण होना चाहिए और किनका नहीं, इस तरह की सोच गलत है, क्योंकि हमने उनको अलग-अलग रखने की बात नहीं कही। हमारा विश्वास है कि महिलाएं जातिविहीन होती हैं- हमारे दुख समान हैं, हमारे कष्ट समान हैं। हम सबको वही कुछ झेलना पड़ता है, भले ही हम किसी भी आर्थिक वर्ग से क्यों न हों। यह एक मिथ्या धारणा और भ्रांति है कि आर्थिक रूप से बेहतर जीवन जी रही महिलाएं अधिक सशक्त होती हैं और सुखी रहती हैं। इन सबके बावजूद हम यह बताना चाहते हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को कभी भी पर्याप्त अवसर नहीं दिए जाते। और जब महिलाएं अपने हिस्से की रेवड़ी की मांग करती हैं तभी झगड़ा होने की संभावनाएं उभर कर सामने आती हैं।

प्रश्न : *महिलाओं के सशक्तीकरण के प्रोत्साहन के लिये आपके मंत्रालय ने क्या कदम उठाएं हैं? कृपया स्वयंसिद्धा जैसी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताएं। अन्य किसी विधायी उपायों के बारे में आप बताना चाहती हों तो कृपया बताएं।*

उत्तर : स्वयंसिद्धा वास्तव में आत्मसम्मान और आत्म सशक्तीकरण के बारे में हैं। हम उन लड़कियों के मामले लेते हैं जो कभी-कभी अनावश्यक और अप्रासंगिक परिस्थितियों में छोड़ दी जाती हैं, जिनके पास कोई आश्रय नहीं होता। हम उन्हें क्षमता विकास का प्रशिक्षण देकर समर्थ और सशक्त बनाते हैं। कुछ राज्यों में इस दिशा में बहुत अच्छा काम हुआ है। आंध्र प्रदेश में बहुत अच्छा काम हुआ है, तमिलनाडु ने भी बहुत अच्छा काम किया है। और हां, हमारे यहां कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां महिलाओं को अधिक सम्मान नहीं दिया जाता। दक्षिण में पुरुष अधिक स्वतंत्र होते हैं, या यूं कहें कि अधिक प्रगतिशील हैं।

प्रश्न : *हमारा अगला प्रश्न इसी से जुड़ा है। क्या कानून द्वारा महिलाओं का सशक्तीकरण सुनिश्चित किया जा सकता है? क्या पुरुष सहकर्मी को महिलाओं के प्रति अधिक संवेदनशील या समझदार बनाना महत्वपूर्ण है?*

उत्तर : निश्चित रूप से दोनों को एक-दूसरे के प्रति समझदार और संवेदनशील होना चाहिए। स्त्री-पुरुष दोनों को अलग-अलग और सामूहिक रूप से संबोधित करना होगा क्योंकि लैंगिक संवेदनप्रियता किसी एक की पसंद-नापसंद की बात नहीं है। इतना कहने के बाद भी मैं मानती हूं कि कानून और कानून के वास्तविक क्रियान्वयन के बीच एक बड़ा अंतराल है। लेकिन कानून ही दिशा तय करने में मदद करता है। राजनीतिक औचित्य और सामाजिक स्वीकार्यता, निश्चित करता है। इन सभी को कानून के ढांचों और प्राचलों के भीतर परिभाषित किया हुआ है जो समाज के कतिपय मुद्दों का निराकरण करते हैं। एक समय था जब हमें लगता था कि सती प्रथा प्रासंगिक है। परंतु बड़ी आसानी से यह एक ऐसी कुप्रथा में बदल गई जिससे हम महिलाओं से छुटकारा पा सकते थे। हमें पता है कि कुछ महिलाओं का कहना है कि दस पुरुषों की हिंसा की तुलना में एक आदमी की हिंसा बेहतर है। अत: वे घरेलू हिंसा और तिरस्कार को यह कहते हुए स्वीकार कर लेती हैं कि यदि मैं इस आसरे को भी छोड़ देती हूं, मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं होगा। इस तरह की धारणा बढ़ती जाती है। और हमें इसे कानून के जरिये ही रोकना होगा। मुझे स्वयं ही यह बात पसंद नहीं है, परंतु हमें कुछ मानदंड तो स्थापित करने ही होंगे।

कानून के रखवाले कितना और किस प्रकार कानून पर अमल करते हैं, यह एक अलग मुद्दा है। इस बारे में मुझे भी कई शिकायतें हैं। बावजूद इसके मैं कहूंगी कि यह युवा पीढ़ी के लिये प्रतिमान निश्चित करने की तैयारी ही है। यह किसी परिवार के लिये सद्व्यवहार सीखने हेतु समुचित वातावरण तैयार करने जैसा ही है। संयुक्त परिवार प्रणाली टूटती जा रही है। विभिन्न संस्कृतियों के धार्मिक क्रियाकलापों की स्वयं नियामक प्रणाली जैसी हमारे यहां है, और अब जबकि सामाजिक सर्जना का संक्रमण चल रहा है, उसे देखते हुए तो ऐसा लगता है मानो हम दो नावों पर सवारी कर रहे हों, हम क्या करें, इसके बारे में कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। इसलिये आज के अभिभावक कुछ अधिक भ्रमित और बच्चे उपेक्षित दिखाई देते हैं। इसलिये आपको कानून का सहारा लेना पड़ता है। हालांकि मैं सभी निजी कार्यों में कानून के दखल के विरुद्ध हूं, क्योंकि हम कुछ ज्यादा ही कानून का पालन करने लगते हैं और मानवीय तत्व

लुप्त हो जाता है। मुझे स्वयं यह सब पसंद नहीं है, परंतु हमें कुछ न कुछ तो मानक तय करने ही होंगे।

प्रश्न : *महिला की अपनी परिवारिक पृष्ठभूमि और परिवार का समर्थन किस हद तक उसे सशक्त बनाता है? आप एक ऐसी पृष्ठभूमि से आती हैं जहां आपको हमेशा ही प्रोत्साहित किया जाता रहा है...*

उत्तर : नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे अपने संघर्ष के क्षेत्र रहे हैं, लेकिन परिवार के पुरुषों ने मुझे समर्थन दिया। जब हमारा ड्राइवर बीमार हुआ हमारे दादाजी ने मुझसे ट्रैक्टर चलाने को कहा। लेकिन मेरे परिवार में ही कुछ महिलाएं-चाचियां/बुआएं थीं, जो काफी दकियानूसी थीं। उन्होंने कहा कि तुम यह काम नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि तुम्हारी हरकतें लड़कों जैसी हैं, तुमसे शादी कौन करेगा?

जिन परिवारों का सहज-स्वाभाविक विकास होता है, जरूरी नहीं कि वे ज्यादा पढ़े-लिखे हों, उनका वातावरण बेहतर रहता हो। जागरूक परिवारों में सकारात्मक सोच वाले सुदृढ़ पुरुष पाए जाते हैं। मैंने देखा है कि जहां पुरुष दृढ़ होते हैं उनका विकास भी बेहतर होता है। सुदृढ़ होने से तात्पर्य है सकारात्मक अर्थों में दृढ़ होना अर्थात महिलाओं का समर्थन करना, उनको स्वीकार करने और उनको प्रोत्साहित करने जैसे सार्थक गुण होना। जहां पुरुष कमज़ोर होते हैं, वे दकियानूसी व्यवहार का समर्थन करते हैं। ऐसा वे सामाजिक दबावों और अपने धर्म गुरुओं के दबाव में आकर करते हैं। वे स्वयं ही दुर्व्यवहार को जन्म देते हैं। ऐसे बहुत कम पुरुष हैं, जो यह मानते हैं कि लड़के या लड़की में कोई अंतर नहीं है।

मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे एक ऐसे पिता, दादा और शानदार पति मिला जो अपने आप में पर्याप्त सहनशील और समझदार हैं। उन्हें इस बात से कोई परेशानी नहीं है कि मैं कौन हूं। कई बार मैंने जब जिद की, सामाजिक दबाव पड़े। आपको पता होता है कि कौन लोग आपके बारे में कानाफूसी और गप्पें लगाते हैं। आप उनसे जुड़ना चाहते हैं और खुद भी दकियानूस जैसे बनने लगते हैं और तब आप अप्रसन्न होते हैं। इसी तरह के महत्वपूर्ण क्षणों में जीवन के चौराहों पर मुझे ऐसे पुरुष मिले जिन्होंने मुझे पूरा समर्थन दिया। यही वे सशक्त क्षण होते हैं जहां आपको समाज में बेहतर पुरुषों की आवश्यकता होती है।

प्रश्न : *महिलाओं की प्रगति सुनिश्चित करने में क्या बाधाएं और दिक्कतें हैं?*

उत्तर : जो लोग शिक्षित हैं, वे कई अर्थों में पिछड़े हुए हैं। यह एक भयावह स्थिति है और मैं बिलकुल साफ़-साफ़ कह देना चाहती हूं कि तथाकथित शिक्षित लोग जो समाज से लेते रहते हैं, और विशिष्ट वर्ग में आते हैं- वे बस लेते ही चले जाते हैं। वे इस बारे में ज़रा भी नहीं सोचते कि जिस समाज से आए हैं उसका जीवनस्तर सुधारने के लिये कुछ करें, कुछ योगदान करें। यह भयावह स्थिति है।

प्रश्न : *क्या कोई ऐसी अदृश्य सीमा है, जिसका सामना महिलाओं को करना पड़ता है?*

उत्तर : हां, कुछ क्षेत्रों में कभी-कभी अदृश्य सीमा होती है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता, परंतु उससे हमें रुकना नहीं चाहिए। कुछ पथ प्रदर्शक जो ऐसा करते हैं, उनके रास्ते में कठिनाइयां कम नहीं आतीं। आपकी हंसी उड़ाई जाती है, आपका मजाक उड़ाया जाता है, लोग आपका नाम रख देते हैं। और आपके मन में हमेशा यह चलता रहता है कि मैं इसे क्यों कर रही हूं, मैं चुपचाप बैठ क्यों नहीं जाती। लेकिन इसमें आप अकेले नहीं होतीं, आपका परिवार है, संबंधी हैं, बच्चे हैं, जो कभी-कभी आपको हैरानी में डाल देते हैं कि आप यह मुसीबत क्यों मोल ले रही हैं। एक महिला के लिये यह बड़ा कठिन होता है, परंतु फिर भी मैं अनेक महिलाओं को आगे बढ़ते देखती हूं और इससे इरादों को मज़बूती मिलती है।

प्रश्न : *अब मैं आपसे एक टेढ़ा सवाल पूछती हूं। क्या आप मानती हैं कि महिलाओं के सशक्तीकरण का कुछ हद तक दुरुपयोग हो रहा है? क्या हमारा सामाजिक ताना-बाना, पारिवारिक ढांचा बेहतरी की ओर बढ़ रहा है?*

उत्तर : सभी चीज़ों का दुरुपयोग लोग करते रहते हैं। लोगों की अपनी पसंद होती है। परंतु महिलाओं के सशक्तीकरण का दुरुपयोग हो रहा है, इसके बारे में बड़ी तेज़ी से प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि ऐसे लोग बहुतेरे हैं जिनको इससे ख़तरा महसूस होता है। दुर्भाग्य से, भारत में महिलाओं का सशक्तीकरण, जो पूर्णत: स्वदेशी आंदोलन है, उस पर पश्चिम के प्रभाव का आरोप लगाया जाता है। उसे जर्मेन ग्रीयर की नारी मुक्ति आंदोलन से प्रभावित होने की बात कही जाती है जो पश्चिमी दुनिया की दकियानूसी छवि का बोध कराती है। जबकि यह वह नहीं है जिसकी हम भारत में बात करते हैं। हम परिवार त्यागने या पुरुषों से बेहतर व ऊंचे होने की बात नहीं करते। हम तो केवल यह कहना चाहते हैं कि देखो, हम यहां हैं। क्या आप हमें इस बात की मान्यता देंगे कि हम जो कुछ भी हैं, बस यहां हैं? हम इस बात को कभी नहीं छोड़ेंगे या किसी को भी अपना नारीत्व हड़पने की अनुमति नहीं देंगे। हमारी प्राथमिकता मुख्य रूप से अभी भी परिवार का कल्याण ही बनी हुई है।

यदि आप औसत भारतीय नारी की ओर देखेंगी, मैं शहरी उच्च वर्ग की बात नहीं कर रही, तो आप उन्हें अब भी सीता जैसे पारंपरिक रूप में ही पाएंगी। परंतु अब ये औसत भारतीय महिलाएं भी सशक्त हो चली हैं। ये अब गैस सिलेंडर वाले से बहस कर सकती हैं। अथवा अपने बिजली के बिल के बारे में झगड़ सकती हैं। वह जाकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से मिल सकती हैं, मेरा चुनाव करने वाला विधायक कौन होता है- मुझे तो मेरे गांव ने शक्ति प्रदान की है। मैं समझती हूं कि यह बात वास्तव में आश्चर्यजनक है।

इससे परिवार के ढांचे में कुछ बदलाव ज़रूर आता है क्योंकि शक्ति का केंद्र बंट गया है। बच्चे दोनों को ही शक्ति के केंद्र के रूप में देखते हैं, परंतु यह एक ऐसा पहलू है जिसपर हमें काम करना होगा। हमें उस बारे में फिर से चर्चा करनी होगी जिसे आमतौर पर पुरुष की प्रधानता के तौर पर देखा जाता है और इसी तरह से घरेलू हिंसा को चुनौती दी जा सकेगी। वे पुरुष जो सोचते हैं कि वे ही शक्ति केंद्र हैं और उसे अपनी औरत को थप्पड़ मारने का अधिकार है, उनसे अब इस बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है- यह एक आश्चर्यजनक बात है। ऐसा हो रहा है, परंतु परिवारों को नये वातावरण से परिचित होना होगा। बच्चे अब इस बात को पसंद करते हैं कि मां घर का बना खाना लाती है, वह पौष्टिक आहार के बारे में सचेत है, वह बच्चों को स्कूल भेजे जाने पर ज़ोर देती है, वह अपने पैसे से अपनी पसंद तय करती है। अत: इससे पारिवारिक ढांचे में बदलाव तो आएगा ही। समय बदलता है, और हमें भी बदलना चाहिए। ❑

श्रमिक नहीं श्रमण बनें

हमारी उपलब्धि...
इतिहास मुख्य परीक्षा 2007 में

चलते - चलते

से लगभग सभी प्रश्न अक्षरशः पूछे गये।

प्रथम प्रश्न पत्र		द्वितीय प्रश्न पत्र	
प्रश्न संख्या	पेज नं.	प्रश्न संख्या	पेज नं.
6	155	2	79
7	134	6	30
8	146	7	21
		8	27

पिछली वर्ष की अपार सफलता के बाद चलते-चलते (मुख्य परीक्षा) का 50 नये संभावित प्रश्नों के साथ नया संस्करण

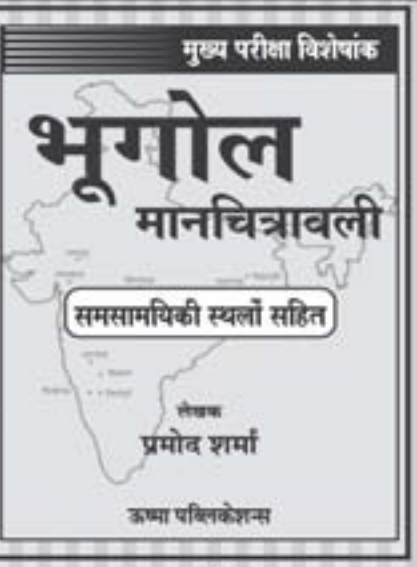

पुस्तक अपने निकटतम पुस्तक विक्रेता से प्राप्त कर सकते हैं पुस्तक डाक द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तक न मिल पाने की स्थिति में दिये गये पते पर सम्पर्क करें।

Foundation Course - 2009

इतिहास
द्वारा
अवध प्रताप ओझा
(लेखक अद्वितीय इतिहास एवं चलते-चलते)

भूगोल
द्वारा
प्रमोद शर्मा

Batch Start : 20 Sept. & 10 Oct. 08

उत्तर भारत में सामान्य विज्ञान के लिए प्रख्यात विशेषज्ञ फारूख आजमी (इलाहाबाद) की कक्षायें भी उपलब्ध।

कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी के लिए नीरज तिवारी (निर्देशक) से सम्पर्क करें :
फोन नं. : 9891455637

ऊष्मा

Basement A-29-30, Jaina House, Comm. Comp.,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009
Ph. : 011-47054850, 09891455637, 9873286436

YH-10/08/8

मुस्लिम महिलाओं के साथ इंसाफ

● सैयदा हमीद

मेरा संबंध समाज सुधारकों के परिवार से है। मेरे सबसे यशस्वी पूर्वज भारत के पहले नारीवादी कवि थे। उनका नाम ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली था। सौ साल पहले भारतीय विधवाओं की दुर्दशा, महिलाओं के मौन परिश्रम और विश्वास करने वाली महिलाओं को इस्लाम द्वारा दिए गए ऊंचे मुक़ाम पर उन्होंने नज़्में लिखी थीं। उन्होंने महिलाओं के स्थान के बारे में एक लंबी नज़्म- 'दुनिया की जीनत तुम से है' लिखी थी, जिसमें महिलाओं को क़ौम की गरिमा और शोभा कह कर निरूपित किया गया था। उन्होंने अपनी पांच साल की पौत्री से प्रेरित होकर एक लघु कविता भी लिखी थी, जिसमें उसे सबकी आंखों का तारा बताया गया था। यह बच्ची मेरे पिता की छोटी बहन थी और चूंकि मेरा नाम उनपर ही रखा गया था, लंबे समय तक मैं यही यक़ीन करती रही कि वह कविता मेरे ऊपर लिखी गयी थी। नारीवाद की यह लहर ऐतिहासिक शहर पानीपत में उठ रही थी, जो पहले अविभाजित पंजाब में था और अलग होने के बाद हरियाणा में है। उस समय यह शहर अपने आलियों और सूफियों के लिये मशहूर था। हमारे जैसे आम मध्यवर्गीय परिवारों में लड़कियों को काफी महत्व दिया जाता था। अब, सौ सालों बाद यही शहर देश में न्यूनतम लिंग अनुपात के लिये बदनाम है।

यही वह पृष्ठभूमि थी जिसमें मैंने मुस्लिम पर्सनल कानून और औरत के प्रति इंसाफ (जेंडर जस्टिस) पर नज़र डालना शुरू किया। मैंने उलेमाओं और मुस्लिम महिला संगठनों द्वारा तैयार किए गए तमाम निक़ाहनामे पढ़े। उनकी मैंने निक़ाह के बाबत पवित्र क़ुरान में दी गई आयतों से तुलना की।

राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य के नाते 1997-2000 के दौरान मैंने देश के अनेक हिस्सों में मुस्लिम तंग बस्तियों और मोहल्लों का दौरा किया जहां मुझे मुस्लिम महिलाओं की कई दर्दभरी दास्तान सुनने को मिली। ये महिलाएं तिहरे तलाक़ (तलाक़, तलाक़, तलाक़), बहु विवाह, मेहर और गुजारा भत्ता नहीं दिए जाने की शिकार थीं। मैंने पवित्र क़ुरान में इसका जबाब ढूंढने की कोशिश की और सुरा अल-निसा और सुरा अल-बकर को पढ़ा तथा पवित्र पुस्तक में लिखी बातों के बारे में गंभीरता से विचार किया। यह देख कर हैरत हुई कि क़रीब 1500 वर्ष पहले क्या बतलाया गया था और हम मुसलमानों ने उस प्रकट रहस्य का क्या हाल बनाकर रखा है।

निक़ाहनामा शब्द ही बड़ा भ्रामक और गलत है। नामा का अर्थ है संदेश, अत: इसका शाब्दिक अर्थ हुआ 'विवाह का संदेश'। इस शीर्षक से इस अनिवार्य तथ्य का संप्रेषण नहीं होता कि इस्लाम में शादी दो व्यक्तियों के बीच एक कानूनी अनुबंध होता है। इसमें हिंदू, सिख और ईसाई विवाहों की तरह कोई धार्मिक रीति-रिवाज नहीं जुड़ा होता। अत: सही शीर्षक मुआहिदा-ए-निक़ाह होना चाहिए, जिसमें मुआहिदा का अर्थ होता है 'अनुबंध'। अनुबंध में दोनों ही पक्षों को अपनी-अपनी शर्तें रखने की छूट होती है।

अतएव इस्लाम के अनुसार विवाह में कोई महिला 'एक विवाह' को निक़ाह की एक शर्त के रूप में रख सकती है अथवा घरेलू कामों में समान साझेदारी की मांग कर सकती है। क़ुरान में अनुबंध की शर्तों के बारे में कोई मार्ग निर्देशन नहीं किया गया है, सिवाय इसके कि इन्हें दोनों पक्षों के लिये उचित और तर्क़संगत होना चाहिए। क़ुरान में केवल यही बात साफ़ की गई है कि मेहर का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। मेहर वह रक़म होती है जो शादी के समय औरत को देय होती है। यह अनिवार्य है, इससे बचने का कोई तरीक़ा नहीं है। पैगंबर साहब ने स्वयं ही उदाहरण पेश करते हुए, अपने दामाद अली से फ़ातिमा से निक़ाह के समय मेहर का भुगतान करने को कहा अली बाद में इस्लाम के चौथे ख़लीफ़ा बने। मेहर के लिये उन्हें अपने अमूल्य बख्तरबंद बेचने पड़े।

हम सभी मुसलमानों के लिये यह एक अभ्यारोप है कि मेहर को छोड़कर निक़ाह के हमारे करार बिल्कुल कोरे होते हैं। मेरी खुद की शादी में चालीस साल पहले जो करार लिखा गया था, उसमें कहा गया कि 50,000 रुपये के मेहर के बदले शादी पूरी की जाती है।

विवाह के समय मेहर का भुगतान अग्रिम किया जाता है, परंतु यदि दुल्हन राज़ी हो तो उसे स्थगित किया जा सकता है और विवाहित जीवन के दौरान, बाद में कभी भी दिया जा सकता है। मेहर और गुजाराभत्ता के बारे में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। गुजाराभत्ता यानी ना-ओ-नफ़्का का भुगतान तलाक़ की स्थिति में किया जाता है। शाहबानो मामले में भी असल मुद्दा यही था लेकिन पुरुषतंत्रीय व्याख्याओं ने इस भ्रम को बढ़ावा दिया है। लोगों में घर कर गई इस मिथ्याधारणा को मिटाना मुश्किल है कि मेहर वह रक़म है जो तलाक़ पर देनी होती है।

दरअसल, चूंकि इस्लाम में शादी को एक करार माना जाता है, यह जरूरी हो जाता है कि तलाक़ को भी शादी के समय ही लिख दिया जाना चाहिए। मेरे विचार से, विवाह का यही सबसे व्यावहारिक पहलू है, जैसाकि पवित्र क़ुरान में साफ़-साफ़ लिखा हुआ है। शादी के शुभ अवसर पर तलाक़ जैसे अशुभ शब्द का उल्लेख करने की सामाजिक शर्म के विपरीत इस्लाम में इसे निक़ाह में केंद्रीय स्थान दिया गया है। अपने

करार में कोई महिला लिख सकती है कि उसे भी अपने पति के तलाक़ देने का समान अधिकार है। ऐसे तलाक़-ए-तफवीज़ के बारे में एक धारा शामिल कर की जा सकती है। कुरान में औरत को यह हक़ साफ़-साफ़ दिया गया है। इसका अर्थ है 'तलाक़ का हस्तांतरित अधिकार', जिसके अनुसार मर्द औरत को उसे तलाक देने का अधिकार प्रदान करता है। यदि औरत बोझ बन गई शादी से छुटकारा पाना चाहती है तो वह तलाक़-ए-तफवीज़ के करार में दी गई शर्त के अनुसार अपने शौहर को तलाक़ देने की पहल कर सकती है। बदले में, अगर वह चाहे तो मेहर के कुछ हिस्से को माफ़ कर सकती है। लेकिन यह पूरी तौर पर उसका फैसला होगा और उसी के विवेक पर निर्भर होगा। मैं समझती हूं कि समाज में धीरे-धीरे सुधार लाने की शुरुआत करने का कुरान का यही तरीक़ा रहा होगा।

यह सब इस्लाम के व्यक्तिगत कानूनों में सबसे अहम को समझने की मेरी कोशिश भर थी। मुस्लिमों और गैर-मुस्लिमों द्वारा इस्लाम की ग़लत व्याख्या की कर्कश आवाजों ने इस धर्म के बारे में ऐसी छवि पेश की है मानो यह नारी विरोधी हो। मैं इस मिथ्या धारणा को कुरान की रोशनी में दूर करना चाहती थी। लेकिन इस सबको समझने के लिये काफी अध्ययन करना पड़ा। तब मैं सार्वजनिक मंचों पर बहस करने और लिखने के लिये तैयार हो सकी।

12 अगस्त, 2008 को मैंने एक निक़ाह करवाया। शायद मैं पहली हिंदुस्तानी औरत थी जिसने एक इस्लामी शादी कराई। मैं नहीं सोचती कि मैंने कोई विश्व रिकार्ड कायम किया है, हालांकि कुछ लोगों ने दावा किया कि दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ। पवित्र कुरान का जब प्रकटीकरण हुआ (जब यह लोगों के सामने आई), उस समय और उसके कुछ दशकों के बाद, चार खलीफ़ाओं के कार्यकाल के दौरान महिलाएं अपने धर्म के विभिन्न पहलुओं में पारंगत थी। इसकी शुरुआत पैगम्बर साहब की धर्मपत्नी हजरत खादिया से हुई, जो एक सफल महिला व्यापारी थी। वे धर्म को स्वीकार करने और मुस्लिम बनने वाली पहली इंसान थी। पैगम्बर साहब की एक मात्र पुत्री हजरत फातिमा, इस्लाम धर्म के सभी पहलुओं में पारंगत थीं और अपने आप में एक नेता थी। उनकी दो पुत्रियां जैनब और कुलसुम, करबला के हादसे के बाद और इस्लाम को हड़पने (समाप्त करने) की लौकिक शक्तियों की कोशिशों के मद्दे नज़र धर्म को सही रूप से पुनर्स्थापित करने के लिये उत्तरदायी थीं। मुस्लिम महिलाएं न केवल विद्वान, इतिहासकार, लड़ाइयों में भाग लेने वाली सेना प्रमुख और देखभाल करने वाली थीं, वरन इन सबसे बढ़कर कुरान और हदीस की व्याख्याकार थी। अपनी इन शानदार उपलब्धियों के साथ-साथ मुस्लिम महिलाओं ने निःसंदेह निक़ाह समारोहों में प्रमुख भूमिका भी निभाई। इस्लामी इतिहास की तमाम पुस्तकें पढ़ने के बाद मेरी समझ में तो यही आया है। हालांकि इसे साबित करने या न करने के दस्तावेज़ नहीं है।

नैश और इमरान के निक़ाह के लिये रजामंदी देने से पहले पूरी कुरान पर नज़र डालकर शादी से संबंधित निषेधाज्ञाओं और औरत द्वारा निक़ाह कराए जाने के ख़िलाफ़ कही गई किसी भी बात को ढूंढने की मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। अगला कदम था इस्लामी न्याय प्रणाली (फिक़ा) की किताबों को पढ़ने का। इस्लामी न्याय प्रणाली को चार शाखाएं हैं- हनफ़ी, हनबली, शाकई और मलिकी। एक पांचवी शाखा फ़िक़ा जाफरिया भी है। इनमें से किसी में एक भी शब्द ऐसा नहीं है कि औरत निक़ाह नहीं करवा सकती। दरअसल कहीं भी यह नहीं लिखा है कि शादी केवल क़ाज़ी ही करा सकता है।

इस्लामी शादी में केवल दो ही चीजों की जरूरत होती है- गवाहों की मौजूदगी और मेहर की रक़म का तय होना। चूंकि इस्लामी शादी एक दीवानी क़रार (सिविल कंट्रैक्ट) होती है, औरत और मर्द इसमें लेन-देन, वचन और निष्पादन संबंधी कोई भी शर्त जोड़ सकते हैं। ऐसा वे खुद भी कर सकते हैं, बशर्ते कि इसे क़रार के दीवानी कानून के तहत किया जाए। शादी में दोनों ओर के गवाहों की मौजूदगी जरूरी है।

मैंने जिनकी शादी कराई थी, उनका क़रार भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन नामक संगठन ने किया था। मेरे अपने और बाकी सभी 99 फीसदी निक़ाहनामों के विपरीत इस निक़ाहनामे में शादी की कई शर्तों को शामिल किया गया था, जिनमें से अधिकांश का संबंध औरत के हितों और मर्द के सम्मान की रक्षा से था। इनमें यह शर्त भी थी कि "इस पहली शादी के चलते इमरान दूसरी शादी नहीं करेगा, क्योंकि इस्लाम में एक विवाह प्रथा को ही आदर्श माना गया है।"

इस संदर्भ में, कुरान में तलाक़ शब्द का जो उल्लेख किया गया हे, उसके मायने समझना महत्वपूर्ण है। तलाक़ दुनियाभर में सर्वाधिक दमनकारी प्रावधानों का ऐसा बदनाम उदाहरण बन गया है जो मुस्लिम महिलाओं को कमजोर बनाता है। परंतु कितने लोगों को पता है कि इस्लाम में जबानी दिए जाने वाले तिहरे तलाक को कितना घिनौना और बुरा माना जाता है? तमाम तर्कों के बावजूद तिहरा तलाक समाप्त नहीं हो रहा है। कुरान में इसके लिये जो विस्तृत प्रक्रिया दी गई है, उसकी ओर मौलवी लोग और तलाक़ देने-लेने वाले बिल्कुल गौर नहीं करते। दूसरी बार तलाक़ शब्द का उच्चारण करने से पहले एक माह (मासिक धर्म का एक चक्र) और तीसरी बार कहने से पहले और एक और माह तक प्रतीक्षा करना अनिवार्य शर्त है। इस दौरान मध्यस्थता और समझाना-बुझाना कुरान के अनुसार जरूरी है। इसके विपरीत आजकल जो चल रहा है, उसके अनुसार एक औरत के नसीब का फैसला तीन घृणित शब्दों- तलाक़, तलाक़, तलाक़ का उच्चारण कर महज 60 सेकेंडों में किया जा सकता है।

12 अगस्त, 2008 को एक इतिहास रचा गया। एक औरत ने क़ाज़ी का कर्तव्य निभाया। मीडिया ने इसे दुनिया के सामने पेश भी किया। मुस्लिम महिला संगठनों के कड़े परिश्रम और आलिमों (मुस्लिम विद्वानों) को पूरा सम्मान देने के फलस्वरूप अधिकतर उलेमाओं (मुस्लिम विद्वानों) ने इस शादी पर अपनी मंजूरी की मुहर लगा दी है। उम्मा (समाज) के सामने आज एक नया निक़ाहनामा पेश है, जो मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है। नैश और इमरान को अल्लाह का दोहरा आशीर्वाद मिला है क्योंकि वे कुरान और इस्लाम के सही अर्थों की पुनर्स्थापना बहाली करने में सहायक बने हैं। इस्लाम के महिला विरोधी और पुरुष प्रधान धर्म होने के बारे में आजकल जो प्रचार हो रहा है उसे इस दंपति, उनके मित्रों और मुस्लिम महिला संगठनों ने झुठला दिया है और दिखा दिया है कि इस्लाम में महिलाओं की वास्तविक स्थिति कितनी सम्मानजनक है। ❑

(लेखिका योजना आयोग, नयी दिल्ली की सदस्य हैं।
ई-मेलः s.hameed@nic.in)

महिला सशक्तीकरण : कुछ विचार

● किरण बेदी

देश की पहली महिला आईपीएस (सेवानिवृत्त) अधिकारी और मैग्सेसे पुरस्कार विजेता किरण बेदी सदैव एक ऊर्जावान और अभिनव दृष्टियुक्त व्यक्ति के रूप में जानी जाती रही हैं। उनका मानना है कि महिला होना एक बड़ी नियामत है और अपने आप में एक दायित्व भी। आत्मनिर्भर और जागरूक महिलाएं सामाजिक परिवर्तन का मूल्यवान माध्यम बन सकती हैं। यहां प्रस्तुत हैं महिला सशक्तीकरण पर उनकी हाल ही में प्रकाशित पुस्तक के कुछ अंश

महिला दिवस समारोहों को मनाने के अलावा हमें यह समझना होगा कि महिलाओं के अधिकार उसी समाज के कर्तव्य हैं जिनमें हम रहते हैं। एक स्वस्थ और शिक्षित महिला राष्ट्र के लिये संपदा होती है। वह समाज की समृद्धि में उसी प्रकार योगदान करती हैं, जैसे एक निरक्षर, निर्धन और अस्वस्थ महिला, कमज़ोर, कुपोषित और उपेक्षित बच्चों को जन्म देकर समाज पर बोझ बढ़ाती है। अत: महिलाओं से संबंधित मुद्दे केवल महिलाओं के ही नहीं हैं। उनका संबंध समूचे समाज और राष्ट्र से है। जितनी जल्दी हम इसे स्वीकार कर लेंगे, उतनी तेज़ी से हम एक सुदृढ़ राष्ट्र बनने की ओर बढ़ सकेंगे। इसकी शुरुआत हमें अपने घरों, आस-पड़ोस, बस्तियों, गांवों और विद्यालयों से करनी होगी।

हमारा देश बहुत बड़ा है। ग्रामीण-शहरी, अमीर-ग़रीब, शिक्षित-निरक्षर, आगे की सोच वाले और पिछड़े लोगों के साथ-साथ महलों और मलिन बस्तियों वाला है हमारा देश। सभी साथ-साथ रहते हैं। फिर, हम कहां से शुरू करें? और परामर्श एवं प्रशिक्षण का पैसा कौन भरेगा? सच्चाई यह है कि आवश्यकता और उपलब्धता के बीच हमेशा ही एक बड़ा अंतर कायम रहेगा।

तो फिर हम यहां से कहां जाएं? आज की असली समस्या है कि महिलाएं विकास के साथ-साथ सुरक्षा, गतिशीलता और चुनौती चाहती हैं, परंतु अभिभावक केवल उनकी सुरक्षा ही चाहते हैं। जब हम किसी बालिका को शिक्षा देते हैं, तो उससे यह कैसे कह सकते हैं कि अपने बारे में मत सोचो। वह चाहती है कि उसकी बात सुनी जाए, समझी जाए और तर्क के साथ समझाई जाए। मां-बाप और बच्चे दोनों ही ग़लत नहीं हैं, किंतु अभिभावकों को भी उन परिवर्तनों को समझना होगा जो शिक्षा, मीडिया जागरुकता और अवसरों के आने से समाज में आए हैं। अत: अभिभावकों का प्रशिक्षण अनिवार्य है। आज अनेक घरों में, किशोरों का पालन-पोषण और विस्तारित परिवारों में रहना एक बहुत बड़ी समस्या है। हमें आगे आकर इसका सामना करना होगा और सभी प्रकार की यंत्रणाओं और अचानक आने वाले अवरोधों को रोकने के लिये उन्हें तैयार करना होगा।

नेताओं के एक नये वर्ग के रूप में महिलाएं समाज में परिवर्तनकारी की भूमिका बखूबी निभा सकती हैं, बशर्ते वे प्रशासक, व्यवसायिक प्रबंधन और व्यक्तिगत संबंधों में प्रचलित गलत गतिविधियों के प्रति सतर्क रहें और उन्हें वैयक्तिक और सामूहिक रूप से अस्वीकार करने का संकल्प लें। तभी महिलाएं नये भारत के निर्माण में उत्प्रेरक की अपनी भूमिका निभा सकेंगी। ऐसा करने से उन्हें भी घरों, आस-पड़ोस, बिरादरी, कार्यस्थलों और कुल मिलाकर पूरे

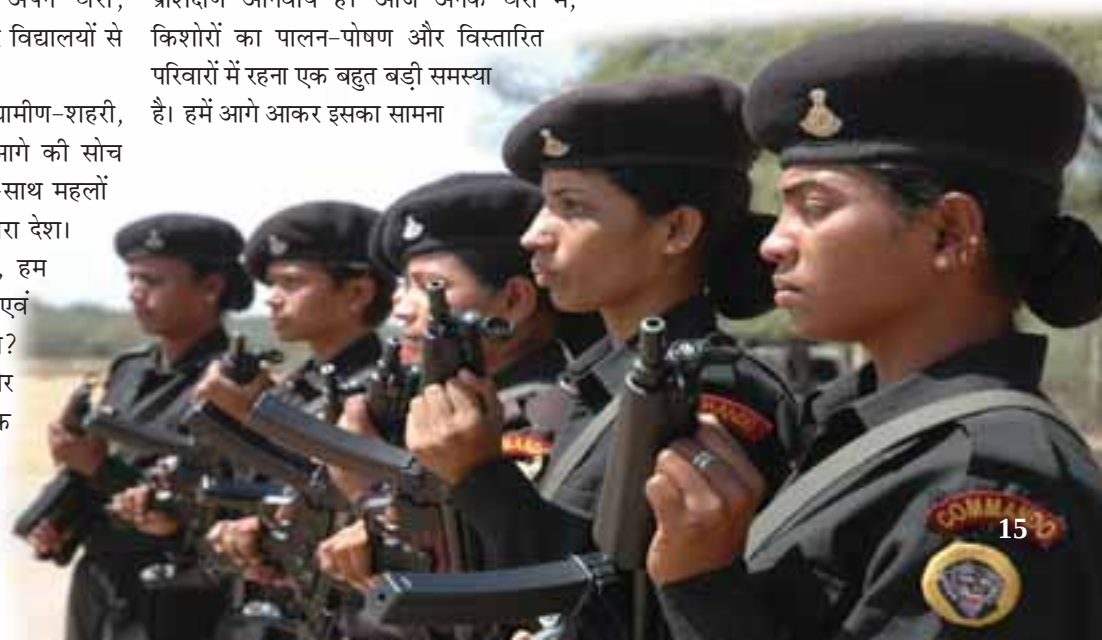

समाज में बेहतर नेतृत्व मिल सकेगा।

आप लड़कियां पहले से ही कुछ भिन्न हो। इसे शेष जीवन में सदैव याद रखना। यह तथ्य कि आप परंपरा से पुरुषों के परिधान रहे स्लैक्स अथवा ट्रैक सूट्स (खेल में लड़कियों के लिये) पहन रही हैं, दर्शाता है कि आप वे सभी सुरक्षित लक्षण अपना रही हैं जिन्हें समझदार पुरुषों का बताया जाता है। बहादुरी, साहस, उत्तरदायित्व, संरक्षण, आर्थिक स्वतंत्रता आदि लक्षण जो परंपरा से पुरुषों के माने जाते हैं उन्हें अब महिलाएं भी अपना रही हैं। और इस तरह आप सब लड़कियां दोहरी भूमिका निभा रही हैं। आप समझदार पुरुषों के सर्वोत्तम गुणों को सीखने के साथ-साथ धैर्य, दया, सहनशीलता, त्याग, आदान-प्रदान, संप्रेषण, देखभाल और फिक्र, संवेदनशीलता, सराहना, मान्यता आदि जैसे महिलाओं के अपने पारंपरिक गुणों को भी अपना रही हैं। अतएव अब आप दोनों के गुणों से सज्जित हैं। आप दृढ़ता और संवेदनशीलता दोनों ही सीख रही हैं। अत: आप अधिक सुदृढ़ और अधिक सुरक्षित तो रहेंगी ही, आप दूसरों की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील भी बनी रहेंगी।

महिलाएं स्वयं बदल गई हैं और अपनी योग्यता से अपना मुकाम हासिल कर रही हैं। स्कूलों और कॉलेजों के दौरों पर मुझे यह स्पष्ट दिखाई देता है। आज की लड़की अपनी क्षमताओं और शक्तियों के बारे में जागरूक है। वह पूछती है कि 'वह' क्यों नहीं बन सकती जो वह बनना चाहती है? अथवा अपने आदर्शों के अनुरूप क्यों नहीं सफल हो सकती? आज की औरत एक जागरूक औरत है। उसे यह गंवारा नहीं कि उसे बताया जाए कि उसे क्या करना है। उसे पता है कि वह क्या चाहती है। वे प्रेरित हैं और सफलता की ओर बढ़ रही हैं। वे अपनी भूमिकाएं पहचान रही हैं और उन तक पहुंच रही हैं। जितने अवसर आज हैं, उतने पहले कभी नहीं थे। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो उनकी क्षमता से परे हो। उन्होंने यह सब स्वयं अपने लिये देख रखा है। वे अपनी योग्यता के बल पर आगे आ रही हैं किसी के संरक्षण के कारण नहीं। वे इस देश का नया चेहरा सिद्ध हो रही हैं।

नये युग कि महिला केवल सुरक्षा हेतु विवाह की ओर नहीं देखती बल्कि वह मैत्री और साथ भी चाहती है ताकि उसको आगे बढ़ने का मौका मिले। वह पुरुषों अथवा अपने परिवार के दबदबे को नकारने के साथ समान रूप से उनको चुनौती भी दे रही है। पहले ऐसा कभी नहीं देखा गया।

इसमें आश्चर्य नहीं कि इससे दो चीजें बढ़ रही हैं। पहला, अलगाव (तलाक) की संख्या में वृद्धि। निश्चय ही दुर्व्यवहार के प्रति महिलाओं में सहिष्णुता कम हुई है और वे आत्मसम्मान पर हमला भी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पातीं। दूसरा, इस तरह की महिलाओं के लिये अपना मुकाम पाने के लिये शादी करना अब ज़रूरी नहीं रहा। इसका अर्थ है कि विलंबित विवाह या शादी न करना भी एक विकल्प है उनके लिये। मातृत्व भी छोटे परिवार के सिद्धांत के चलते सोची-समझी बात होती जा रही है।

यह नयी भारतीय महिला है। अत: अब सारा उत्तरदायित्व इस नये वर्ग की महिलाओं, विशेषकर विशेषाधिकार प्राप्त महिलाओं पर है कि वे ऐसे नये भारत का निर्माण करें जिसमें अतीत और वर्तमान की सर्वोत्तम खूबियां हों और जो भारत को मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण महाशक्ति बना सके। ऐसा देश जहां सभी के लिये पर्याप्त सुविधा हो परंतु सुविधा विहीन लोगों के लिये भी कुछ न कुछ निश्चित रूप से उपलब्ध हो। ❑

(ई-मेल : kiranbedi2005@yahoo.co.in)

IAS PCS

CENTRE FOR AMBITION

मिश्न हमारा—जुनून आपका

संस्था की विशेषताएँ

- आधुनिक तकनीक द्वारा शिक्षण कार्य
- सप्ताह के सातों दिन नियमित कक्षाएँ
- समयबद्ध एवं योजनाबद्ध तैयारी
- हॉस्टल व मैस की सुविधा
- 24 घण्टे आधुनिक लाइब्रेरी की सुविधा
- लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्यों द्वारा समय समय पर विशेष मागदर्शन

उपलब्ध विषय

- इतिहास–द्वारा :– अजय वर्मा (इला.) नगेन्द्र प्रताप सिंह (लेखक किरण कम्पटीशन, इला.)
- भूगोल–द्वारा :– डॉ. राघव दुबे (इला.)
- अर्थशास्त्र–द्वारा :– के. बशर (दिल्ली)
- लोकप्रशासन–द्वारा:– अजीत सिंह एवं अमित गुप्ता (इला.)

G.S - By Eminent Team

Fully Air Conditioned (A.C.) Class Room

समाज शास्त्र
(Sociology)
by
अजीत सिंह एवं चेतना सिंह
(लेखक — उपकार प्रकाशन)

—: फाउन्डेशन कोर्स :—
इण्टर पास विद्यार्थियों हेतु तीन वर्षीय विशेष कोर्स

संस्था के सभी विद्यार्थियों को दिल्ली व इलाहाबाद की प्रमुख संस्थाओं के अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन ।

S.C., S.T., OBC, WOMEN तथा सामान्य वर्ग के गरीब छात्रों हेतु फीस में विशेष छूट।

OUR SELECTIONS

CENTRE FOR AMBITION

Head Office : 29, Kailash Vihar, Gailana Road, Agra
City Office : B-3, Akhilesh Tower, Hari Parwat, Agra
Ph.: 0562- 2602674, (M) 9411207960, 9219631474

YH-10/08/10

पंचायतों के माध्यम से महिला सशक्तीकरण

● अरविंद कुमार

पुरुषवादी मानसिकता के शिकार लोग अक्सर यह तर्क देते रहे हैं कि निरक्षर महिलाएं पंचायतों का कामकाज ठीक ढंग से नहीं समझ सकती हैं लेकिन सर्वेक्षणों के निष्कर्ष इसके उलट हैं

पिछले 15-16 वर्षों से भारत में महिला सशक्तीकरण का नया दौर शुरू हुआ है। यह सशक्तीकरण ज़मीनी स्तर पर हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ जहां लोकसभा और विधान सभाओं के लिये 33 प्रतिशत आरक्षण का मसला बारह-तेरह वर्षों से लंबित पड़ा है, दूसरी तरफ पंचायतों में महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत आरक्षण लागू होने से ज़मीनी स्तर पर काफी बदलाव हुए हैं और एक नयी राजनीतिक संस्कृति भी विकसित हुई है। आज भारत में 12 लाख से अधिक महिला निर्वाचित प्रतिनिधि हैं जो दुनिया के किसी भी देश में नहीं हैं। इतना ही नहीं अगर पूरी दुनिया के निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या जोड़ी जाए तो वह संख्या इन भारतीय निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों से कम ही है। पंचायतीराज मंत्री मणिशंकर अय्यर बार-बार कहते हैं कि भारत में एक मौन लोकतांत्रिक क्रांति हो रही है जो अभी राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक रूप से भले ही दिखाई नहीं दे रही है पर उसकी धीमी आंच भारतीय लोकतंत्र को मज़बूत बना रही है। इतना ही नहीं यह क्रांति देश में सत्ता-विमर्श के ढांचे में भी बदलाव ला रही है। पंचायत स्तर पर इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी ने स्थानीय स्तर पर सामुदायिक जीवन और उसकी चेतना तथा संस्कृति में भी परिवर्तन लाया है।

इन निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों में दलित, आदिवासी, पिछड़ी जाति तथा मुस्लिम महिलाएं भी हैं। इन महिलाओं ने सत्ता के जातीय समीकरण को ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक समीकरण को भी बदल दिया है।

पंचायतीराज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधियों के बारे में भी एसी नीलसन ओआरजी मार्ग के अध्ययन से पता चलता है कि पंचायतीराज संस्थाओं में बड़ी संख्या में बीपीएल और निरक्षर उम्मीदवार भी हैं। इसमें यह भ्रम निर्मूल होता है कि चुनावी राजनीति में धन-बल ही काम करता है। राष्ट्रीय राजनीति में भले ही यह अधिक नजर आता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर राजनीति में अभी यह उतना महत्वपूर्ण कारक नहीं बना है। बीपीएल जीवन के लोगों का पंचायतीराज संस्थाओं में आना और विशेषकर महिला बीपीएल उम्मीदवारों की भागीदारी इस बात की सूचक है कि स्थानीय स्तर पर सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं के क्रियान्वयन में सामंती और सवर्णवादी पूर्वाग्रह तथा मनमानी कम हो सकेंगे। यह भारतीय समाज और राजनीति के लिये शुभ लक्षण है।

पंचायतीराज संस्थाओं में महिला सशक्तीकरण से न केवल दोपहर का भोजन कार्यक्रम, सर्वशिक्षा

अभियान, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, रोज़गार गारंटी योजना आदि के क्रियान्वयन में भी फ़र्क पड़ा है बल्कि ग्रामीण महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति सचेत हुई हैं। उनमें अन्याय, दमन और शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने की हिम्मत बढ़ी है। इस तरह ग्रामीण महिलाओं के व्यक्तित्व में भी परिवर्तन आया है। उनमें आत्मविश्वास तथा जोश भी आया है। वे आसपास की घटनाओं के प्रति सजग हुई हैं। ग्रामीण इलाकों में होने वाले रचनात्मक कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी बढ़ी है। उनमें राष्ट्र और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का भाव भी विकसित हुआ है।

कई मामलों में यह सही है कि महिला पंचायतों के पति के हाथ में ही कमान है और वे अपनी पत्नियों को अपने रिमोट कंट्रोल से संचालित करते हैं तथा उनका अपने फायदे के लिये इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन यह पूरी वास्तविकता नहीं है। कई सर्वेक्षणों से इस भ्रम का भी निराकरण हुआ है। सर्वेक्षणों से यह बात भी सामने आई है कि महिला पंचायतों में साक्षर महिलाओं की भी अच्छी-खासी संख्या है और निरक्षर महिलाएं भी अपना कार्य अच्छी तरह करती हैं, उनका प्रदर्शन पुरुष प्रतिनिधियों से किसी मायने में कम नहीं है।

पुरुषवादी मानसिकता के शिकार लोग अक्सर यह तर्क देते रहे हैं कि निरक्षर महिलाएं पंचायतों का कामकाज ठीक ढंग से नहीं समझ सकती हैं और वे अपने पतियों द्वारा संचालित मोम की गुड़िया साबित होंगी, लेकिन सर्वेक्षणों के निष्कर्ष इसके उलट हैं।

देश में साक्षरता बढ़ने तथा ग्रामीण स्वास्थ्य के सुधरने से महिला पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका भी पहले से बेहतर होगी। देश में जिस तरह ई-गवर्नेंस शुरू हो रहा है, उसका असर पंचायतों पर भी पड़ेगा। देश में अभी लाखों पंचायत घर बनने हैं और प्रत्येक पंचायत घर में कंप्यूटर लगाने की योजना है। इसके लिये महिला पंचायत प्रतिनिधियों को भी प्रशिक्षित किया जाना है। कई स्वयंसेवी संगठनों की मदद से सरकार महिला पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने का भी काम कर रही है।

चूंकि अभी देश में नौकरशाही उतनी चुस्त नहीं है, स्थानीय प्रशासन ढीला है और कई राज्यों की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है एवं पंचायतों को अभी वित्तीय अधिकार नहीं मिले हैं, इसलिये पंचायतों के जरिये होती मौन क्रांति का नतीज़ा अभी उतना आकर्षक नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन जब संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण लागू होगा तो महिला पंचायत प्रतिनिधियों के लिये एक नया राजनीतिक रास्ता खुलेगा और वे उस पर आगे बढ़ते हुए संसद तक पहुंचेंगी। उनके पास एक नया अनभुव होगा जिसका फायदा नीतियों के निर्धारण में मिलेगा।

यही सही है कि केवल राजनीतिक सशक्तीकरण से ही महिलाओं का संपूर्ण सशक्तीकरण नहीं होगा। राजनीतिक सशक्तीकरण की दृष्टि से भारत की महिलाओं का स्थान 128 देशों में 21वें स्थान पर है, लेकिन आर्थिक भागीदारी, शैक्षणिक मामले एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से भारतीय महिलाओं की पूरे विश्व में रैंकिंग क्रमश 122, 116 तथा 126 है। इस तरह महिला सशक्तीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये उत्पादन और आय अर्जन के क्षेत्र में महिलाओं को आगे आना है, स्कूलों, कॉलेजों में उनके दाखिले का प्रतिशत बढ़ाना है तथा स्वास्थ्य सुविधाएं एवं पौष्टिक आहार की मात्रा बढ़ानी होगी, तभी एक स्त्री सही अर्थों में सशक्त हो पाएगी। ❑

(लेखक यूनीवार्ता के विशेष संवाददाता हैं)

I.A.S. EDUCATIONAL SOCIETY
(Regd.)
BESTAVARI PETA - 523334
Prakasam Dist. A.P.

NOTIFICATION (1/2008)

I.A.S. Educational Society Introduces I.A.S. Foundation Crash Course to all I.A.S. aspirants. It is a no Profit organization. In this Postal Course you will get all you need. This opportunity is available to 1000 aspirants only. You will Choose the following subjects :

Geography, History, Physics, Political Science, Public Administration, Sociology.

CONTENTS OF I.A.S FOUNDATION CRASH COURSE..

1. 15 General Studies Model Papers (Preliminary)
2. 15 Optional Model Papers (Preliminary)
3. 15 Indian Launguage Papers (Mains)
4. 15 Compulsory English Launguage Papers (Mains)
5. 15 Essay Papers (Mains)
6. 15 General Studies Paper - 1' Papers (Mains)
7. 15 General Studies Paper - 2' Papers (Mains)
8. 15 1st Optional Paper - 1' Papers (Mains)
9. 15 1st Optional Paper - 2' Papers (Mains)
10. 15 2nd Optional Paper - 1' Papers (Mains)
11. 15 2nd Optional Paper - 2' Papers (Mains)
12. Strategy on How to Prepare for Preliminary and Manins General Studies.
13. Strategy on How to Prepare for Preliminary and Manins Optional Papers.
14. I.A.S Syllabus.
15. Strategy on How to tackle Mains Examination.
16. Personality Development Technics.
17. Pocket Constitution.
18. A set of Practice Maps
19. Explanation on special words regarding to Question papers.

* These Includes Previous and highly Structured Model Papers with Model Answers.

This I.A.S .Foundation Crash course costs Rs. 5100/- but I.A.S. Educational Society offers Subsidised price at Rs. 1050/- only. Intrested I.A.S. aspirants may apply with request Letter along with M.O. or D.D for Rs. 1050 in favour of I.A.S Educational Society, Payable at Bestavaripet. These shouldbe sent to I.A.S Educational Society D.No. 9-48-16, E. Colony, Bestavaripet - 523334, Prakasam Dist. A.P. before Nov. 15, 2008.

Sd/-
Secretary

Last Date : 15-11-2008

YH-10/08/6

अर्थव्यवस्था में महिलाओं की स्थिति

● संगीता कुमार

देश में महिलाओं की स्थिति को जानने के लिये हमें उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक जीवन के बारे में जानना आवश्यक है। इसके अंतर्गत बहुत सारे पहलू सम्मिलित होते हैं जैसे - शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, प्रतिव्यक्ति आय, जीवनस्तर, प्रजननता, जन्मदर, शहरीकरण, सामाजिक मानसिकता, परंपरा राजनैतिक एवं वैधानिक अधिकार इत्यादि।

महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन करने वाले महत्वपूर्ण घटक

साक्षरता दर

शिक्षा मानवीय विकास का केंद्रबिंदु है। साक्षरता से अन्य कई सामाजिक समस्याओं जैसे - ऊंची जन्मदर, स्वास्थ्य की देखभाल का अभाव, अज्ञानता एवं निर्धनता के समाधान में सहायता मिलती है। हमारे देश में इस प्रक्रिया में अधिकांश महिलाएं पीछे रह गईं हैं। यही कारण है कि वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में शोषण व अत्याचार का शिकार हुईं। महिलाओं में शिक्षा के अभाव का तात्पर्य उनमें आत्मनिर्भरता तथा आत्मविश्वास की कमी है जिसके कारण वह अपनी समस्याओं का स्वत: ही समाधान करने में समर्थ नहीं हैं। महिलाओं का शिक्षित होना अति आवश्यक है क्योंकि वह परिवार को शिक्षित करती हैं। किंतु अधिकांश लोग शिक्षा को नौकरी प्राप्त करने का साधन मात्र समझते हैं अत: वे लड़की की शिक्षा प्राप्त करने को सामाजिक दृष्टि से हेय समझते हैं। अधिक शिक्षित होने पर विवाह तथा दहेज संबंधी समस्याएं उपस्थित होने के भय से भी लोग लड़कियों की शिक्षा की उपेक्षा करते हैं।

विगत 10-15 वर्षों के दौरान बालिकाओं का स्कूल जाना उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। बावजूद इसके सबके लिये शिक्षा संतोषजनक नहीं है और लैंगिक समानता न हो पाने की आशंका है। योजना के हर एक पहलू में लैंगिक संदर्भ शामिल किया जाना ज़रूरी है। उदाहरण के लिये विद्यालयों में बालिकाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत यह अपेक्षित था कि किसी भी प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त हर दूसरा शिक्षक महिला होगी। भारत में आर्थिक सुधार के पश्चात महिला साक्षरता बढ़ाने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं और इसके कुछ सकारात्मक परिणाम मिलने प्रारंभ हुए हैं। सरकार द्वारा विभिन्न शिक्षा कार्यक्रमों को संचालित किया जा रहा है, जैसे सर्वशिक्षा अभियान, शिक्षा गारंटी और वैकल्पिक एवं प्रयोगात्मक शिक्षा, कस्तूरबा गांधी स्वतंत्र विद्यालय योजना, शिक्षा सहयोग योजना इत्यादि। इन कार्यक्रमों में महिलाओं एवं समाज के वंचित वर्गों की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया है। यूनेस्को ने भारत के प्रयासों के लिये दो बार लगातार साक्षरता पुरस्कार देकर केरल तथा पश्चिम बंगाल की सराहना की है।

तालिका : 1

ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में महिला-पुरुष साक्षरता दर प्रतिशत में

वर्ष	ग्रामीण		शहरी	
	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष
1951	8.60	4.90	45.10	22.30
1961	29.10	8.60	57.70	34.50
1971	33.70	13.10	61.20	42.00
1981	17.97	40.79	47.83	65.73
1991	24.40	47.40	54.00	69.30
2001	46.58	71.18	72.94	86.42

स्रोत : जनगणना, 2001

रोज़गार स्तर

आज भागीदारी की दृष्टि से कृषि, पशु व्यवसाय, हथकरघा आदि क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान के अनुपात में काफी सीमा तक वृद्धि हुई है। पिछले दशक में महिलाओं की क्रियाओं से संबंधित नये आयाम उभरकर सामने आए हैं। अब महिलाएं इलेक्ट्रॉनिक्स, टेली कम्यूनिकेशन, उपभोक्ता उत्पादन, संगठित क्षेत्र के उद्योग, विधि, चिकित्सा संबंधी, प्रशासनिक तथा अन्य महत्वपूर्ण व्यवसायों में आगे आ रही हैं। महिलाओं के लिये कार्य शब्द का कोई अर्थ, परिभाषा व सीमा निर्धारित नहीं है। यद्यपि महिलाएं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 60-80 प्रतिशत तक योगदान करती हैं तथापि उनकी बहुत सारी क्रियाओं को सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सम्मिलित नहीं किया जाता है। एक अनुमान के आधार पर महिलाओं की अवैतनिक श्रम की नकद वार्षिक क़ीमत लगभग 4 खरब डॉलर होती है जो विश्व के सकल राष्ट्रीय उत्पाद का एक तिहाई भाग है। अर्थव्यवस्था में महिलाओं की आर्थिक क्रियाओं में संलग्नता विकास की दृष्टि से अत्यधिक महत्वूपर्ण है।

पुरुषों की तुलना में महिलाओं की कार्य में भागीदारी की दर बहुत कम है। 2001 में कुल कार्यशील पुरुष 51.9 प्रतिशत थे और महिलाएं

केवल 25.7 प्रतिशत थीं। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में कार्य की दर महिला तथा पुरुष दोनों में ही अधिक है। भारत में महिला श्रमिक की संख्या अधिक है। वे घर तथा बाहर दोनों जगह काम करती हैं लेकिन उनका काम श्रमिक सांख्यिकी रिपोर्ट में शामिल नहीं होता तथा उनके कार्य की कोई गणना नहीं होती है।

आर्थिक सुधारों के बाद से महिलाओं का योगदान धीरे-धीरे बढ़ रहा है। वह प्रत्येक क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। चाहे वह निजी क्षेत्र हो या सार्वजनिक क्षेत्र। संगठित क्षेत्र में महिलाओं का योगदान 2001 में बढ़कर 17.8 प्रतिशत हो गया। प्रमुख उद्योगों में महिला कर्मचारियों की संख्या के विश्लेषण से पता चलता है कि अधिकतर महिलाएं सामुदायिक, सामाजिक और निजी सेवा क्षेत्र में कार्यरत हैं। बिजली, गैस, पानी आदि क्षेत्रों में सबसे कम संख्या में महिलाओं को रोज़गार मिला हुआ है। वर्ष 2000 में कारखानों एवं वृक्षारोपण में कार्यरत श्रमिकों में महिला श्रमिकों की संख्या क्रमशः 10 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत थी। महिला श्रमिकों के बारे में सरकारी नीतियों का मुख्य उद्देश्य उनके काम में आने वाली बाधाओं को दूर करना, मज़दूरी, मोलभाव क्षमता और सेवा शर्तों में सुधार लाना, कुशलता बढ़ाना तथा उनके लिये रोज़गार के बेहतर अवसर जुटाना है। भारत में राष्ट्रीय आय में महिलाओं का योगदान केवल 10 प्रतिशत है उनका शेष 90 प्रतिशत कार्य असंगठित क्षेत्रों में कम मज़दूरी और बिना मज़दूरी के होता है। असंगठित क्षेत्रों में कम से कम 80 प्रतिशत महिला श्रमिक कार्य करती हैं। वे कृषि क्षेत्र, मछलीपालन, खादी एवं ग्रामीण उद्योग, हैंडलूम, हस्तकला, निर्माण कार्य, घरेलू कार्य, खाद्य-उद्योग आदि विभिन्न उद्योगों में कार्यरत हैं। असंगठित क्षेत्रों में महिला श्रमिकों की स्थिति पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों में महिलाओं का शोषण होता है, उनसे कम मज़दूरी पर कार्य कराया जाता है तथा उनके रोज़गार की भविष्य में कोई सुरक्षा नहीं होती।

स्वास्थ्य की स्थिति

हमारे देश में महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति हमेशा से ही एक गंभीर विषय है। सरकार की भूमिका इस दिशा में स्वतंत्रता पूर्व काल में उनके दायित्वों के अनुरूप नहीं रही है। स्वतंत्रता उपरांत स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में पर्याप्त प्रगति हुई है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के उत्पादन कार्यों में महिलाएं 80 प्रतिशत तक योगदान करती हैं। चूंकि महिला की सबसे बड़ी अयोग्यता उसकी अस्वस्थता ही है और उसके कंधों पर न केवल आज की अर्थव्यवस्था के विकास का दायित्व है वरन भावी अर्थव्यवस्था किस स्वस्थ पीढ़ी के कंधों पर टिकी होगी, यह भी महिलाओं के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। अतः महिलाओं के स्वास्थ्य पर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। किंतु भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार से संबंधित गंभीर प्रयास भी पक्षपातपूर्ण सामाजिक रीति-रिवाजों तथा सांस्कृतिक परंपराओं के संदर्भ में हल किए जाते रहे हैं।

यद्यपि भारत में नियोजित विकास की शुरुआत से ही महिलाओं की समस्याओं को जानने तथा मातृत्व व बाल सेवाओं से संबंधित प्रयत्नों को प्राथमिकता प्रदान की गई तथापि महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी गुनात्मक व मात्रात्मक दशाओं में सुधार के प्रयास अभी तक अधूरे ही हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से प्रभाव डालने वाले सांस्कृतिक मानदंड हैं - विवाह के प्रति दृष्टिकोण, विवाह की आयु, जनन क्षमता की दर, बच्चे का लिंग, पारिवारिक संगठनों की अभिरचना, परिवार में महिलाओं का स्थान व सामाजिक मान्यताओं के अनुसार महिला की अपेक्षित भूमिका। इन सभी कारणों का जनसांख्यिकीय महत्व है। कम आयु में विवाह, उच्च जनन क्षमता, माता व गृहणी की भूमिका का आदर्शीकरण महिला के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं।

विकासशील देशों में किए गए अध्ययनों के अनुसार महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी मुख्य समस्याएं निम्न हैं :

प्रसूतिकाओं व नवजात शिशुओं की बड़ी संख्या में मृत्यु, उनकी रोगग्रस्तता, जन्म के समय जीवन की संभावनाओं में कमी, कुपोषण, मानसिक विकृति, आत्महत्याओं की अधिक दर तथा कुछ स्त्रियोचित रोग। बच्चों को जन्म देना व उनका पालन-पोषण करना आज भी महिलाओं का परम कर्तव्य समझा जाता है। ये समस्याएं व उपर्युक्त समस्त सांस्कृतिक मानदंड परिवार में महिलाओं के स्थान, चिकित्सा संबंधी देखभाल की मात्रा, शिक्षा, पोषण व स्वास्थ्य संबंधी अन्य अभिगमों को निर्धारित करते हैं।

मातृत्व मृत्युदर

मृत्यु संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि स्त्रियों की मृत्युदर भी आयु वर्गानुसार परिवर्तित होती है। विवाहित स्त्रियों में 15-49 की आयु में ही मृत्यु की संभावनाएं अधिक होती हैं। शिशु को जन्म देने के कारण होने वाली मृत्यु मातृत्व मृत्युदर के अंतर्गत आती है। अल्पविकसित राष्ट्रों में जब कोई महिला गर्भवती होती है तो उसकी मृत्यु की संभावना विकसित देशों में होने वाली महिलाओं की अपेक्षा 200 गुना अधिक हो जाती है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट 2005 के अनुसार, मातृत्व मृत्युदर के आंकड़े सैकड़ों वर्ष पूर्व हज़ारों से घटकर अब दुनिया के आधुनिक शहरों व देशों में कुछ अंकों तक ही रह गए हैं। दुर्भाग्यवश मातृत्व मृत्यु के स्तर पर विकसित तथा विकासशील देशों में बहुत अंतर है।

भारत का विश्व में मातृत्व मृत्युदर में प्रथम स्थान है। मातृत्व मृत्यु अधिकांशतः एकांकी एवं छिपी हुई घटना है जिसकी गणना नहीं की जाती है। ऐसा मातृत्व मृत्यु को परिभाषित न करने की कमी के कारण नहीं होता बल्कि स्वास्थ्य एवं सूचना संबंधी जानकारी के अभाव के कारण होता है। मातृत्व मृत्यु सबसे अधिक एशिया के देशों में है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मातृत्व मृत्युदर सबसे अधिक है। भारत में ऊंची मातृत्व मृत्यु दर का एक कारण प्रसव के समय उचित चिकित्सा सुविधा का अभाव है।

स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के स्तर को बनाए रखने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर, दाई, नर्स आदि के बीच अनुशासनात्मक समन्वय होना चाहिए। ऊंची मातृत्व मृत्युदर का प्रमुख कारण प्रसव का अधिकतर घर में अप्रशिक्षित लोगों द्वारा किया जाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में आपातकालीन चिकित्सकीय सुरक्षा सुविधाओं का अभाव भी मातृत्व मृत्युदर को बढ़ाता है। हमारे समाज का प्रमुख रूप से नकारात्मक पक्ष कम उम्र में शादी, कम आयु में बच्चों को जन्म देना, दो बच्चों के मध्य अंतर का कम होना, परिवार का आकार, शिक्षा, सामाजिक-आर्थिक

रीति-रिवाज़ आदि हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिये सबसे अधिक आवश्यकता सरकार के सतत प्रयास, एक अनुकूल नीति, वातावरण एवं साधनों की है। सरकार की नीतियों में सरकारी एवं निजी क्षेत्र के योगदान को संतुलित करना शामिल है। सरकार के लिये सबसे बड़ी चुनौती सही नियमित व्यवस्था एवं अपने कार्य क्षेत्र के विस्तार को प्रोत्साहित करके निजी क्षेत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सुधार करना है।

पिछले 17 वर्षों में महिलाओं की स्वास्थ्य, साक्षरता, रोज़गार तथा प्रजननता में काफी सुधार हुआ है। इस स्थिति को देखते हुए इसमें और अधिक प्रयास की आवश्यकता है। महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिये निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं :

- सर्वप्रथम महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिये प्रयास करने होंगे। महिला संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं को इस दिशा में प्रयास करने होंगे।
- शहरों के साथ ही गांवों में महिलाओं का शोषण और उत्पीडन रोकने के लिये महिलाओं में शिक्षा का प्रसार करना होगा उन्हें संगठित होकर अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने की प्रेरणा देनी होगी।
- विद्यालयों में छात्राओं के शिक्षण के साथ जूडो-कराटे का प्रशिक्षण, कानूनी अधिकारों की जानकारी, यौन उत्पीड़न रोकने के लिये सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का सख़्ती से पालन, शोषण-उत्पीड़न संबंधी मामलों का जल्दी निराकरण, महिला मामलों में पुलिस की पूरी सजगता एवं सक्रियता, महिलाओं के लिये पृथक थानों की स्थापना आदि शोषण रोकने के लिये आवश्यक है।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिला भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- वर्तमान में लागू महिला संबंधी कानूनों में व्याप्त विसंगतियों को दूर करना जिसमें महिलाओं को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान कानूनी और वास्तविक रूप में सभी मानवाधिकार हासिल हों।
- महिलाओं को शिक्षित करना चाहिए ताकि वे घर तथा कार्य के दायित्व को ठीक प्रकार से निभा सकें।
- महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जिससे उनकी कार्य करने की क्षमता को बढ़ाया जा सके।
- महिलाओं को अपनी मानसिक प्रवृत्ति में परिवर्तन लाना होगा इससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि यदि संपूर्ण भारत में वास्तविक रूप में महिलाओं की स्थिति को सुधारना चाहते हैं तथा उनके शोषण को रोकना चाहते हैं तो इन सुझावों का पालन करना होगा और यह तभी संभव होगा जब महिलाएं आत्मनिर्भर हों, उनकी इच्छा-अनिच्छा एवं सुझावों का परिवार, समाज व राज्य स्तर पर सम्मान हो, उन्हें अपनी योग्यता बढ़ाने का अवसर मिले, देश का गौरव बढ़ाने में सहयोग का पूरा अवसर प्राप्त हो। ❑

(लेखिका अर्थशास्त्र विभाग, समाज विज्ञान संकाय, दयालबाग डीम्ड विश्वविद्यालय, आगरा में सीनियर लेक्चरर हैं)

IAS PCS
JIGISHA
IAS ACADEMY
The will to win IAS Exam. जहाँ चाह ... वहाँ राह
लोक-प्रशासन
द्वारा जे.पी. सिंह

Girtwar Dayal Singh
Rank 51
Marks 390

Rashid Munir Khan
Rank 69
Marks 357
नोट : इनकी इस शानदार सफलता में लोकप्रशासन के अंकों ने ही निर्णायक योगदान दिया है।
प्रथम बैच :
कक्षा प्रारम्भ : 14 अक्टूबर, सायं 6 बजे
बैच अवधि : 14 अक्टूबर से 28 फरवरी, 09
द्वितीय बैच :
कक्षा प्रारम्भ : 18 नवम्बर, प्रातः 8.30 बजे
बैच अवधि : 18 नवम्बर से 30 मार्च, 09
सीमित सीटें, पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर नामांकन
A-7 Basement, Jai Tower, Lane of Chawla Restaurant,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
09810569158, 09911668047
YH-10/08/9

उद्यमशीलता | विश्वसनीयता | संवेदनशीलता

निर्माण IAS

Give the best ... Take the best

हिन्दी माध्यम का उभरता सर्वश्रेष्ठ संस्थान

by **कमल देव (K.D.)**

स्थापना वर्ष के परिणाम ने इसे प्रमाणित कर दिखाया

हमारे सफल अभ्यर्थी

SAROJ KUMAR

Rank **22nd** हिन्दी माध्यम में प्रथम स्थान

G.S. पढ़ाने में कमल सर और उनकी टीम का विकल्प नहीं है।

NEELIMA

Rank **23rd** हिन्दी माध्यम में द्वितीय स्थान

G.S. QIP Class मेरे निर्माण में किया और उत्तर लेखन प्रभावी बना।

Neelima

इतिहास

Ranjit Kumar 100th Rank

Krishan Gopal 142nd Rank

R.K. Kedia 377th Rank

Ajay Jadeja 402nd Rank

Nimba Ram 470th Rank

Ranjeet Kumar 471st Rank

सामान्य अध्ययन

Amit Kr. 89th Rank

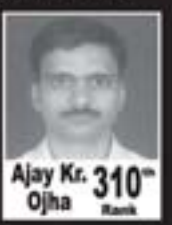

Ajay Kr. Ojha 310th Rank

Deepak Sharma 359th Rank

Mayank Sharma 417th Rank

Bhanu Chand 645th Rank

Anita Meena 679th Rank

सफलता की प्रथम सीढ़ी यह विश्वास है कि 'मैं कर सकता हूँ'

सा. अध्ययन

Next Batch : 1st Nov.

इतिहास

Next Batch : 5th Nov.

पत्राचार पाठ्यक्रम

आपके भविष्य निर्माण के हमारे आधार

- परिष्कृत लक्ष्यभेदी अध्ययन सामग्री
- परीक्षापयोगी विषय वस्तुओं पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण
- विशेषज्ञों से व्यक्तिगत संपर्क की सुलभता
- प्रश्नों की विविधता एवं बदलते स्वरूप के अनुसार अध्यापन
- उत्तर लेखन पर विशेष बल
- तथ्य व विश्लेषण की समन्वयात्मक शैली विकास का अभ्यास

सफलता के लिए मजबूत नींव आवश्यक है और नींव का निर्माण हम करते हैं।

12 Hudson Lane, Kingsway Camp, Delhi-9, # 9891327521, 47058219

YH-10/08/16

स्त्री अधिकारिता

सशक्तीकरण के भारतीय संदर्भ

● सरोज कुमार वर्मा

स्त्री सशक्तीकरण कोई पुरुष निरपेक्ष नहीं बल्कि सापेक्ष विमर्श है और इसके लिये पुरुष को भी लचीला और उदार होना पड़ेगा

स्त्री सशक्तीकरण वर्तमान दुनिया का बेहद ज़रूरी विमर्श है। चूंकि यह स्त्री की स्वतंत्रता, समानता, मज़बूती और महत्ता का हिमायती है, इसलिये इसे संपूर्ण मानव जाति के आधे हिस्से की बेहतरी से जुड़ा विमर्श कहा जा सकता है। यूरोप में इसकी शुरुआत कोई दो शताब्दी पहले हुई, जब 1792 में मेरी बोल्स्टन क्राफ्ट की पुस्तक *ए विन्डिक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ विमेन* का प्रकाशन हुआ। इसमें पहली बार मेरी ने फ्रांस क्रांति से प्रभावित होकर 'स्वतंत्रता-समानता-भ्रातृत्व' के सिद्धांत को स्त्री समुदाय पर भी लागू करने की मांग की। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कोई भी समतावादी सामाजिक दर्शन तब तक वास्तविक अर्थों में समतावादी नहीं हो सकता जब तक कि वह स्त्रियों को समान अधिकार और अवसर देने तथा उनकी हिफ़ाजत करने की हिमायत नहीं करता। इसलिये मेरी बोल्स्टन क्राफ्ट को स्त्री-मुक्ति का आदि सिद्धांतकार माना जाता है। बाद में स्त्री की इस मुक्ति की वक़ालत जॉन स्टुअर्ट मिल ने 1869 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द *सब्जेक्शन ऑफ विमेन* में की, जिसे और मजबूत स्वर मिला सिमोन द बोउबार की 1949 में प्रकाशित पुस्तक द *सेकेंड सेक्स* से। इनके अतिरिक्त जां आंतुआं कोन्दोर्से, ओलिम्पी द गूजे, चेर्नीशेव्स्की, अलेक्सान्द्रा कोल्लोन्ताई तथा जर्मेन ग्रीयर आदि ने भी स्त्रीवादी विचारों

को स्थापित और विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस सबके सम्मिलित एवं निरंतर प्रयास से ही यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान शुरू हुआ संगठित स्त्रीवादी आंदोलन सघन और व्यापक रूप ले सका।

भारत में स्त्री के हित और अधिकारों से जुड़े आंदोलन की शुरुआत उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में हुई। तब न्याय, नैतिकता, आचार और परंपरा से संबंधित विमर्श भी हुए। परंतु इन सब पर कहीं-न-कहीं राष्ट्रीय गुलामी की छाया पड़ी रही। बीसवीं सदी के राष्ट्रीय जागरण काल में यद्यपि स्त्री-मुक्ति की चिंता भी शामिल थी, लेकिन राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की तीव्रता के कारण यह चिंता कोई स्पष्ट आकार ग्रहण नहीं कर सकी। आकार की यह स्पष्टता कोई ढाई-तीन दशक पहले के स्त्रीवादी आंदोलनों में प्रकट होनी शुरू हुई, जब वैचारिक स्तर पर स्त्री-मुक्ति की नयी लहर उठी। स्त्री सशक्तीकरण इसी लहर की तार्किक परिणति है। इसलिये इसे वक़्त के कैनवस पर स्त्री के भविष्य का स्केच कहा जा सकता है। यह स्केच भारत सहित पूरी दुनिया में खींचा जा रहा है और यह प्रयास किए जा रहे हैं कि स्त्री इसमें अपनी इच्छानुसार रंग भर सके।

भारतीय इतिहास के वैदिक युग में स्त्रियों की स्थिति सुदृढ़ थी। उन्हें कुलदेवी का स्थान प्राप्त था। शिक्षा का समान अधिकार मिला था। तभी तो वे ज्ञानी, विद्वान, पंडित और विचारिका हुआ करती थीं। स्त्रियों द्वारा रची गई वेद की कई ऋचायें इसके प्रमाण हैं। संपत्ति पर भी उनका समान हक़ था। इसका उल्लेख *आपस्तंब-धर्म सूत्र* (2/29/3) में मिलता है। घर की स्वामिनी होने के बावजूद उनका कार्य क्षेत्र घर तक सीमित नहीं था। वे घर के बाहर भी निकलती थीं। क्षत्रिय स्त्रियों को तो युद्ध में सारथ्य करने का अधिकार प्राप्त था। परंतु बाद में उनकी स्थिति बदतर होती चली गई। उनके अधिकार छीनते चले गए। पुरुषों ने अपने लिये जो नियम-कानून बनाए, स्त्रियों को उनसे वंचित कर दिया। पति की सेवा, बच्चे का जन्म तथा गृहकार्य तक उनकी ज़िंदगी सिमट गई। पुरुषों ने उन्हें पराधीन, हेय और अशिक्षित करके घर में क़ैद कर दिया। उनकी हर सांस पर अपना अधिकार जमा लिया। वे एक निर्जीव पदार्थ के समान हो गईं जो अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध उफ भी नहीं कर सकती थीं।

स्त्रियों की यह दारुण स्थिति भारत समेत पूरी दुनिया में थी। सब जगह उनको पुरुषों के अत्याचार सहने पड़ रहे थे। उनके शोषण से रू-ब-रू होना पड़ रहा था और इसका आधार लिंग भेद था। जबकि लिंग के आधार पर ऐसा होना नहीं चाहिए। लिंग की भिन्नता शरीर की भिन्नता से तय होती है और शरीर की भिन्नता किसी को दोयम दर्जे की नहीं बनाती। शरीर के कारण कोई ऊंच-नीच, शिक्षित-अशिक्षित, मूर्ख-बुद्धिमान, स्वतंत्र-परतंत्र, समान-असमान तथा अधिकारयुक्त अथवा अधिकारच्युत नहीं होता और न होना चाहिए। इसलिये सिमोन ने इसका प्रतिवाद करते हुए कहा "शारीरिक भिन्नता के बावजूद ये सीमायें औरत की अनिवार्य और स्थायी नियति के रूप में नहीं स्वीकारी जा सकतीं। शारीरिक भिन्नता यह नहीं स्थापित करती कि औरत अन्या, गौण या यौनजनित सोपानीकरण में नीचे की सीढ़ी पर बैठी हुई है। ये जैविक परिस्थितियां औरत को अधीनस्थ भूमिका स्वीकारने के लिये मेरी समझ में बाध्य नहीं कर सकती।"

ऐसी ही समझ जब भारत में विकसित हुई तो यहां भी स्त्रियों की बेहतरी के प्रयास शुरू हुए। स्वतंत्रता, समानता, शिक्षा और स्वास्थ्य के उनके अधिकारों पर बल दिए गए। उन्हें घर से बाहर निकलने की सुविधा दी गई। अर्थोपार्जन के अवसर उपलब्ध कराए गए। उनके दायित्वों का संकुचित दायरा टूटा। सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्रों में भागीदारी के मौके मिले। उन पर लगी कई प्रकार की पाबंदियां और वर्जनाएं खत्म हुईं। इनमें कुछ तो स्त्रियों ने अपने संघर्ष से हासिल किए परंतु अधिकांश पुरुषों द्वारा राजनैतिक और वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत दिए गए, जो अबतक पर्याप्त नहीं हैं।

परंतु इससे बंद दीवार में एक खिड़की खुली, जिससे स्त्री को बाहर झांकने का मौका मिला। उनने सुनहरी धूप और ताज़ी हवा के बारे में जाना। उनमें दीवार से बाहर आने की ललक पैदा हुई। खुले आकाश में उड़ने की आकांक्षा ने पंख फैलाए। ऐसा इसलिये हुआ कि यद्यपि किसी भी तरह के राजनैतिक और वैधानिक प्रावधान सहजता से तत्काल समाज में स्वीकृत नहीं हो पाते, परंतु एक शुरुआत ज़रूर होती है जिसे धीरे-धीरे स्वीकृति मिलने लगती है, हालांकि इसमें एक लंबा वक़्त लगता है। स्त्री की समानता और स्वतंत्रता को लेकर भी ऐसा ही हुआ है। उसने इस दिशा में अतीत से लेकर अब तक एक लंबी यात्रा की है फलस्वरूप उसके स्त्रीत्व की छुई-मुई वाली मानक छवि में एक तब्दीली आई है और उस तब्दीली को समाज में स्वीकृति भी मिलने लगी है। बावजूद इसके अभी वह इतनी समर्थ नहीं हुई है कि इस बदली छवि को मनचाहे ढंग से सजा सके। स्त्री सशक्तीकरण इसी संपूर्ण सामर्थ्य के लिये किया गया प्रतिबद्ध और प्रामाणिक प्रयास है। इसका प्रस्थान बिंदु स्त्रियों द्वारा अपनी छवि और अपना कार्य दोनों के निर्धारण संबंधी अपना निर्णय स्वयं लेने का अधिकार है, जिसकी सार्थकता किसी के दे देने में नहीं, स्वयं आगे बढ़कर ले लेने में है। दरअसल, दूसरों द्वारा दी गई स्वतंत्रता भी परतंत्रता होती है जबकि अपने द्वारा ली गई परतंत्रता भी स्वतंत्रता। इसलिये स्त्रियों को भी अपनी स्वतंत्रता लेनी पड़ेगी। लेकिन स्वतंत्रता बहुत जोख़िम भरी होती है, क्योंकि उसके साथ जिम्मेवारी भी अवियोज्य रूप से जुड़ी रहती है। अतः स्त्रियों को सशक्तीकरण का दस्तावेज़ लिये ठहर कर सावधानीपूर्वक यह तय करना पड़ेगा कि उनकी स्वतंत्रता और समानता का स्वरूप कैसा हो और उन्हें प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या हो।

सावधानीपूर्वक इसलिये कि अक्सर ऐसा होता है कि शोषक वर्ग के विरुद्ध जब शोषित वर्ग संघर्ष करता है तो उसे अपनी मुक्ति शोषित वर्ग का प्रतिरूप बन जाने में ही दिखाई देती है। स्त्रीवादी आंदोलन भी इससे वंचित नहीं है। दुनियाभर में पुरुष वर्चस्व के खिलाफ़ जब स्त्रियों ने विद्रोह किए तो अपनी आज़ादी पाने के बदले अपनी पहचान ही गंवा बैठीं। प्रतिरूप को मूल का पर्याय मानने के कारण वे एक हास्यास्पद अनुकरण की शिकार हो गईं। वे एक मौलिक स्त्री बनने के बजाय नकली पुरुष बनने लगीं। पुरुष जैसे कपड़े पहनने, बाल कटाने, चलने-बोलने तथा शराब-सिगरेट पीने आदि को ही अपनी आज़ादी समझने लगीं, जबकि यह आज़ादी नहीं, पुरुषों की श्रेष्ठता स्वीकार कर लेने जैसी गुलामी ही है। यह ध्यान रहे स्त्री के पास एक अपने तरह का व्यक्तित्व है जो पुरुष से बहुत भिन्न है, बहुत विरोधी, बहुत अलग, बहुत दूसरा है। उसका सारा आकर्षण उसके जीवन की सारी सुगंध, उसके अपने होने में है, उसके निज होने में है। अगर वह अपनी

निजता के बिंदु से च्युत होती है और पुरुष जैसा होने की दौड़ में लग जाती है तो यह बात इतनी हास्यास्पद होगी जैसे कोई पुरुष स्त्रियों के कपड़े पहन कर दाढ़ी-मूछ कटा कर स्त्रियों जैसा बनकर घूमने लगता है तो वह हास्यास्पद हो जाता है। यह बात इतनी ही ग़लत है। इसलिये स्त्री, स्त्री की तरह बची रहे तभी वह स्वतंत्र, समान, सशक्त तथा सम्माननीय हो सकती है। पुरुष की नकल तो उसे और दोयम दर्जे की स्थिति में लाकर गुलाम और कमज़ोर बना देगी। यह बात स्त्रियों को गंभीरता से महसूस होगी।

इसी तरह उन्हें आज के बाज़ारवाद और उपभोक्तावाद के शिकंजे से भी अपनी आज़ादी और अस्मिता को बचाए रखने की ज़रूरत है। वैज्ञानिक आविष्कारों के बाद औद्योगिक प्रगति के क्रम में जो नयी सभ्यता विकसित हुई है उसके केंद्र में बाज़ार है। बाज़ार का दबाव आज हर क्षेत्र में है। आदमी की सोच, शैली, गति और दिशा सब बाज़ार तय कर रहा है। जो देश आर्थिक उन्नति के शीर्ष पर हैं, उनका मुख्य काम नये-नये उत्पाद निर्मित कर पूरी दुनिया में बेचना है। उनके नक़्शे-क़दम पर चलते हुए बाकि के देश भी यही कर रहे हैं। अब उत्पादों को ख़रीदने के लिये उपभोक्ता भी चाहिए। उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिये विज्ञापन का सहारा लिया जाता है। स्त्रियां इसका माध्यम बन रही हैं। वे अपने रंग-रूप के सहारे इन उत्पादों को बेचने में लगी हैं और प्रकारांतर से खुद अपना सौदा कर रही हैं। विज्ञापन इस नयी सभ्यता द्वारा स्त्रियों के लिये निर्मित किया हुआ नया बंध है, जो आकर्षक और खूबसूरत होने के कारण उन्हें सहज स्वीकार्य लगता है।

मगर इसके पीछे भी पुरुष की चालाकी और कुटिलता है। आज के अर्थयुग में अपने अधिकाधिक लाभ के लिये वह स्त्री का उपयोग कर लेना चाहता है। इसके लिये स्त्री का गुलाम रहना ज़रूरी है। इसलिये वह गुलामी के ज्यादा मोहक और नफ़ीस तरीक़े निर्मित कर रहा है, जो पहले से ज्यादा ठोस और सख़्त है। दिलचस्प बात यह है कि स्त्रियां भी इसे अपनी मुक्ति का पर्याय मान रही हैं। परंतु यह कितनी बड़ी विडंबना है कि स्त्री की मुक्ति और अधिकार की लड़ाई को देह की नग्नता और उपभोग की स्वच्छंदता से परिभाषित किया जाए? उसे वर्जनाओं से मुक्ति मिलने के बदले वस्त्रों से मुक्ति मिले। स्त्रियों ने अपने पुराने गहने, बंधन के प्रतीक मानकर इसलिये नहीं उतारे थे कि अपने बाल को काले-घने रखने तथा अंग-अनुपात का सौष्ठव बनाए रखने जैसे शरीर के रखरखाव संबंधी नये गहनों से सज-संवर कर फिर से बंध जाए। वरिष्ठ साहित्यकार प्रभाकर श्रोत्रिय इस पर विस्तार से विचार करते हुए कहते हैं, "यह सूक्ष्म और वायवीय क़ैद पहले की क़ैदों से ज्यादा मज़बूत है। यह अधिक चुनौतीपूर्ण इसलिये हो उठा है कि स्वयं स्त्रियों का एक वर्ग नये भ्रमजाल में फंसकर स्त्री मात्र को फंसा रहा है, बिना यह सोचे कि साबुन के सानिध्य में प्रेमिका जैसी लाज, साबुन और हवाखोरी के रिश्ते, सांसों की खुशबू से प्रेम संबंध का निर्धारण, असंख्य स्त्रियों को क्या संदेश दे रहा है। स्त्री क्यों इंकार नहीं करती कि वह बाज़ार का माध्यम नहीं बनेगी। अपनी व्यावसायिक आत्मनिर्भरता के बदले लाखों-करोड़ों स्त्रियों को वस्तुओं का दास नहीं बनाएगी। अपनी स्वतंत्रता और समानता के लिये संघर्ष करने वाली दुनिया की तमाम स्त्रियों और स्त्रीवादी आंदोलनों को इस साज़िश को समझते हुए इससे सचेत रहना पड़ेगा।"

फिर भारतीय स्त्रियों को एक अतिरिक्त सावधानी यह भी बरतनी पड़ेगी कि वे पश्चिमी स्त्रीवादी विमर्श को अपना आदर्श न मानें। कोई भी व्यक्ति वहीं के चौखटे तोड़ सकता है, जहां वह रहता है। इसलिये भारतीय स्त्री को भी यहां के चौखटों को पहचान कर उन्हें ही तोड़ने का प्रयास करना चाहिए। चूंकि भारतीय स्त्रीवादी आंदोलनों के विकास में पश्चिमी स्त्रीवादी आंदोलनों की महती भूमिका रही है, इसलिये भारतीय आंदोलनों पर पश्चिम का पर्याप्त प्रभाव रहा है और यहां के आंदोलन अपना उपजीव्य भी वहीं से प्राप्त करते रहे हैं। इसलिये यहां के व्यावहारिक कार्यक्रमों में भी वहां के आदर्शों और योजनाओं का समावेश रहा है। यहां के स्त्रीवादी आंदोलनों की बागडोर यहां के अभिजात वर्गों के हाथ में रही है और यहां अभिजात होने का अर्थ पश्चिमी शैली का जीवन जीना है। इसलिये इस वर्ग के द्वारा यहां के स्त्रियों के लिये जिस आज़ादी की वक़ालत की गई उसमें पश्चिम के तर्ज़ पर ही एकल जीवन की सुरक्षा, बिना विवाह के पुरुष के साथ रहने की स्वीकृति, कुंवारी मां बनने का अधिकार, विवाह करके भी मां नहीं बनने की छूट, तलाक की सुविधा, विवाहेतर यौन संबंधों की इज़ाजत, एक से अधिक विवाह का हक़ इच्छानुसार प्रेम-संबंधों की अनुमति आदि मिलने की स्वच्छंदता शामिल है। कुल मिलाकर यह एक ऐसी जीवनशैली की वक़ालत है, जिसमें जो मन में आए वही करने की आज़ादी हासिल हो। यद्यपि पश्चिम से प्रभावित अभिजात वर्ग की स्त्रियों ने ऐसी आज़ादी के लिये ईमानदार प्रयास किए परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। इसलिये कि उनके तमाम व्यावहारिक कार्यक्रम स्थानीयता से कटे रहे। यद्यपि इन्होंने न्याय, समानता, मानवीयता, स्वतंत्रता जैसे कई आधारभूत प्रश्न खड़े किए, जो पश्चिमी स्त्रीवादी विमर्श से इन्हें मिले हैं, परंतु यहां के लिये प्रासंगिक और ज़रूरी होने के बावजूद ये सारे प्रश्न बेमानी हो गए, क्योंकि इनका व्यावहारिक कार्यान्वयन भारतीयता के संदर्भ में नहीं किया जा सका।

इसलिये भारतीय स्त्रियों की स्वतंत्रता और समानता की रूपरेखा यहां की नैतिकता, परंपरा, संस्कृति और सभ्यता को ध्यान में रखकर तय करनी होगी, क्योंकि ये देश-काल सापेक्ष होती हैं, निरपेक्ष नहीं। इसलिये पश्चिमी समाज की परंपरा और नैतिकता भारतीय समाज के लिये स्वीकृत नहीं हो सकती, न वहां की सभ्यता और संस्कृति यहां के लिये अनुकरणीय। यही वजह है कि पश्चिम से आयातित यौन उन्मुक्तता, शरीर उद्योग, अनब्याही पत्नी तथा कुंवारी मां जैसे आदर्श अपवादों को छोड़कर भारत के शेष स्त्री समुदाय का अभीष्ट नहीं हैं। वह इनके बिना ही स्वतंत्रता और समानता प्राप्त करना चाहती है। यह बात भारतीय स्त्रीवादी आंदोलनों की अगुआई करने वाले स्त्रीवर्ग को भी समझ लेनी चाहिए। उन्हें यह स्वीकारना चाहिए कि भारतीय स्त्री के लिये सुखद दांपत्य और किलकते बच्चों की तुलना में शरीर और यौन संबंधी ज़रूरतें गौण महत्व की होती हैं। यहां की परंपरा भी ऐसी ही रही है। यहां वैयक्तिक तुष्टि के लिये अनियंत्रित यौन संबंधों की वक़ालत कभी नहीं की गई बल्कि संतानोत्पत्ति के लिये मर्यादित यौन संबंध की स्वीकृति दी गई है और उसका आधार एकनिष्ठ दांपत्य को माना गया है। इसलिये यहां की स्त्री यह जानती है कि परिवार और नैतिकता के संदर्भ में यौन स्वच्छंदता के बगैर भी वह समान और स्वतंत्र हो सकती है। इसलिये उसकी मुक्ति और समानता का

लोक प्रशासन (हिन्दी माध्यम) में सर्वोच्च स्थान के बाद एक बार फिर सर्वोच्च अंक

गिरिवर दयाल सिंह
390
(183/207)

मुकेश बहादुर सिंह : 342 (157/185)
अजय हिलोरी : 338 (151/187)
बलराज मीणा : 333 (160/173)
अनुभव वर्मा : 330 (.../...)
राजीव रंजन : 326 (149/177)
वीरेन्द्र कुमार पटेल : 323 (131/192)
और भी ...

लोक प्रशासन
(हिन्दी माध्यम)

By **Atul Lohiya**

(A person who believes in scientific approach and hard work)

UGC-NET
QUALIFIED IN TWO SUBJECTS
(HISTORY & PUB. ADMINISTRATION)

38 Rank
Shikha Rajput

51 Rank
Giriwar Dayal Singh

Virendra K. Patel 254 Rank
Ajay Hilori 391 Rank
Mukesh B. Singh 465 Rank
Shailendra S. Rathour 615 Rank

यू.पी.पी.सी.एस.-05 में अपार सफलता
छत्तीसगढ़ पी.एस.सी. में 15 वीं रैंक पर हमारे संस्थान के दृष्टिहीन छात्र आशीष सिंह ठाकुर

MPPSC-05 में Top-13 में 4

3 Rank
Aadesh Rai
6 Rank
Nimisha Jaiswal

N.A. 8 Rank Rinkesh Kumar
13 Rank Akhilesh K. Jain
Sanmati Kumar
92 Rank Shashi Kant
Deepali Jain

UPSC-06 में सर्वोच्च अंक - विकास कुमार-353 (184/169)

Abhishek Singh Topper, UPSC-06
Lokesh Lilhare Topper, UPSC-06
Vineet Jain Topper, UPSC-05
A.P.S. Yadav Topper, UPSC-04
Arvind Kumar Topper, UPSC-02
Tirthraj Agarwal SDM, 9th Rank, CG
Shikha Rajput 31st Rank, CG
Ranu Sahu (Dy. SP) 60th Rank, CG
Ram M. Sahu 39th Rank, MP
Prakash Chandra SDM Uttaranchal-02

आप भी प्राप्त कर सकते हैं 400+ अंक, कैसे? Winning Strategy के साथ

New Batch (Delhi): 10th Oct. & 13th Nov.
Admission Open from 1st Oct. '08

- *UPSC* के साथ *UP, MP, Raj., Bihar, Uttaranchal, Jharkhand Chhattisgarh, Haryana, Himachal PCS* की भी तैयारी;

संस्थान के सफल विद्यार्थियों द्वारा समय-समय पर मार्गदर्शन!

JOIN FOUNDATION COURSE
-: SHORT TERM COURSE :-
WRITING SKILL, ESSAY & PERSONALITY DEVELOPMENT

New Batch (Allahabad): 2nd Week of Nov.
Admission Open from 1st Nov. '08

पत्राचार पाठ्यक्रम भी उपलब्ध
(पूर्णतः संशोधित; परिमार्जित एवं परिवर्धित कम्प्यूटराइज्ड नोट्स)
MAINS - 3000/-
MAINS + PRE. - 4000/-
डाक खर्च - 200/- अतिरिक्त
Send DD/MO in favour of 'Atul Lohiya'

लोक प्रशासन
Mains के साथ-साथ
Pre. के लिए भी बेहतर विकल्प

'अतुल लोहिया'
शिक्षक; मार्गदर्शक और मित्र भी

"PRABHA"
AN INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION
105, VIRAT BHAWAN (MTNL BLDG.), NEAR BATRA CINEMA, MUKHERJEE NAGAR, DELHI-110009
Phone : 27653498, 27655134, 32544250. Cell.: 9810651005 • e-mail: atulprabha@gmail.com
Branch : 305/250, COLONELGANJ, NEAR COLONELGANJ POLICE STATION, ALLAHABAD.

YH-10/08/15

अर्थ उसके साथ किया जाने वाला मानवीय व्यवहार है, जिसके अंतर्गत उसके लिये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार तथा निर्णय के समान अवसर उपलब्ध हों। उसका दांपत्य जीवन सुखद तथा स्थायी हो तथा बांझ होने अथवा बेटे की मां न बन पाने की स्थिति में भी उसे अपमानित न होना पड़े। अत: उसके सशक्त होने का तात्पर्य पुरुष से सर्वथा विलग होकर कोई स्वायत्त स्त्री-समाज निर्मित कर लेना नहीं है, अपितु पुरुष के साथ रहते हुए उसका दृष्टिकोण बदल पाना है ताकि वह उसके साथ समान और सम्मानित व्यवहार कर सके। स्त्री विमर्श की प्रामाणिक लेखिका अर्चना वर्मा के शब्दों में "प्रश्न पुरुष पर निर्भरता से मुक्ति का नहीं, पुरुष का दृष्टिकोण बदल पाने का है जिससे कि निर्भरता में भी सम्माननीय रहा जा सके।"

यह इसलिये भी ज़रूरी है कि स्त्री-पुरुष के पार्थक्य से परिवार टूटता है, जिसका सर्वाधिक खामियाज़ा बच्चे को भुगतना पड़ता है। बच्चे भविष्य होते हैं, इसलिये उन्हें हाशिये पर रखकर किसी भी भविष्य के बारे में कोई भी सार्थक विचार संभव नहीं हो सकता। बेहतर भविष्य के लिये बच्चों का स्वस्थ्य और संतुलित विकास ज़रूरी है, जो सुखमय परिवार में ही संभव हो सकता है। एक अमरीकी सर्वेक्षण में यह बात स्पष्ट हुई है कि वहां के भारतीय बच्चे अमरीकी बच्चे की तुलना में विद्यमान तथा अन्य क्षेत्रों में इसलिये अधिक सफल हो पाते हैं कि उनका पालन-पोषण सुखी परिवार में होता है जबकि अमरीकी बच्चे इससे वंचित रह जाते हैं। ऐसा सुखी परिवार स्त्री-पुरुष की आपसी समझ और पारस्परिक सहयोग से बनता है।

इसके लिये स्त्री का आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना ज़रूरी नहीं है। यद्यपि आर्थिक स्वतंत्रता किसी के लिये भी स्वतंत्र होने की अनिवार्य शर्त हैं, परंतु इतने मात्र से कोई स्त्री स्वतंत्र हो जाएगी, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के बावजूद पत्नी का अपनी कमाई पर अधिकार नहीं होता। पति ज़ोर-जबर्दस्ती से उसे छीनकर अपने हिसाब से ख़र्च अथवा दुरुपयोग करता है। इसलिये वास्तविक स्वतंत्रता तो निर्णय की स्वतंत्रता है। अत: भारतीय पारिवारिक संरचना में यदि स्त्री का दांपत्य जीवन सुखी और अनुकूल है तो आर्थिक स्वतंत्रता के बगैर भी वह स्वतंत्र हो सकती है। बच्चों के बेहतर विकास के लिये यह और भी ज़रूरी होता है। अर्थोपार्जन के लिये घर से बाहर निकलने वाली स्त्रियों के बच्चे उपेक्षा और अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं जो उनमें हीनता और कुंठा पैदा करती है। फलत: उनका संतुलित विकास नहीं हो पाता। इसलिये आदर्श स्थिति तो यही होगी कि पति अर्थोपार्जन करें और घर तथा बच्चे का पूरा दायित्व पत्नी पर रहे और उसके इस कार्य को हर ढंग से पति के बराबर समझा जाए। इससे सहमत होते हुए मिल भी कहते हैं, "अगर घर या दांपत्य जीवन की आर्थिक स्थिति असंतोषजनक नहीं है, तो मेरे विचार में पत्नी को अपनी खुद की आय अर्जित करने की ज़रूरत नहीं महसूस होनी चाहिए।" मिल की इस सहमति से यह सिद्ध होता है कि यद्यपि यह भारतीय समाज का अभीष्ट है, परंतु पश्चिमी समाज के लिये भी उपयोगी है। हां! अगर परिवार की आर्थिक स्थिति संतोषप्रद नहीं है तब पत्नी का अर्थोपार्जन करना ज़रूरी हो जाता है लेकिन तब पति का भी दायित्व हो जाता है कि वह पत्नी का सहयोग करते हुए घर और बच्चों के काम में उसका हाथ बंटाए। ऐसी स्थिति में जब अर्थोपार्जन के लिये स्त्री का घर से बाहर निकलना ज़रूरी हो, उसके काम के घंटे, काम का समय, नौकरी की आयु सीमा, छुट्टियों का प्रावधान आदि पुरुषों से भिन्न होने चाहिए। इससे वह अपने बच्चे का पालन-पोषण सही ढंग से कर पाएंगी। मगर किसी भी हाल में सुखी परिवार और संतुष्ट दांपत्य में कोई बिखराव नहीं आना चाहिए ताकि बच्चे, जो पति-पत्नी दोनों की अमूल्य निधि और भविष्य हैं, का संतुलित और समुचित विकास हो सके। फिर बच्चों के साथ-साथ परिवार से स्त्री-पुरुष दोनों के हित भी जुड़े होते हैं।

इसलिये स्त्री सशक्तीकरण के लिये चलाए जाने वाले आंदोलन को स्त्री बनाम पुरुष की लड़ाई में बदलकर लड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि स्त्रीवादी विमर्श की इस बुनियादी स्थापना को स्वीकार कर लिया जाए कि स्त्री कोई बनी-बनाई चीज़ नहीं होती, बना दी जाती है तो फिर यह भी स्वीकारना पड़ेगा कि पुरुष भी कोई बनी-बनाई वस्तु नहीं होता, बना दिया जाता है और इन दोनों के बनने में परंपरा, इतिहास, समाज और शिक्षा आदि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिये स्त्रीत्व और पुरुषत्व के अब तक जो प्रतिमान गढ़े गए हैं, जैसे कोमलता, समर्पण आदि स्त्रियों के गुण और कठोरता, आक्रामकता आदि पुरुषों के गुण इत्यादि, उन पर फिर से विचार करने की ज़रूरत है और दोनों को अपने इन रूढ़ हो गए प्रतिमानों के खोल से बाहर निकलकर एक-दूसरे को अंतरंगता में जानना-समझना है ताकि उनके संबंध द्वंद्वात्मक न होकर सहयोगात्मक बनें। स्त्री तभी सशक्त हो सकती है और स्त्री का सशक्त होना केवल उसके हित में नहीं, बल्कि पुरुष के हित में भी है, और न केवल पुरुष के बल्कि सारे समाज और राष्ट्र के हित में है। कोई भी समाज और राष्ट्र अपने आधे अंग स्त्री की मुक्ति और मज़बूती के बिना उन्नति नहीं कर सकता। फिर स्त्रियों के सहयोग के बिना पुरुषों ने अकेले जो दुनिया बनाई है वह असंतुलित और अराजक है। इस हद तक हिंसक और आक्रामक है कि तीन हज़ार वर्षों में पंद्रह हज़ार युद्ध लड़े गए। यह पूरी मानवता के विक्षिप्त होने का प्रमाण है। ऐसा इसलिये हुआ कि अपनी कमज़ोर स्थिति के कारण स्त्रियों ने मनुष्यता के विकास में कोई योगदान नहीं किया। सारा विकास अधूरा और एकांगी रहा। स्त्री मज़बूत होकर इसे पूरा और सर्वांगीण बना सकती है। वह समाज, सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा आदि तमाम क्षेत्रों में बढ़कर योगदान कर सकती है। हिंसा मुक्त अहिंसक दुनिया की संरचना कर सकती है, एक ऐसी मानवता निर्मित कर सकती है जो प्रेम, सहयोग, करुणा और सहिष्णुता आदि सद्गुणों पर आधारित हो। ऐसा तभी हो सकता है जब स्त्री मजबूत हो। उसे ऐसी मज़बूती पुरुष से अलग होकर नहीं, उसे साथ लेकर ही मिल सकती है। इसलिये स्त्री सशक्तीकरण कोई पुरुष निरपेक्ष नहीं बल्कि सापेक्ष विमर्श है और इसके लिये पुरुष को भी लचीला और उदार होना पड़ेगा। चूंकि किसी दूसरे को गुलाम और कमज़ोर बनाकर कोई स्वयं मुक्त और मज़बूत नहीं हो सकता, इसलिये उसे समझना पड़ेगा कि स्त्री की मुक्ति और मज़बूती में ही उसकी भी मुक्ति और मज़बूती निहित है। ऐसी मुक्ति और मज़बूती के साथ जब स्त्री-पुरुष एक-दूसरे का सहयोग करेंगे तभी उन दोनों के साथ-साथ बच्चे, समाज, देश और दुनिया का भी हित संभव हो सकता है। ❑

(लेखक बीआरए बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर के दर्शनशास्त्र विभाग में व्याख्याता हैं)

हम होंगे कामयाब

● संतोष यादव

1992 और 1993 में दो बार एवरेस्ट विजय करने वाली विश्व की पहली महिला होने का विश्व रिकार्ड और पर्वतारोही के रूप में अपनी उपलब्धियों के लिये वर्ष 2000 में पद्मश्री से सम्मानित की जाने वाली संतोष यादव **इच्छाशक्ति, संकल्प और उत्साह का पर्याय बन चुकी हैं। वह हिमालय पर दुर्गम से दुर्गम और सुगम रास्तों से चढ़ने वाली एकमात्र पर्वतारोही हैं। देश-विदेश की कई अलंघ्य पर्वत चोटियों पर उन्होंने साहसपूर्ण चढ़ाई की है। यहां प्रस्तुत हैं जीवनपर्यंत पहाड़ों की ऊंचाई लांघने का हौसला रखने वाली इस स्त्री शक्ति के अपने जीवन और कार्यों के बारे में संस्मरण**

हिमालय आरंभ से ही सभी के लिये जिज्ञासा का विषय रहा है। जहां तपस्वियों ने इसे तपोभूमि बनाया वहीं दूसरी ओर पुरुषार्थियों के लिये यह उसके रहस्यों को खोजने का विषय रहा है। इसकी बर्फ़ से ढंकी ऊंची-ऊंची चोटियां पर्वतारोहियों तथा ट्रैकर्स के आकर्षण का केंद्र रही है, वे उसके समीप जाते तथा हर बार किसी नयी जानकारी के साथ वापस लौटते हैं। ये जानकारियां वे वहां की वनस्पतियों, पेड़-पौधों में छिपी औषधियों, खनिज पदार्थों उन पहाड़ों और उनके निवासियों के खान-पान, रहन-सहन, उनकी कठिनाइयों तथा उनकी संस्कृति की जानकारी के रूप में अपने साथ लाते हैं। पर्यावरण किस प्रकार गर्म, अशुद्ध व असंतुलित हो रहा है तथा उसे संतुलित किस प्रकार रखा जाए इस विषय में भी वे हमें जानकारी देते रहे हैं।

हिमालय रोमांचक आकर्षण और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण ही महान नहीं है, बल्कि अपनी अपार संपदा के लिये भी महान है। यह आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार की संपदाओं से परिपूर्ण है। कोई विशेष चुंबकीय शक्ति है। यह दैवी शक्ति, प्राकृतिक सौंदर्य व शांति का अनुभव ही मुझे बार-बार वहां खींचता रहा और मैं एक पर्वतारोही बनी। मेरी हिमालय की ओर राह एक जिज्ञासु के रूप में हुई।

आर्थिक स्थिति से संपन्न एक पारंपरिक परिवार में मेरा जन्म हुआ। हरियाणा का छोटा-सा गांव जोनियावास, जिला रेवाड़ी। उत्तर भारत के पारंपरिक परिवारों में साधारणत: लड़कियों का पैदा होना स्वागत योग्य नहीं होता जबकि लड़के के पैदा होने को वरदान माना जाता है और खुशी मनाई जाती है। लेकिन मैं भाग्यशाली हूं कि जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, मैं मां के गर्भ में पल रही थी तभी मेरी दादी मां ने कहा कि वे बेटा नहीं बेटी चाहतीं हैं। मैं परिवार के दो बेटों के बाद जन्मी तीसरी संतान थी, पांच भाइयों की एक बहन।

मेरे पिताजी की मैं बहुत लाड़ली रही हूं। बचपन में मुझको पिताजी के 'गले का हार' कहा जाता था। उस प्यार ने न केवल मुझे आत्मविश्वास बल्कि आत्मबल का भी धनी बनाया। जैसे-जैसे मैं बड़ी हो रही थी, लगभग 14 वर्ष की आयु में ही रिश्तेदार मेरी शादी की बात चलाने लगे, मां ने कहा अभी छोटी है। जब मैं 16 वर्ष की हुई, शादी का दबाव बढ़ने लगा। दूसरी तरफ मुझे चिंता पढ़ाई की हो रही थी। मेरी प्राइमरी शिक्षा गांव में हुई। शिक्षा का आधार उतना अच्छा नहीं था। छठी कक्षा के लिये पास के कस्बे धारूहेड़ा तक रोज़ाना 10 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता था, और स्कूल के नज़दीक एक हल्की-सी चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी जो मुझे बहुत कठिन लगती थी। इसलिये आज मुझे एवरेस्ट की चढ़ाई या पर्वतारोही बनना एक आश्चर्य लगता है। इस अनुभव से मुझे ज्ञात होता है कि मन की स्थिति, तीव्र इच्छा, ईमानदारी और दृढ़ संकल्प से कठिन से कठिन उद्देश्य को न केवल पूरा करना संभव होता है बल्कि आपके सकारात्मक विचारों की उन्नति भी होती है और यह आपके विवेक को भी जगाता है।

मेरी शादी की चर्चा अभी थमी नहीं थी। मैंने एक योजना बनाई जिसके बारे में मेरे माता-पिता और भाई को जानकारी नहीं थी। योजना थी कि मुझको जल्दी-जल्दी घर छोड़कर हॉस्टल में रह कर पढ़ाई करनी है जिससे न केवल मेरी पढ़ाई ठीक से हो सकेगी बल्कि माता-पिता व रिश्तेदारों का शादी के लिये मेरी तरफ ध्यान नहीं जाएगा। एक अच्छे कॉलेज में प्रवेश की चाह मेरे उद्देश्य का एक हिस्सा था। आखिर इस सफ़र में सफलता मिली और मैंने महारानी कॉलेज, जयपुर में प्रवेश पाया। यह परिवार की इच्छा के विरुद्ध था क्योंकि उनका उद्देश्य मेरी शादी कराना था जबकि मेरा उद्देश्य था आगे की शिक्षा पूरी करना। इन दोनों के बीच में भावनात्मक रूप से मुझे बहुत पीड़ा हो रही थी। क्योंकि मां-पिताजी और भाई मुझे बहुत प्यार करते थे और उनका दिल मैं दुखाना

नहीं चाहती थी।

यह एक संयोग की बात थी कि महारानी कॉलेज का हॉस्टल भर चुका था और 38 लड़कियों को यूनिवर्सिटी हॉस्टल कस्तूरबा में कमरा मिला, जहां से हरी-भरी खूबसूरत अरावली की पहाड़ियां दिखाई देती थीं। मेरे मन में प्रश्न उभरता था कि वहां क्या होगा। एक दिन मैं वहां गई। स्थानीय लोग पहाड़ खोद रहे थे, उनकी पारंपरिक वेशभूषा मुझे अच्छी लगी। अगले दिन मैंने स्केच बुक ली और उनके स्केच बनाए, क्योंकि मुझे चित्रकारी का शौक रहा है। एक दिन धीरे-धीरे मोरन से होकर मैं अरावली पर्वत श्रृंखला पर चढ़ गई। जब मैं नीचे उतर रही थी तो कुछ लोग रॉक क्लाइम्बिंग कर रहे थे, पर सभी लड़के थे, इसलिये उनसे कुछ पूछने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन मैं जैसे ही नीचे आई, एक आदमी बैठा हुआ था। मैंने बड़ी जिज्ञासा से पूछा, वे क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने मुझे पर्वतारोहण की जानकारी दी और कहा कि हिमालय पर भी जाया जा सकता है।

इसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने कुछ पैसे बचाए और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी के एक पाठ्यक्रम में नाम दर्ज़ कराया। जयपुर में मेरे कॉलेज का सेमेस्टर 19 अप्रैल, 1986 में पूरा होना था, परंतु संयोग से यह 19 मई, 1986 को पूरा हुआ। पर्वतारोहण के कोर्स के लिये मुझे 21 मई, 1986 को उत्तरकाशी में होना था इसलिये मैं हॉस्टल से घर वापस नहीं गई, इसके बजाय मैं सीधे प्रशिक्षण के लिये चली गई। मैंने अपने पिता को एक माफीनामा लिखा कि मैं उनकी अनुमति के बिना पर्वतारोहण प्रशिक्षण के लिये उत्तरकाशी चली गई।

इसके बाद मैं हर वर्ष साहसिक दौरे पर जाने लगी। पहाड़ पर चढ़ने का मेरा कौशल धीरे-धीरे परिपक्व होने लगा। इसके साथ ही ठंडक और ऊंचाई के प्रति भी मुझमें मज़बूती आ गई और मैं भारत-तिब्बत सीमा पुलिस में एक पुलिस अधिकारी के पद पर भी कार्यरत रही। जहां केवल जीडी काडर में पुरुष ही कार्यरत होते हैं। मेरे कठिन परिश्रम और ईमानदारी का परिणाम सन 1992 में मिला। केवल चौबीस वर्ष की उम्र में मैंने 12 मई, 1992 को माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया, और यह कारनामा अंजाम देने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बन गई। मेरे पर्वतारोहण के कौशल, शारीरिक फिटनेस और मानसिक ताक़त ने मेरे वरिष्ठ जनों को प्रभावित किया, अन्य लोगों के प्रति मेरी चिंता और उनके साथ कार्य करने की इच्छा से साथी पर्वतारोहियों के बीच मैंने एक खास जगह बना ली।

बारह माह के अंदर मैंने स्वयं को भारत-नेपाल साहसिक अभियान दल का सदस्य पाया। वहां से मुझे आमंत्रण मिला था। तब मैंने दोबारा एवरेस्ट पर 10 मई, 1993 को चढ़ाई की। इस प्रकार मैं एवरेस्ट पर दो बार चढ़ाई करने वाली विश्व की एकमात्र महिला बन गई। पर्वतारोहण के क्षेत्र में अपना और भारत का एक विशिष्ट स्थान बनाया।

पर्वतारोहण का मेरा सिलसिला यहीं थमा नहीं पुनः 1999 व 2001 में एवरेस्ट के नये कठिन रास्ते की खोज करते हुए मेरे नेतृत्व में टीम ने सफलतापूर्वक चढ़ाई की। इस अभियान के दौरान न केवल मेरे देश के पर्वतारोही साथी बल्कि विदेश के लोग भी चिंतित थे। एवरेस्ट अभियान का नेतृत्व करना, वह भी कांगसूंग फेस की तरफ से, काफी कठिन लक्ष्य था। लेकिन मैं सबकी बातों को मद्देनज़र रखते हुए, अभियान की योजना की तैयारी में जुट गई अपनी टीम के साथ, और आखिर में हम सफल हुएं। इस सफलता से पर्वतारोहण के क्षेत्र में हमारे देश ने विश्व में विशेष जगह बनाई।

भारत सरकार ने मुझे राष्ट्र के उच्च सम्मान पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार, भारत गौरव तथा अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया। इन उपलब्धियों को जब मेरे परिवारजनों ने अपनाया, तब मैंने अपने आप को भावनात्मक रूप से बहुत सम्मानित महसूस किया, क्योंकि आरंभ से वह मेरी उच्च शिक्षा व पर्वतारोहण के विरुद्ध थे।

पर्यावरण मेरे मिशन का एक उद्देश्य है। मैंने हिमालय से दोनों बार (वर्ष 1992 और 1993) 500 किलोग्राम कचरा जमा किया और उसे अपने सहयोगियों के साथ नीचे ले आई। ❑

(ई-मेल : sanyad@vsnl.com)

सदस्यता कूपन

नयी सदस्यता / नवीकरण / पता बदलने के लिये
(जो लागू होता हो उस पर '✓' का चिह्न लगाएं।)

मैं ..... (पत्रिका का नाम एवं भाषा) का ❑ वार्षिक (100 रुपये) ❑ द्विवार्षिक (180 रुपये) ❑ त्रिवार्षिक (250 रुपये) सदस्य बनने का इच्छुक हूं। डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर/मनीआर्डर संख्या ..... तारीख .....

नाम .....

वर्ग ❑ विद्यार्थी ❑ शिक्षक ❑ संस्था ❑ अन्य

पता :.....
.....
.....

पिन .....

नवीकरण/पता बदलने के लिये कृपया अपनी सदस्य संख्या यहां लिखें

डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर/मनीआर्डर *'निदेशक, प्रकाशन विभाग'* के नाम से बनवाएं और कूपन के साथ इस पते पर भेजें :

व्यापार व्यवस्थापक (प्रसार) प्रकाशन विभाग,
पूर्वी खंड-IV, सातवां तल, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066

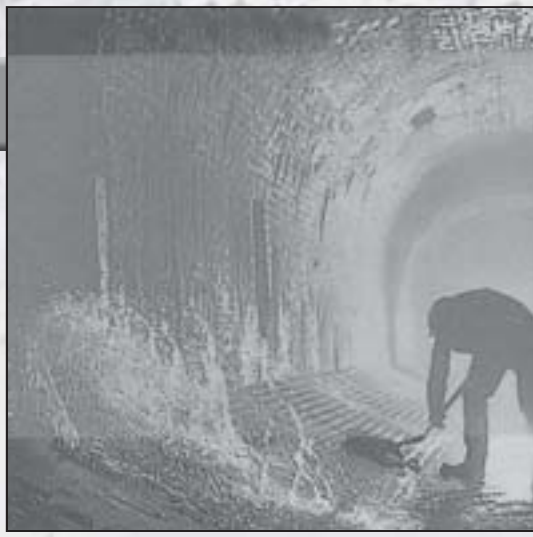

सफ़र सफ़ाई मज़दूरी से अधिकारिता का

● प्रज्ञा पालीवाल गौर

हो सकता कि मेरा पुनर्जन्म न हो, लेकिन यदि ऐसा होता है तो मैं चाहूंगा कि मेरा जन्म सिर पर मैला ढोने वाले परिवार में हो ताकि मैं उन्हें इस अमानवीय, अस्वास्थकर और घृणास्पद प्रथा से छुटकारा दिला सकूं।

- महात्मा गांधी

उषा, गुड्डी और सुशीला उन अन्य महिलाओं से भिन्न हैं जो रोज बिना नागा व्यावसायिक केंद्र पर अपनी दैनिक कमाई के लिये आती हैं। ये महिलाएं सुबह 9 बजे से 4 बजे शाम तक 'नयी दिशा' केंद्र पर आती हैं जहां वे पापड़ बनाती हैं, कपड़े सिलती हैं, ब्यूटीशियन का काम करती हैं और अचार तथा मोमबत्तियां बनाती हैं। राजस्थान के अलवर जिले में यह केंद्र बनाया गया है। इस काम से उन्हें कम से कम हर महीने 2,000 रुपये की कमाई होती है परंतु अपने घर में अलग से ऑर्डर मिलने के कारण उनकी कमाई इससे भी ज्यादा हो जाती है।

किसी आत्मनिर्भर महिला के लिये यह सामान्य बात लगती है, परंतु इन महिलाओं के मामले में विशेष यह है कि वे सभी पूर्व सफ़ाई मज़दूर हैं जो वर्षों तक मानव मल सिर पर उठाकर बाहर फेंकने का अमानवीय काम करती रही हैं। भरतपुर के डीग में सफ़ाई मज़दूरी के पेशे में लगे परिवार में जन्मी उषा अपनी मां और बहनों के साथ इस काम पर जाती थी। वह झाड़ू और एक कनस्तर के साथ कालोनियों की संकरी गलियों से होकर सिर पर मैला ढोने का काम करती रही। अलवर में अपनी शादी के बाद भी वह यही काम करती रही। वह अछूत थी और किसी भी मंदिर में उसे घुसने नहीं दिया जाता था।

ऐसा ही जीवन सुशीला चौहान का था। वह जब 10 साल की हुई तभी से अपने पिता और मां के साथ सफ़ाई का काम कर रही थी। अलवर के सुरेश के साथ शादी के बाद भी उसके जीवनचर्या में कोई अंतर नहीं आया और उसका दैनिक कार्य पूर्ववत चलता रहा। अमानवीय और दयनीय हालात में काम करते हुए ये महिलाएं मामूली मज़दूरी के लिये अपनी गरिमा न्योछावर करने को विवश थीं। जब इन महिलाओं ने अपने जीवन में बदलाव चाहा तो 'नयी दिशा' नामक व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र उनको सहयोग प्रदान करने के लिये आगे आया। इस संस्था की स्थापना सुलभ सफ़ाई आंदोलन (सुलभ इंटरनेशनल) के संस्थापक डॉ. बिंदेश्वर पाठक की पहल पर 2003 में हुई थी।

क़रीब 50 महिला सफ़ाई मज़दूरों का चयन किया गया और 'नयी दिशा' में उन्हें पूरी तरह से नयी दिशा मिली। 'नयी दिशा' की स्थापना का मकसद महिला सफ़ाईकर्मियों को उनके मौजूदा रोज़गार से निकाल कर समाज की मुख्यधारा में शामिल करना था। पुनर्वास और विकास का यह अनोखा मॉडल बनाने की अवधारणा के पीछे उनके जीवन में स्थायी बदलाव लाने की भावना थी। इस परियोजना का उद्देश्य इस तरह से उन्हें पुनर्वासित करने का था ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन जाएं और फिर

सिर पर मैला ढोने की प्रथा : कुछ तथ्य

- देश में सिर पर मैला ढोने वालों की संख्या अनिश्चित है। विश्वसनीय आधार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन जुलाई 1989 में योजना आयोग द्वारा गठित कार्य दल के अनुमान के अनुसार देश में मार्च 1991 तक चार लाख से अधिक लोग सिर पर मैला ढोने वाले थे। इनमें से 83 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में और 17 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में थे तथा 35 प्रतिशत सिर पर मैला ढोने वाली महिलाएं थीं। ये आंकड़े केवल अनुसूचित जातियों के हैं।

  मार्च 2003 को सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण मंत्रालय द्वारा आकलित आंकड़ों के अनुसार सिर पर मैला ढोने वालों की संख्या 6.76 लाख है।
- सिर पर मैला ढोना मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन है और मानव की गरिमा और महत्व पर आक्रमण है। यह इस देश में संविधान द्वारा प्रत्येक मानव को गरिमापूर्ण जीवन जीने की गारंटी का उल्लंघन करता है।

  माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जीने के अधिकार पर संविधान के अनुच्छेद 21 को गरिमापूर्ण जीने के रूप में परिभाषित किया गया है।

  24 जनवरी, 1997 को सिर पर मैला ढोने वालों के रोज़गार और शुष्क शौचालय निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993 को अधिसूचित किया गया। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कई राज्यों में यह प्रथा अभी भी प्रचलित है।
- निम्नलिखित राज्यों ने यह रिपोर्ट दी है कि उनके राज्यों में सिर पर मैला ढोने की प्रथा या तो पूरी तरह से समाप्त की जा चुकी है या शुष्क शौचालयों के न होने के कारण यह प्रथा अब प्रचलित नहीं है : अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, गोआ, हिमाचल प्रदेश, केरल, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और तमिलनाडु। ❑

से उन्हें सफ़ाई मज़दूरी के काम पर वापस न जाना पड़े।

इन महिलाओं के हितों को ध्यान में रखकर प्रशिक्षण का एक प्रारूप विकसित किया गया, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण, कटिंग एवं सिलाई, इम्ब्रायडरी, ब्यूटी केयर तथा व्यावहारिक साक्षरता जैसे पाठ्यक्रम शामिल थे। इन पाठ्यक्रमों को पूरा करने के बाद इन महिलाओं को वेतन के रूप में मासिक 2,000 रुपये भुगतान किया जाता है ताकि वे लौट कर सफ़ाई मज़दूरी के काम पर न जाएं। प्रशिक्षण के दौरान इन महिलाओं को न सिर्फ़ बैंककर्मियों से व्यवहार करना एवं चेकों पर दस्तख़त करना सिखाया जाता है, बल्कि उन्हें अपने उत्पादों को मुनाफ़े के साथ बेचने का तरीक़ा भी सिखाया जाता है। पुनर्वास के अलवर मॉडल ने इन महिलाओं के जीवन को सार्थक बना दिया है और उन्हें दुनिया में अपने लिये जगह बनाने की शिक्षा दी है। उनके जीवन में जो सामाजिक बदलाव आया है उसका प्रमाण यह तथ्य है कि जो लोग उनको अछूत मानते थे वही उनके द्वारा तैयार किए गए सामान (यहां तक कि खाने एवं पूजा की अगरबत्ती तक) ख़रीदते हैं। इन महिलाओं ने अपने आपको स्वसहायता समूह के रूप में संगठित किया है और बैंक से ऋण की सुविधा प्राप्त कर रही हैं ताकि वे अपने उत्पादों की सही ढंग से ख़रीद-बिक्री कर सकें और प्रतिष्ठापूर्ण जीवनयापन कर सकें।

इन महिला सफ़ाई मज़दूरों के जीवन में एक महान क्षण तब आया जब वे 2 जुलाई, 2008 को अंतरराष्ट्रीय सफ़ाई वर्ष के मौके पर आयोजित रैंप शो में हिस्सा लेने के लिये संयुक्त राष्ट्र की यात्रा पर न्यूयॉर्क गईं। यह कार्यक्रम 'सफ़ाई और स्थायी विकास' पर आधारित था। इकोसोक की वार्षिक शासकीय समीक्षा का विषय यही था। प्रमुख मॉडलों के साथ रैंप पर उतरना इन महिलाओं के लिये किसी सपने से कम नहीं था। इस ऐतिहासिक दिवस पर उषा चमार को ताज पहनाकर पुरस्कृत किया गया। यह इस बात की ताकीद का क्षण था कि यदि मौका मिले तो ये महिलाएं दर्शकों की भीड़ का भी सामना कर सकती हैं।

इनमें से हर महिला अपने समाज के लिये एक ख्याति प्राप्त व्यक्ति तथा अनुकरणीय मॉडल बन गई है। उनसे प्रेरित होकर अधिक से अधिक महिलाएं अपने जीवन में बदलाव लाने के लिये आगे आ रही हैं। वे अब अपने बच्चों को भी शिक्षित करना चाहती हैं ताकि वे सिर पर मैला ढोने का अमानवीय काम करने के लिये मज़बूर न हों।

इन पूर्व सफ़ाईकर्मियों की अपने जीवन को ऐसा ही सार्थक बनाने की आकांक्षा है। पुनर्वास के अलवर मॉडल ने महिला अधिकारिता के लिये इन महिलाओं को एक उदाहरण तथा अनुकरणीय बना दिया है। अलवर मॉडल महात्मा गांधी के जातिविहीन तथा समान स्तर के समाज के सपने को साकार करने की दिशा में एक कदम है। महात्मा गांधी के विचार में छुआछूत एक ऐसा कलंक है जो पूरी प्रणाली को उसी तरह विषाक्त बना देता है जैसे एक बूंद तेज़ाब पूरे टैंक के दूध को विषाक्त बना देता है। 'नयी दिशा' ने क़रीब 70 महिला सफ़ाई मज़दूरों को पहचान की है और वह दिन दूर नहीं जब अलवर में एक भी ऐसी महिला सफ़ाई मज़दूर नहीं होगी जो सिर पर मैला ढोती हो। अलवर मॉडल की सफलता ने अन्य संस्थाओं के लिये भी ऐसे मार्ग प्रशस्त किए हैं ताकि देश को सिर पर मैला ढोने के अपमानजनक और अमानवीय काम से मुक्ति मिल सके। ❑

(लेखिका दूरदर्शन केंद्र, जयपुर में समाचार निदेशक हैं
ई-मेल : pragyapaliwalgaur@yahoo.com)

SAROJ KUMAR'S
IAS ERA
IAS - 2009
GEOGRAPHY, GENERAL STUDIES, HISTORY & ESSAY
IN हिन्दी / ENGLISH MEDIUM
With
SAROJ KUMAR
Course Announces
☞ Foundation Course P.T. & Mains 4-5 Months
☞ P.T. Classes 2-3 Months
☞ Mains Classes 3-4 Months
☞ Special Classes 1 Month
☞ Essay Class 1 Month
☞ Test Series for P.T. & Mains
☞ Postal Course
ALL P.C.S. SPECIAL CLASSES
Special Batch for Day Scholars (working) Weekand & Holidays
Contact:
DR. VEENA SHARMA
SAROJ KUMAR'S IAS ERA
1/9, Roop Nagar, G.T. Karnal Road, Near Shakti Nagar Red Light, Above P.N.B. Near Delhi University North Campus Delhi-110007
Ph.: 011-64154427 Mob.: 9910360051, 9910415305
YH-10/08/12

बिखरने न दें अस्तित्व

● ऋतु सारस्वत

विकसित राष्ट्र हो या विकासशील, विश्वभर में ऐसा कोई देश नहीं जहां महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार नहीं। भारत की बात की जाए तो स्थिति और भी ख़राब है। देश का कोई तबका इससे अछूता नहीं है। हर वर्ग, आयु एवं जाति की महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। निम्न आर्थिक वर्ग में जहां इसे सामान्य घटना के तौर पर लिया जाता है वहीं उच्च एवं मध्य वर्ग में ये बातें आमतौर पर उजागर नहीं होतीं। इसका कारण प्रमुखतया सामाजिक प्रतिष्ठा हनन की आशंका होती है। वह स्त्री जो जननी है, संरक्षक है, उसका अपने ही घर के पुरुष सदस्यों द्वारा प्रताड़ित किया जाना लज्जा का विषय है परंतु दुख की बात यह है कि आर्थिक उन्नति की छलांगें लगाते हुए समाज में इसे सामान्य घटना मान लिया जाता है। सदियों से चली आ रही इस मानसिकता को कि स्त्री जीवन के किसी भी पड़ाव पर स्वतंत्र रहने योग्य नहीं है, आज भी समाज किसी भी क़ीमत पर छोड़ने के लिये तैयार नहीं है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-III के जरिये महिलाओं की स्थिति को जानने के लिये भारत के 29 राज्यों में सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए वे महिलाओं की चिंताजनक स्थिति की ओर संकेत करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में विवाहित महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा (37.2 प्रतिशत) अपने जीवन में कभी न कभी अपने पतियों के हाथों शारीरिक या यौन शोषण का शिकार होती हैं। यह सर्वेक्षण पांच जनसंख्या अनुसंधान केंद्रों सहित 18 संगठनों ने किया। सर्वेक्षण इस तथ्य को उजागर करता है कि शिक्षा से वंचित महिलाएं पतियों द्वारा अधिक प्रताड़ित होती हैं। घरेलू हिंसा में सबसे पहला स्थान बिहार (62.2 प्रतिशत) का है उसके बाद राजस्थान (46.5 प्रतिशत), मध्यप्रदेश (45.8 प्रतिशत), त्रिपुरा (44.1 प्रतिशत), मणिपुर (43.9 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश (42.4 प्रतिशत) का है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, देश में 15 से 49 वर्ष की लगभग दो तिहाई विवाहित महिलाएं किसी न किसी रूप में घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं और सबसे अधिक पीड़ाजनक तथ्य यह है कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के साथ हिंसा की दर भारत में सर्वाधिक है।

घरेलू हिंसा पुरुष शक्ति का महिला की शारीरिक कमज़ोरी पर एक सीधा-सा प्रक्षेपण है और कुल मिलाकर यह शक्ति असंतुलन का खेल है। विभिन्न सर्वेक्षणों एवं अध्ययन के माध्यम से महिलाओं के विरुद्ध हो रही घरेलू हिंसा के कारणों को खोजने का प्रयास किया गया है और इस उद्देश्य से की गई संयुक्त राष्ट्र की शोध इस सत्य को उद्घाटित करती है कि घरेलू हिंसा के पीछे छिपे कारण हैं : पति से बहस करना, बच्चों का ख्याल न रखना, खाना ठीक से या सही समय पर न बनाना, पराये पुरुष से बात करना आदि। साफ़तौर पर ज़ाहिर होता है कि ये कारण बनावटी हैं। इन सब कारणों का मूल है पुरुष का अहं, जो हर क़ीमत पर स्त्री को अपने वर्चस्व में रखना चाहता है और इस वर्चस्व का सीधा रास्ता है महिला की शारीरिक कमज़ोरी पर चोट करना। अध्ययन बताते हैं कि घरेलू हिंसा और नशे की लत में सीधा संबंध है क्योंकि घरेलू हिंसा के लिये जिम्मेदार पुरुषों में से क़रीब 30 प्रतिशत नशे के आदी पाए गए हैं। महिलाओं के घरेलू उत्पीड़न तथा हिंसा के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए पहली बार 2005 में कानून द्वारा परिवार एवं घर में होने वाले अत्याचारों से सुरक्षा प्रदान करने के लिये घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून लागू किया गया जो 26 अक्तूबर, 2006 से प्रभावी हुआ। संविधान में घरेलू हिंसा की व्यापक परिभाषा दी गई है। इस अधिनियम की धारा 2 के अनुसार, परिवार में किसी भी महिला के साथ उसके पति अथवा परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक ऐसा कार्य घरेलू हिंसा की श्रेणी में आएगा, जिसमें महिला स्वयं को प्रताड़ित महसूस कर रही हो अथवा वह शारीरिक या मानसिक पीड़ा का शिकार हो रही हो। इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत मौखिक एवं भावनात्मक चोट को भी शामिल किया गया। इस अधिनियम में ऐसी महिलाओं को भी सुरक्षा प्रदान की गई है, जो 'सहजीवन' की महानगरों में ज़ोर पकड़ती प्रवृत्ति के अनुरूप बिना विवाह के ही किसी पुरुष के साथ रह रही हैं। पुरुष द्वारा घर में महिला का (पत्नी, मां, बहन या किसी भी संबंधी) किसी भी प्रकार का अपमान, उपहास, तिरस्कार, गाली, विशेषकर संतान या बेटा न होने के संबंध में अपमान या उपहास भी घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है। महिला के आर्थिक और वित्तीय संसाधनों तथा आवश्यकताओं को पूर्ण न करना भी घरेलू हिंसा माना गया है। घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करने वाले इस कानून की एक और विशिष्टता यह है कि इसके तहत महिलाओं को सुरक्षित आवास का अधिकार दिलाया गया है। कोई व्यक्ति जिसे घरेलू हिंसा के संबंध में जानकारी प्राप्त हो वह संरक्षण अधिकारी,

मजिस्ट्रेट या पुलिस को सूचित कर सकता है। हिंसा होने की स्थिति में आरोपी व्यक्ति को दो दिन के भीतर ही आरोपपत्र देने का प्रावधान अधिनियम में है। मजिस्ट्रेट शोषित महिला को मुआवजा दिला सकता है एवं अंतरिम आदेश तुरंत जारी करके संरक्षण अधिकारी को अनुपालन कराने का आदेश दे सकता है। यदि कोई पीड़ित महिला शिकायत करती है तो उसे घर से निकालने पर रोक और उसकी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का आदेश मजिस्ट्रेट त्वरित गति से दे सकता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम संवैधानिक स्तर पर प्रशंसनीय प्रयास है परंतु इस अधिनियम के लागू हुए इतना समय बीत जाने के बाद भी कुछ राज्यों ने इसके लिये संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की मूल्यांकन रिपोर्ट जिसे गैरसरकारी संगठन *वुमन राइट्स इनिशिएटिव* ने अक्तूबर 2007 में तैयार किया था, के अनुसार अक्तूबर 2006 से जुलाई 2007 की अवधि के दौरान इस कानून के तहत घरेलू हिंसा के 7,913 मामले दर्ज़ किए गए जिनकी संख्या अब लगभग 14,000 तक हो चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में सबसे अधिक 3,440 मामले दर्ज़ किए गए जबकि केरल में 1,028, आंध्र प्रदेश में 731 और दिल्ली में 607 मामले दर्ज किए गए। 'घरेलू हिंसा निरोधक कानून' बनने के बावजूद घरेलू हिंसा के अपराधों में कहीं कमी नहीं आई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार महिलाओं पर अपने पति व अन्य रिश्तेदारों द्वारा हिंसा के मामले में पिछले एक वर्ष में 9.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। घरेलू हिंसा से संरक्षण व कानून ने भारतीय महिलाओं को स्वयं की सुरक्षा हेतु एक ढाल तो दे दी है परंतु अपने घर में, अपनों के बीच रहते हुए उनके ख़िलाफ़ कानूनी लड़ाई लड़ना बड़ा ही मुश्किल कार्य है। कानून की शरण में जाने पर एक महिला का अपने जीवनसाथी या अन्य परिजनों से भावनात्मक संबंध को कायम रखना मुश्किल है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए ? भावनात्मक सुरक्षा आवश्यक है, परंतु इससे भी कहीं अधिक आवश्यक है स्वयं की रक्षा। यदि अपने अस्तित्व को समाप्त कर भावनात्मक रिश्तों को जीवित रखने की चेष्टा की भी जाएगी तो ऐसे में भावनात्मक रिश्ते सिवाय छल के कुछ और साबित नहीं होंगे। इन परिस्थितियों में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष जो उभर कर आता है वह यह कि जब भी कोई महिला अपने परिजनों के द्वारा किसी भी तरह शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक तौर पर पहली बार हिंसा का शिकार होती है तो उसे पुरज़ोर तरीक़े से इसका विरोध करना चाहिए क्योंकि इससे यह संभावना बढ़ जाती है कि पुरुष भविष्य में स्त्री को प्रताड़ित करने से पहले विचार करेगा। प्रेम में समर्पण होना ठीक है, पर उस सीमा तक नहीं जहां स्वयं का अस्तित्व छिन्न-भिन्न होने लगे।

❑

(लेखिका समाजशास्त्री हैं।
ई-मेल : saraswatritu@yahoo.co.in)

एफसीआई ने रचा अनाज ख़रीदारी का इतिहास

ऐसे समय में जब देश महंगाई के दौर से गुजर रहा है, अनाज की ख़रीदारी और वितरण करने वाली भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने लगभग 500 लाख टन गेहूं और चावल की रिकार्ड ख़रीदारी कर इतिहास रचने में सफल रहा है।

अधिक अनाज का भंडार होने से खुले बाज़ार में मूल्य में स्थिरता रहेगी और क़ीमतों में बढ़ोतरी होने पर सरकार उसमें हस्तक्षेप कर पाएगी। इसके अतिरिक्त, कमज़ोर तबके के लोगों के लिये सरकार अतिरिक्त मात्रा को आवंटित कर पाएगी। थोक मूल्य सूचकांक में चावल और गेहूं की भागीदारी संयुक्त रूप से 3.83 प्रतिशत की है। उल्लेखनीय है कि थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति पर पिछले कुछ समय से 12 प्रतिशत के स्तर से ऊपर चल रही है। हाल ही में गेहूं की क़ीमतों में नरमी लाने के लिये कैबिनेट ने खुले बाज़ार में गेहूं की बिक्री को मंजूरी दी थी। राज्य सरकारों को कम मूल्य पर 10 लाख टन गेहूं बेचने का निर्णय लिया गया है।

अनाजों की ख़रीदारी पिछले वर्ष की तुलना में 38 प्रतिशत अधिक हुई है। 500 लाख टन अनाज की ख़रीदारी में गेहूं की ख़रीद में हुई बढ़ोतरी की भूमिका प्रमुख है। हालांकि, चावल की ख़रीदारी भी अब तक की सबसे अधिक ख़रीद के क़रीब है। एफसीआई के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आलोक सिन्हा ने कहा की विश्वास है कि चावल की ख़रीदारी 30 सितंबर तक (जब चालू सीजन समाप्त होगा) सर्वाधिक 277 लाख टन तक पहुंच जाएगी।

उपभोक्ताओं के प्रति सकारात्मक रुख रखते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में हुई बढ़ोतरी से किसानों की काफी लाभ हुआ है। गेहूं के ख़रीद मूल्य में पिछले तीन वर्षों में लगभग 42 प्रतिशत की बढ़ोतरी (बोनस सहित) की गई है और इस साल यह 1,000 रुपये प्रति क्विंटल रहा है जबकि सामान्य श्रेणी के धान का एमएमपी 22 प्रतिशत बढ़ कर 695 रुपये प्रति क्विंटल रहा है। गेहूं के मामले में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों को प्रमुख रूप से लाभ हुआ है और चावल के मामले में पंजाब, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसान लाभ में रहे हैं।

सरकार की भंडारण क्षमता 400 लाख टन की है जिसमें से 240 लाख टन की भंडारण क्षमता एफसीआई के पास है और शेष किराये पर लिया गया है।

500 लाख टन अनाज

वर्ष	गेहूं की खरीद	चावल की खरीद	कुल
2002	19	21.2	40.2
2003	15.8	15.8	31.6
2004	16.8	22.9	39.7
2005	14.79	24.5	39.29
2006	9.2	27.6	36.8
2007	11.13	25.1	36.23
2008	22.54	27.3*	49.84

आंकड़े 10 लाख टन में ***अनंतिम**

R. C. SINHA'S

NEW DELHI IAS™

A CENTRE FOR EXCELLENCE IN CIVIL SERVICES EXAM

JOIN
AND FEEL -THE DIFFERENCE

★ IN - GENERAL - STUDIES, ESSAY
- INTER-NATIONAL RELATIONS
- PUBLIC ADMINISTRATION

★ BY MR R. C. SINHA

WHO HAS BEEN HEADING CENTRE FOR EXCELLENCE, 8-B, ELGIN ROAD, CIVIL LINES, ALLAHABAD FOR THE LAST TWO DECADES AND HAS PREPARED THOUSANDS OF HIGHLY MOTIVATED BUREAUCRATES. HE IS RENOWNED FOR HIS PIN-POINTED, CO-RELATED, MIND BLOWING LECTURES BASED ON MASTER-PLAN, LECTURE-PLAN AND OUTLINES OF THE TOPIC.

★ MR. SINHA'S - FIVE DAY FREE INTER-ACTIVE CLASSES FOR MAIN-CUM-PRE BATCHES-2009 - FROM-30 SEPT. 2008 (9 A.M)

★ BATCHES BEGIN - 7 OCT-2008.

★ OTHER OPTIONALS PHILOSOPHY, SOCIOLOGY- 2 NOV. 2008

CONTACT - SECRETARY,
11-A/19, GOL CHAKKAR
OLD RAJINDER NAGAR MARKET, NEW DELHI-110060
PH. : +91-9313431890, 9312478450, 9415284868, 9450703487
DOWN LOAD FREE REGISTRATION FORM www.newdelhiias.com

S. Alam
Director

SEPARATE ENGLISH AND HINDI MEDIUM BATCHES.
(Batch Duration - 5 Months)

✦ HOSTEL FACILITY ARRANGED ✦

YH-10/08/22

कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम

● उमेश चंद्र अग्रवाल

चिकित्सा वैज्ञानिकों द्वारा चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नित नये प्रयोगों, अनंसुधानों और तकनीकों के माध्यम से जहां एक ओर लाइलाज समझी जाने वाली बीमारियों से लाखों-करोड़ों लोगों के मुक्ति के द्वार खुले हैं, वहीं दूसरी ओर चिकित्सा विज्ञान की कई नवीन तकनीकों का अन्यायपूर्ण प्रयोग कर कुकृत्यों को अंजाम देने में आधुनिक मानव शायद अपने को गौरवशाली मानने लगा है। इनमें से एक ऐसा कुकृत्य जिससे संपूर्ण देश और यहां तक कि संपूर्ण मानव जाति पर भयानक दीर्घगामी प्रभाव हो सकते हैं, वह है जन्म से पूर्व ही बालिका के भ्रूण को नष्ट करना। पूरे देश में तेज़ी से फैल रही कन्या भ्रूण हत्या के इस कुकृत्य का प्रभाव स्त्री-पुरुष अनुपात के नवीनतम आंकड़ों से भी स्पष्ट रूप से झलकता है। उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि पारंपरिक पुत्र मोह तथा अल्ट्रासाउंड तकनीक से लिंग परीक्षण की सुविधा के कारण भारत में 5 लाख कन्या भ्रूणों की हत्या प्रतिवर्ष होती है। इस परिप्रेक्ष्य में गत दो दशकों में एक करोड़ कन्या भ्रूण हत्या किए जाने संबंधी आंकड़े भारत व कनाडा के संयुक्त शोधकर्ताओं द्वारा जनवरी 2006 में जारी एक अध्ययन रिपोर्ट में दिए गए हैं। इस रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि भारत में कन्या भ्रूण हत्या के लिये शिक्षित महिलाएं अनपढ़ व अशिक्षित महिलाओं से अधिक उत्तरदायी पाई गई हैं। शोधकर्ताओं ने इस अध्ययन में यह भी पाया कि पहला बच्चा लड़का होने की स्थिति में लिंग अनुपात में जहां कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला, वहीं पहला बच्चा लड़की होने पर दूसरे बच्चे की स्थिति में लिंगानुपात प्रति एक हज़ार लड़कों पर 759 ही रहा है। पहले दो बच्चे लड़कियां होने पर यह अनुपात और भी गिरकर प्रति एक हज़ार लड़कों पर 719 ही पाया गया है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारत में पहला बच्चा लड़की होने पर अभिभावकों में लिंग परीक्षण की प्रवृत्ति काफी अधिक रही है जबकि पहला बच्चा लड़का होने की स्थिति में यह प्रवृत्ति बहुत कम पाई जाती है।

कारण जो भी रहे हैं, यह निश्चित है कि भारत में कन्या भ्रूण हत्या बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इस तथ्य से शायद हम सभी परिचित हैं कि एक तरफ हमारे देश में महिलाओं के उत्थान के लिये करोड़ों-अरबों रुपये ख़र्च किए जा रहे हैं तो दूसरी ओर पहले से भी अधिक बर्बरतापूर्ण तरीक़े से प्रतिवर्ष लाखों कन्याओं की हत्याएं हो रही हैं। वैज्ञानिक प्रगति निश्चित रूप से आज नारी जाति के लिये अभिशाप बनने लगी है जिसमें विज्ञान प्रदत्त यंत्रों का दुरुपयोग हो रहा है। हाल ही में भारतीय परिवार कल्याण संस्थान द्वारा किए गए आकलन के अनुसार, भारत में प्रतिवर्ष 40 लाख गर्भपात कराए जाते हैं। इसमें लाखों की संख्या में गैरकानूनी गर्भपात भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इनमें वे गर्भपात भी सम्मिलित हैं जो पुत्र की चाह में कराए जाते हैं। यह सत्य है कि आज हमारे देश में अल्ट्रासोनोग्राफी, एम्निओसेंटेसिस तथा अन्य तकनीकों के द्वारा गर्भस्थ शिशु के लिंग का पता करके बालिका भ्रूण की हत्या किए जाने का गैरकानूनी सिलसिला बड़ी तेज़ी से पूरे देश में फैल रहा है। उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में एक नयी ख़ोज के रूप में इंटरनेट का उपयोग किया जाने लगा है। इंटरनेट पर उपलब्ध एक ऑफर बेबी जेंडर मॉनीटर किट द्वारा भारत में पहले से प्रति हज़ार पुरुषों की तुलना में गिर रहे महिलाओं के आंकड़े को और धक्का पहुंचाने का काम किया गया है।

अत: ऐसे नये-नये तरीक़ों से निपटने के लिये भी हमें अपने आप को तैयार करना होगा। सच्चाई यह भी है कि आज इंटरनेट इस कुप्रथा को रोकने में मददगार भी साबित हो रहा है। हाल ही में एक प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संगठन द्वारा देश में शुरू किए गए इंटरनेट विषयक 'बालिका शिशु की सुरक्षा कार्यक्रम' के अंतर्गत गर्भस्थ शिशु की हत्या रोकने हेतु आवश्यक कानूनी कार्यवाही किए जाने के उद्देश्य से उन निजी अस्पतालों, क्लीनिकों आदि की शिकायत करने के लिये www.indianfemalefoeticide.org का सहारा लिया जा सकता है। इस वेबसाइट के जरिये देश में कहीं भी कोई भी व्यक्ति घर बैठे ही अपनी पहचान गुप्त रखते हुए इस संबंध में शिकायत दर्ज़ करवा सकता है। इंटरनेट से प्राप्त होने वाली इन शिकायतों को संबंधित संस्था द्वारा केंद्र सरकार के संबंधित विभाग को भेजा जाता है जिस पर सरकार द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

हम सभी जानते हैं कि देश में जनवरी, 1996 से प्रसव पूर्व परीक्षण तकनीक अधिनियम, 1994 (संशोधित, 2002) के अंतर्गत गर्भस्थ शिशु के लिंग निर्धारण पर पाबंदी है। भले ही इसके लिये कोई भी तकनीक या तरीक़ा उपयोग में लाया गया हो। इस कानून के बनाने का मुख्य उद्देश्य भी यही था कि लिंग निर्धारण परीक्षणों के उपरांत कराए जाने वाले कन्या भ्रूण के गर्भपात पर कानूनी रूप से रोक लगाई जा सके। लेकिन वास्तविकता यह है कि इस कानून के पालन पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विशेष ध्यान न दिए जाने और कानून में रही कुछ ख़ामियों के कारण इसका समुचित क्रियान्वयन संभव नहीं हो पाया है। इसके भयंकर परिणाम सामने आ रहे हैं और स्त्री-पुरुष के अनुपात में कमी आने के साथ-साथ देश में बालिका शिशुओं की संख्या में दिनोंदिन भारी

गिरावट दर्ज़ की जा रही है। वैसे तो लगभग सभी राज्यों में कमोवेश यह सिलसिला जारी है, लेकिन विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और गुजरात को तो इस परिप्रेक्ष्य में बरमूडा ट्राइंगिल की उपाधि से विभूषित किया जा सकता है जहां प्रतिवर्ष लाखों बालिका भ्रूणों की हत्या आम बात हो गई है। इतना ही नहीं बल्कि विभिन्न राज्यों व सामाजिक समूहों के अतिरिक्त यदि विभिन्न धर्मों के संदर्भ में भी देखा जाए तो देशभर में महिला-पुरुष अनुपात में अत्यधिक विषमता है।

महिलाओं की साक्षरता के अनुपात से भी कन्या भ्रूण हत्या प्रभावित हुई है। आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि पुरुषों के मुक़ाबले महिलाओं की साक्षरता दर जहां कम रही है वहीं पुरुषों के मुक़ाबले उनके अनुपात में भी साधारणतया कमी ही दर्ज़ की जाती रही है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों के स्त्री-पुरुष अनुपात के आंकड़ों से विदित होता है कि प्रारंभ से ही यहां महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुक़ाबले कम रही है। साथ ही पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या केवल 1951 और 1981 को छोड़कर 1901 से 1991 तक निरंतर गिरी है। वर्ष 2001 की जनगणना में इसमें 6 अंकों की थोड़ी-सी वृद्धि अवश्य दर्ज़ की गई है।

बालक-बालिका अनुपात की वर्तमान स्थिति

वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, देश में वर्ष 1991 के मुक़ाबले स्त्री-पुरुष अनुपात में तो थोड़ी वृद्धि अवश्य दर्ज़ की गई है जो 927 से बढ़कर वर्ष 2001 में 933 हो गई है। लेकिन विडंबना यह रही है कि वर्तमान में देश में 0-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में लड़कियों की संख्या लड़कों की अपेक्षा वर्ष 1991 की जनगणना की तुलना में पहले से भी कम हो गई है। वर्ष 1991 में इस आयु वर्ग के प्रति एक हज़ार लड़कों पर लड़कियों की संख्या जहां 945 थी, वहीं नयी जनगणना में यह संख्या 927 पाई गई है। बच्चों में यौन अनुपात में यह गिरावट मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ में दर्ज़ की गई है। भविष्य में यदि इस दिशा में विशेष कदम नहीं उठाए गए तो देश में महिलाओं की संख्या पुरुषों के बराबर लाना संभव नहीं हो पाएगा।

बालिका भ्रूण हत्या रोकने हेतु प्रयास

भ्रूण हत्या की रोकथाम और उस पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम वर्ष 1974 में पहल की गई। सरकार द्वारा वर्ष 1974 में 'मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रिग्नेंसी एक्ट' पारित किया गया। इसके अनुसार, यह प्रावधान किया गया कि यदि गर्भस्थ शिशु के बारे में यह पता चल जाए कि वह असामान्य है और परिवार नियोजन के साधनों के उपयोग के बावजूद गर्भ में ठहर गया हो तो ऐसी स्थिति में गर्भपात कराना गैरकानूनी नहीं होगा बशर्ते कि यह सारी प्रक्रियाएं 20 सप्ताह के भीतर हो जाएं। इसके बाद बालिका भ्रूण हत्या पर नियंत्रण के उद्देश्य से पहली बार 10 मई, 1988 को महाराष्ट्र सरकार द्वारा लिंग निर्धारण परीक्षण अधिनियम पास किया गया। अपने देश में वर्ष 1980 में शिशु लिंग निर्धारण से जुड़ी अल्ट्रासाउंड मशीनों के प्रकाश में आने तथा गर्भस्थ शिशु के लिंग जानने से संबंधित कोई कानून न होने के कारण इन मशीनों का खुलकर दुरुपयोग होने लगा। इन मशीनों के दुरुपयोग के फलस्वरूप देश में स्त्री-पुरुष अनुपात में आई निरंतर कमी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा प्रसव पूर्व परीक्षण तकनीक अधिनियम, 1994 बनाया गया जो 20 दिसंबर, 1994 को पारित हुआ। इसे एक जनवरी, 1996 से जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू किया गया। इस कानून को और अधिक व्यापक बनाने हेतु केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2002 में इसमें संशोधन भी किए गए जो 14 फरवरी, 2003 से लागू कर दिए गए हैं।

इन संशोधनों के फलस्वरूप इस अधिनियम में प्रमुख तीन नये प्रावधान किए गए हैं। पहला, लिंग चयन में पहली बार दोषी पाए जाने पर तीन साल की सजा और 50,000 रुपये जुर्माना। दूसरे स्तर पर इसकी पुनरावृत्ति होने पर पांच साल की सजा और एक लाख रुपये जुर्माना। तीसरे स्तर पर सभी अल्ट्रासाउंड क्लीनिकों का पंजीकरण अनिवार्य करते हुए उपयुक्त अधिकारियों द्वारा समय-समय पर इनके निरीक्षण का प्रावधान आवश्यक किया गया है। इसमें सभी डायग्नोस्टिक सेंटरों को अपनी मासिक रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग की लाइसेंसिंग शाखा को भेजना अनिवार्य कर दिया गया है। इस अधिनियम में भ्रूण के लिंग का पता लगाने और लिंग संबंधी जानकारी को सार्वजनिक करने की मनाही है। जबकि अधिनियम के अंतर्गत प्रसव पूर्व निदान तकनीकों के उपयोग तथा आनुवंशिक परामर्श की अनुमति कुछ आनुवांशिक असमानताओं का पता लगाने के लिये दी जाती है। इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर क़ैद और जुर्माने के साथ-साथ पंजीकरण और लाइसेंस रद्द करने तक के प्रावधान किए गए हैं। संक्षेप में, इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं :

- प्रत्येक ऐसे परामर्श केंद्र, प्रयोगशाला तथा क्लीनिक के लिये अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है तथा किसी भी चिकित्सक को ऐसे परीक्षण पंजीकृत केंद्र के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थान पर करना प्रतिबंधित किया गया है। चिकित्सक के पास निर्धारित योग्यताएं होना अनिवार्य है।
- ये परीक्षण केवल उन बीमारियों के लिये ही प्रयोग में लाए जा सकते हैं जिन्हें अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित किया गया है।
- इन परीक्षणों का उपयोग तभी किया जा सकता है जबकि गर्भवती महिला की आयु 35 वर्ष से अधिक हो या जिसके कम से कम दो गर्भपात हो चुके हों अथवा उसके या उसके परिवार में शारीरिक या मानसिक विकलांगता की पृष्ठभूमि आदि रही हो।
- निर्धारित उद्देश्यों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु इन परीक्षणों के प्रयोग हेतु गर्भवती महिला का पति या कोई रिश्तेदार उसे प्रोत्साहित नहीं करेगा और न परीक्षण कराएगा।
- गर्भवती महिला की लिखित सहमति होनी चाहिए तथा इन परीक्षणों को करने वाले व्यक्ति द्वारा किसी को भ्रूण के लिंग के बारे में बताया नहीं जा सकता।
- भ्रूण के लिंग की जांच के संबंध में इश्तहार अथवा प्रकाशन प्रतिबंधित है।
- कोई भी क्लीनिक, प्रयोगशालाकर्मी, डॉक्टर आदि तथा

इंटरनेट से लिंग परीक्षण संबंधी विज्ञापन हटाए गए

उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप और लिंग परीक्षण संबंधी उत्पादों और सेवाओं संबंधी इंटरनेट विज्ञापन दिखाने वाले साइटों के खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी के बाद गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने अपने साइट से इस तरह के विज्ञापन हटा लिये हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने गत अगस्त माह में अपने एक फ़ैसले में इंटरनेट सेवाप्रदाता याहू के साथ-साथ उपरोक्त दोनों कंपनियों को यह चेतावनी दी थी।

उल्लेखनीय है कि प्रतिहज़ार पुरुष पर 1,050 महिलाओं के विश्व औसत की तुलना में भारत का राष्ट्रीय औसत प्रति हज़ार पुरुषों पर 927 महिलाएं ही है। यूनीसेफ के अनुसार, भारत में हर रोज़ गर्भपात द्वारा लगभग 7,000 कन्या भ्रूणों की हत्या की जाती है। ❑

कोई भी व्यक्ति जो निर्धारित कारणों के अतिरिक्त इन परीक्षणों के लिये उत्तरदायी होगा और कानून का उल्लंघन करेगा उस पर (क) पहली बार में 3 वर्ष की सजा तथा 50 हज़ार रुपये तक का जुर्माना तथा (ख) अगली बार में 5 वर्ष तक की सजा तथा 1 लाख रुपये तक का जुर्माना किया जा सकेगा।

- ऐसे दोषी पंजीकृत चिकित्सकों का मेडिकल काउंसिल से पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।
- ऐसे सभी पंजीकृत केंद्रों पर सभी मामलों से संबंधित कागज़ात/रिपोर्ट आदि 2 वर्ष तक तथा जिससे संबंधित कानूनी कार्यवाही चल रही हो उसका कार्यवाही समाप्त होने तक सुरक्षित रखा जाना अनिवार्य बनाया गया है।
- सभी अल्ट्रासाउंड क्लीनिकों का पंजीकरण कराना कानूनन अनिवार्य बनाया गया है और समुचित स्तर के अधिकारियों द्वारा इन केंद्रों के निरीक्षण की व्यवस्था की गई है।
- प्रत्येक केंद्र के मुख्य स्थान पर 'भ्रूण के लिंग की जांच कराना कानूनी रूप से प्रतिबंधित है' को अंग्रेज़ी तथा स्थानीय दोनों भाषा में जन सामान्य के लिये नोटिस लगाना अनिवार्य किया गया है।

प्रसव पूर्व परीक्षण तकनीक अधिनियम (पीएनडीटी) के क्रियान्वयन की स्थिति

वैसे तो देश के अधिकतर भागों में कन्या भ्रूण हत्या का सिलसिला कमोवेश जारी है लेकिन पंजाब बालिका भ्रूण हत्या के मामले में देश में सबसे आगे है। वर्ष 1991 में पंजाब में प्रति 1,000 पुरुष की तुलना में 882 महिलाएं थीं जो वर्ष 2001 में सिर्फ़ 874 रह गईं। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह दर 973 प्रतिहज़ार रही है। पंजाब में शिशुओं की संख्या में यह स्थिति और भी ख़राब है। यहां 1,000 लड़कों की तुलना में 6 वर्ष तक की आयु की लड़कियों की संख्या 1991 में 875 थी जो 2001 में केवल 793 ही रह गई है। आंकड़े साक्षी हैं कि कन्या भ्रूण हत्या के मामले में अग्रणी देशभर के कुल 16 जिलों में से 10 अकेले पंजाब के हैं। 5 जिले हरियाणा के और एक गुजरात राज्य का है। पंजाब में फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, मानसा, कपूरथला, भटिंडा, संगरूर, गुरदासपुर के अतिरिक्त हरियाणा के कुरुक्षेत्र और सोनीपत देश के सर्वाधिक ख़राब लिंग अनुपात वाले दस जिलों में सम्मिलित हैं।

एक अनुमान के अनुसार पंजाब में कड़े कानूनी प्रतिबंध के बावजूद प्रतिदिन 10 हज़ार से अधिक भ्रूण परीक्षण होते हैं और इनके आधार पर 1,011 मादा भ्रूणों की रोज़ाना हत्या कर दी जाती है। पंजाब के एक स्वैच्छिक संगठन के मुताबिक "भ्रूण परीक्षण और मादा भ्रूण हत्या को रोकने वाले नियम पंजाब में केवल कागज़ों तक ही सीमित हैं और इन पर प्रभावी नियंत्रण संभव नहीं हो पाया है।" सर्वेक्षण रिपोर्ट का एक तथ्य और भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि पंजाब की 67.14 प्रतिशत महिलाएं जिनमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की महिलाएं शामिल हैं, अभी भी कन्या भ्रूण हत्या को उपयुक्त मानती हैं। ऐसा शायद इसलिये है कि यहां की महिलाएं तुलनात्मक रूप से शिक्षित होते हुए भी रूढ़िवादी सोच का शिकार हैं अथवा यहां जागरुकता की कमी है।

शिशु लिंग अनुपात के अत्यधिक कम रहने वाले राज्यों में पंजाब के बाद हरियाणा (819), चंडीगढ़ (847), दिल्ली (865), हिमाचल प्रदेश (896), उत्तरांचल (906), राजस्थान (908), उत्तर प्रदेश (915), महाराष्ट्र (917) आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन सभी राज्यों में सामान्यतया सकल स्त्री-पुरुष अनुपात भी राष्ट्रीय औसत से पहले से ही काफी कम है। इससे यह अनुमान लगाया जाना भी औचित्यपूर्ण है कि यहां बालिका भ्रूण हत्या का प्रचलन तुलनात्मक रूप से अधिक मात्रा में विद्यमान है। कुल शिशुओं में बालिका शिशुओं के अत्यधिक कम होते जाने के कारण ऐसी स्थिति बने रहने पर अब निकट भविष्य में भी इन राज्यों में सकल स्त्री-पुरुष अनुपात के बढ़ने की आशा नहीं की जा सकती। अत: शिशु लिंग अनुपात की कमी वाले इन राज्यों में विशेष रूप से प्रसव पूर्व परीक्षण तकनीक अधिनियम को अधिक कारगर और प्रभावी तरीक़े से लागू किए जाने की आवश्यकता है ताकि यहां बालिका भ्रूण हत्याओं का सिलसिला रोका जा सके।

बालिका भ्रूण हत्या की बढ़ती घटनाओं के मद्देनज़र प्रसव पूर्व परीक्षण तकनीक अधिनियम के समुचित रूप से क्रियान्वयन के लिये वर्ष 2002 में किए गए संशोधन के उपरांत पिछले तीन-चार वर्षों में सरकार द्वारा विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। हालांकि आश्चर्यचकित करने वाला तथ्य यह है कि प्रतिवर्ष इतनी बड़ी संख्या में हो रही भ्रूण हत्याओं के बावजूद अभी तक इस कुकृत्य में लगे डॉक्टरों, क्लीनिकों या प्रभावित दंपतियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी न के बराबर ही हुई है।

सच्चाई यह है कि कन्या भ्रूण हत्या के मामले में डॉक्टर या कानून को दोष देना वास्तविकता को नज़रअंदाज करना है। हक़ीक़त यह है कि भारतीय समाज में पुत्र प्राप्ति की आकांक्षा प्रत्येक कालखंड में प्रबल रही है।

यह सच्चाई अब पूरी तरह से सामने आ गई है कि कन्या भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति देश के खाते-पीते और अमीर घरानों में अधिक है। तुलनात्मक रूप से पिछड़े और आदिवासी इलाकों में यह प्रवृत्ति न के बराबर ही है। देश का जिलेवार अध्ययन भी इस दिशा में आंखें खोलने वाला साबित हो सकता है। पंजाब और हरियाणा के अधिकतर जिले कन्या भ्रूण हत्या के कारण कुख्यात हो गए हैं। महाराष्ट्र की समृद्ध चीनी पट्टी में अनेक लड़कियों को कोख में ही मार दिया जाता है लेकिन गढ़चिरौली, नंददुरबार, बीड़ जैसे आदिवासी बहुल जिलों में यह प्रवृत्ति न के बराबर है। गुजरात में स्त्री-पुरुष अनुपात चिंताजनक है लेकिन दाहोद और मेहसाना जैसे पिछड़े आदिवासी बहुल इलाके में तस्वीर काफी बेहतर है। इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि लड़कियों से सुलूक के मामले में हमारा समृद्ध समाज आदिवासियों से बहुत कुछ सीख सकता है।

जिन राज्यों में कन्या भ्रूण हत्या जारी है, वहां सामाजिक संतुलन पूरी तरह लड़खड़ा चुका है। पंजाब और हरियाणा में ऐसे अनेक गांव हैं जहां हज़ारों युवाओं का विवाह नहीं हो पा रहा है। ऐसे में दुल्हे के लिये दूसरे राज्यों से लड़कियां लाईं जा रही हैं जिससे वहां कई सामाजिक विकृतियां भी पनपने लगी हैं। समाजशास्त्रियों के साथ-साथ अनुभव भी बताते हैं कि सामाजिक संतुलन डगमगाने और खासकर समाज में स्त्रियों की संख्या घटने के परिणाम भयावह होते हैं। जिस समाज में महिलाएं कम रह जाती हैं वहां महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में वृद्धि होती है। किसी भी समाज में महिलाओं के घटने का यह स्वाभाविक परिणाम है। खासकर अविवाहित और कुंठित युवक महिलाओं को निशाना बनाते हैं जिससे पूरा समाज दूषित होता है। अत: निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि पुराने धार्मिक अंधविश्वासों और परंपराओं में समयानुकूल परिमार्जन किए बगैर विकसित समाज की कल्पना निरर्थक है। अनेक उदाहरण हमारी आंखों के सामने मौजूद हैं। आज शिक्षा, व्यवसाय, तकनीक, पुलिस, सेना, खेल, प्रशासन यानी जीवन के हर क्षेत्र में लड़कियां अपनी प्रतिभा साबित कर रही हैं। इसलिये लड़कियों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी, सामाजिक रूप से सामर्थ्यवान और शैक्षिक रूप से समर्थ बनाकर

SYNERGY

GEOGRAPHY

भूगोल

by

आलोक रंजन

98912 90953

[NOW AT SYNERGY]

Batch Starting from : 16th Oct.

MUKHERJEE NAGAR : 301, Jaina Building (Extn.), Comm. Comp. Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009

RAJENDER NAGAR : 18/4, (First Floor), Opp. Aggarwal Sweets Old Rajender Nagar, Delhi - 110060

Call us : 9868839766, 9818710166, 011-27654518, 25728391

YH-10/08/19

समस्या का समाधान किया जा सकता है।

सुझाव

देश में कन्या भ्रूण हत्या रोकने के उद्देश्य से 1994 में बनाया गया प्रसव पूर्व परीक्षण तकनीक अधिनियम जिसे 2002 में संशोधित किया गया, गंभीरतापूर्वक लागू नहीं किए जाने के कारण अपने उद्देश्यों को पूरा करने में असफल रहा है। साथ ही इसमें किए गए प्रावधान इतने लचर और संकीर्ण रूप में परिभाषित हैं कि उनको क्रियान्वित किए जाने से भी अच्छे परिणामों की आशा नहीं की जा सकती। इन दोनों मुद्दों पर ही सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप और विभिन्न सरकारी और अर्द्धसरकारी संगठनों, जैसे - इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, यूनिसेफ, राष्ट्रीय महिला आयोग, गैरसरकारी महिला संस्थाओं के साथ-साथ देशभर के अनेक धार्मिक नेताओं के उठ खड़े होने से इसके कुछ हद तक भलीभांति क्रियान्वित होने की संभावनाएं बलवती हुई हैं। कन्या भ्रूण हत्या की समस्या से निज़ात पाने के लिये कानूनी प्रावधानों के अतिरिक्त केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा विशेष रूप से पिछले एक दशक में बालिकाओं को संरक्षण, सुरक्षा और विकास की समुचित दशाएं उपलब्ध कराने हेतु विशिष्ट योजनाएं और कार्यक्रम भी प्रारंभ किए गए हैं। इनमें अधिकांश योजनाएं और कार्यक्रम इस प्रकार के निर्धारित किए गए हैं जिनके माध्यम से कन्याओं के अभिभावकों को उनके पालन-पोषण से लेकर शिक्षा और विवाह तक में समुचित सहायता और संरक्षण प्राप्त हो सके। इन योजनाओं के संचालन का भी कुछ क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव हो रहा है। वर्तमान में बने इस सकारात्मक वातावरण का लाभ उठाने हेतु निम्नांकित सुझावों पर अमल करके इस दिशा में अच्छे परिणामों की आशा की जा सकती है :

- इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसे सभी प्रयोगशालाओं, परीक्षण केंद्रों तथा परामर्श केंद्रों आदि का पंजीकरण कराना अनिवार्य बनाया गया है लेकिन कई राज्यों में अभी तक भी अनेक केंद्र सरकारी ढील के चलते पंजीकृत तक नहीं कराए जा सके हैं और वे गैरकानूनी धंधे में सबसे ज्यादा लिप्त हैं। अत: सभी को पंजीकृत करने, निहित प्रक्रियानुसार शासन को रिपोर्ट प्रेषित करने आदि पर सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
- इस अधिनियम की व्यवस्थाओं का अनुपालन न करने वालों पर शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करके उन्हें शीघ्र सजा दिलाने की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि अन्य लोगों में कानून की अवहेलना करने के प्रति भय का भाव उत्पन्न हो सके।
- कानून का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। इसमें बरती जाने वाली ढील के लिये स्वास्थ्य विभाग के संबंधित क्षेत्र के नियत अधिकारी को वास्तविक अर्थों में जिम्मेदार बनाया जाना आवश्यक है। वास्तविक अर्थों में इसलिये क्योंकि कानूनी तौर पर जिलास्तरीय अधिकारी इसके लिये उत्तरदायी बनाए गए हैं लेकिन उनके द्वारा बरती जाने वाली ढील के लिये अभी तक कहीं भी किसी को कोई सजा नहीं मिल पाई है। इससे वे लोग लापरवाह ही बने रहते हैं।
- बालिकाओं के कल्याण और विकास हेतु बालिका समृद्धि योजना, किशोरी शक्ति योजना जैसी केंद्रीय योजनाएं तथा कन्या विद्याधन योजना, बालिकाश्री योजना, कन्या विवाह अनुदान योजना तथा गांव की बेटी योजना जैसी अनेक योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा भी संचालित की जा रही हैं। कहीं-कहीं इनके अच्छे प्रभाव भी सामने आ रहे हैं लेकिन इस प्रकार की योजनाओं के अधिकांश क्षेत्रों में अच्छे परिणाम नहीं आ रहे हैं। अत: इन योजनाओं का आधार व्यापक बनाते हुए इनके समुचित क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए तथा बालिकाओं के लिये विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये अन्य समुचित कदम भी उठाए जाने चाहिए।
- वर्तमान कानून से खामियों को दूर करने तथा नयी तकनीकी के मद्देनज़र यथोचित संशोधन अतिशीघ्र किया जाए जिससे इसमें 'गर्भ धारण से पूर्व लिंग निर्धारण' जैसी बुराइयों को भी कानून के दायरे में लाया जा सके जो वर्तमान कानून के अंतर्गत अभी भी प्रतिबंधित नहीं है।
- भ्रूण परीक्षण की तकनीकों आदि का प्रयोग करने वाली सभी संस्थाओं/केंद्रों के औचक निरीक्षण की विस्तृत व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त संस्थाओं और व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई किया जाना आसान हो सके। हालांकि पीएनडीटी अधिनियम में वर्ष 2002 में हुए संशोधन में यह व्यवस्था निर्धारित कर दी गई है लेकिन वास्तविक अर्थों में इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना ज़रूरी है।
- संबंधित कानून का भरपूर प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए। इस हेतु सरकारी विभागों और संचार माध्यमों के साथ-साथ विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों, महिला संगठनों, त्रिस्तरीय पंचायतों आदि का सहयोग भी प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान में टीवी चैनलों, पत्र-पत्रिकाओं तथा रेडियो कार्यक्रमों में इसका प्रचार किया जा रहा है लेकिन इसे और भी अधिक व्यापक बनाने की आवश्यकता है तभी इसका कुछ प्रभाव दृष्टिगोचर होगा।
- बालिकाओं और महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा, अत्याचारों, दहेज प्रथा और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों तथा अशिक्षा जैसी बुराई को पूरी ताक़त लगाकर दूर किया जाना चाहिए। इस संबंध में मौजूदा कानून को और कठोर बनाया जा रहा है। लेकिन कानून के साथ-साथ सामाजिक चेतना बढ़ाने हेतु प्रयत्न किया जाना ज़रूरी है ताकि बालिकाओं के जन्म के प्रति लोगों की भावना में परिवर्तन आ सके।
- इस बुराई के प्रति विभिन्न धार्मिक संगठनों के उत्साह और सकारात्मक प्रतिक्रिया को सरकार द्वारा प्रोत्साहित और प्रचारित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि भ्रूण हत्या से संबंधित कानून को सशक्त और व्यावहारिक बनाने के साथ-साथ इनका समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करना वर्तमान सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों में यद्यपि इतना आसान कार्य नहीं है फिर भी उपर्युक्त कदम उठाए जाने से न केवल बालिकाओं के प्रति जन्म से पूर्व बरते जाने वाले भेदभाव के साथ-साथ देश में बिगड़ते स्त्री-पुरुष अनुपात और इसके फलस्वरूप भविष्य में उत्पन्न होने वाली संभावित अन्य अनेक परेशानियों और अव्यवस्थाओं में कमी लाने के लिये निश्चित रूप से मार्ग प्रशस्त हो सकता है। वैसे भी वास्तविकता यह है कि केवल कानून और व्यवस्थाएं बना देने मात्र से कोई बुराई दूर कर पाना या किसी कठिनाई और बाधा पर विजय पा लेना संभव नहीं है। इसके लिये लोगों को जागृत करना, सभी वर्गों और लोगों का सहयोग लिया जाना, विभिन्न स्तरों पर समन्वय स्थापित करना तथा राजनैतिक, प्रशासकीय एवं सामाजिक प्रतिबद्धता का होना भी समान रूप से अपरिहार्य है। ❑

(लेखक राज्य नियोजन संस्थान, उ.प्र. के संयुक्त निदेशक हैं)

महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण

● विजयलक्ष्मी

विश्व की कुल जनसंख्या में आधी जनसंख्या महिलाओं की है। वे कार्यकारी घंटों में दो तिहाई का योगदान करती हैं, लेकिन विश्व आय का केवल दसवां हिस्सा प्राप्त कर पाती हैं और उन्हें विश्व संपत्ति में सौवें से भी कम हिस्सा प्राप्त है

संयुक्त राष्ट्रसंघ की रिपोर्ट 'भारत में औरतें कितनी आज़ाद कितनी बराबर?' के अनुसार महिलाओं की श्रम शक्ति में भागीदारी, अर्थात वयस्क महिलाओं का प्रतिशत जो वास्तव में काम कर रही हैं, महिलाओं के दर्जे का संकेतक है तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमों की मानव विकास रिपोर्ट में जेंडर सशक्तीकरण मापक (जेम) एक अहम घटक है। विश्वभर में 1.5 लाख व्यक्ति प्रतिदिन एक अमरीकी डॉलर या इससे कम में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इनमें महिलाओं का बहुमत है। इसलिये यह कहा जा सकता है कि ग़रीबी का महिलाकरण (फेमिनाइजेशन ऑफ पावर्टी) हो गया है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं के कार्यों को उचित सम्मान नहीं मिलता।

विश्व की कुल जनसंख्या में आधी जनसंख्या महिलाओं की है। वे कार्यकारी घंटों में दो तिहाई का योगदान करती हैं, लेकिन विश्व आय का केवल दसवां हिस्सा प्राप्त कर पाती हैं और उन्हें विश्व संपत्ति में सौवें से भी कम हिस्सा प्राप्त है।

यद्यपि रोज़गार में महिलाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है लेकिन उन्हें कम वेतन मिल रहा है और उनके कार्य की परिस्थितियां असंतोषजनक हैं। विश्व के 550 लाख कार्यरत ग़रीबों में 80 प्रतिशत महिलाएं हैं।

महिलाएं अधिकांशत: पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करती हैं। वे बच्चों और बड़ों की देखभाल करती हैं, पारिवारिक भूमि के कामों में या व्यापार में सहयोग करती है, गांवों में पानी, ईंधन और चारा लाने में जीवन व्यतीत करती हैं। उनके ये कार्य नि:शुल्क तथा अप्रत्यक्ष होते हैं, जीडीपी में इसकी गणना नहीं होती।

2001 की जनगणना के अनुसार भी महिलाओं की घरेलू कार्यों की गणना नहीं होती है। मारथा सी. नुसवाम के अनुसार, महिलाएं दिनभर दुहरे कार्यभार में व्यस्त रहती हैं। बच्चों व पति की देखभाल के कार्य में वे अपना समय और शक्ति लगाती हैं, सारा दिन शारीरिक रूप से थकने के बाद उनके पास खुद के लिये समय नहीं होता। यहां तक कि वे पौष्टिक भोजन, आर्थिक सुरक्षा व आराम से भी वंचित रहती हैं। उन्हें अपनी क्षमता के विकास के लिये दो विकल्पों- पारिवारिक दायित्व तथा कैरियर निर्माण में से एक के चुनाव का अवसर नहीं मिलता। नोबल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन भी स्वीकार करते हैं कि महिलाओं को घर से बाहर जो कार्य मिलते हैं वे निचलेदर्जे के होते हैं, तथा उन्हें वेतन भी पुरुषों से कम मिलता है। ये उनकी सामाजिक हैसियत व हक़ को विपरीत रूप से प्रमाणित करते हैं (सेन/अग्रवाल, 2004)।

कार्यकारी महिलाओं की बहुत छोटी-सी संख्या को सरकारी आंकड़ों में स्थान मिल पाता है, ज्यादातर महिलाएं असंगठित क्षेत्रों जैसे- कृषि, पशुपालन के कार्यों में संलग्न रहती हैं। सच तो यह है कि सर्वेक्षणों के दौरान ये महिलाएं अपने आपको घरेलू औरतें ही कहती हैं। हालांकि वे आमदनी के लिये 14 से 16 घंटे रोज़ काम करती हैं।

इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि 80 प्रतिशत महिलाएं कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। केवल 6 प्रतिशत महिलाएं ही औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य करती हैं। इसमें उच्च पदों पर उनकी उपस्थिति अभी भी नगण्य है।

कृषि तथा मज़दूरी वाले क्षेत्रों में, न्यूनतम मज़दूरी लागू करने की कोई व्यवस्था नहीं है यहीं अधिकतर महिलाएं कार्यरत हैं। भारत में एक भी ऐसा राज्य नहीं है जहां महिलाओं तथा पुरुषों को समान कार्य के लिये समान मज़दूरी मिलती हो।

कार्यरत महिलाओं के संरक्षण के लिये कानूनी व्यवस्था

संसद के द्वारा समय-समय पर नीति-निर्देशक सिद्धांतों के क्रियान्वयन के लिये कानून बनाए गए हैं। धारा-38 के अनुसार, राज्य का यह दायित्व है कि वह ऐसी व्यवस्था करे जिससे सभी को 'सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक'

न्याय प्राप्त हो सके। धारा 39, 42 और 43 के अनुसार, राज्य ऐसी विधियां पारित करेगा जिससे सभी को समान कार्य के लिये समान वेतन, कार्य की औचित्यपूर्ण तथा मानवीय परिस्थितियां, मातृत्व अवकाश प्राप्त हो। कार्य परिस्थितियां ऐसी हों जिससे स्तरीय जीवन व्यतीत किया जा सके। कार्यरत महिलाओं के संरक्षण के लिये बनाए गए कुछ महत्वपूर्ण कानूनों का उल्लेख नीचे किया जा रहा है:

- **समान वेतन अधिनियम, 1976**

समान वेतन अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि महिला और पुरुष कर्मियों को समान वेतन मिले। रोज़गार में लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। प्रशिक्षण, तबादला तथा प्रोन्नति में किसी प्रकार का भेदभाव न हो। 1987 में कानून में संशोधन के द्वारा कानून का उल्लंघन करने पर दोषी के लिये कठोर दंड की व्यवस्था की गई है।

सर्वोच्च न्यायालय ने भी यह स्वीकार किया कि प्रत्येक महिला को समान कार्य के लिये समान वेतन तथा कार्य की उचित परिस्थितियां प्राप्त करने का अधिकार है। रणधीर सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 1982 में न्यायाधीश चिन्नपा रेड्डी ने यह स्वीकार किया कि समान कार्य के लिये समान वेतन यद्यपि मौलिक अधिकार नहीं है लेकिन यह एक संवैधानिक लक्ष्य है, विधियों की व्याख्या करते समय इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। धारा 39(डी) में निहित समान वेतन के निर्देश को धारा 14 एवं 190 में निहित मौलिक अधिकारों के साथ लिया जाना चाहिए।

- **मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961**

यह अधिनियम ऐसी संस्थाओं में कार्यरत महिलाओं के लिये है जहां 10 या उससे अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं। वे 12 सप्ताह के सवैतनिक अवकाश के लिये अधिकृत हैं, प्रतिदिन कार्य करने वाली महिलाओं के लिये भी मातृत्व अवकाश तथा अन्य भत्तों की व्यवस्था की गई है। म्यूनिसिपिल कारपोरेशन ऑफ दिल्ली बनाम महिला कर्मचारी (मस्टर रोल) 2000 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जो महिलाएं दैनिक वेतनभोगी या मस्टर रोल पर हैं, वे मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के अंतर्गत मातृत्व अवकाश प्राप्त करने की अधिकारिणी हैं।

- **न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1968**

यह अधिनियम उद्योगों में मज़दूरों के लिये न्यूनतम वेतन तथा कार्य की सही परिस्थितियों की व्यवस्था करता है जहां मजदूरी बहुत कम है तथा उनका शोषण किया जा रहा है। फैक्ट्री अधिनियम, 1968 कार्यस्थल पर महिलाओं को संरक्षण प्रदान करता है।

जेंडर मेनस्ट्रिमिंग व जेंडर बजटिंग

भारत के भूतपूर्व न्यायाधीश जस्टिस जे. एस. वर्मा के अनुसार आज मानव जाति के लिये सबसे बड़ी चुनौती ग़रीबी है। यह विकास के मार्ग में बड़ी बाधा है। जेंडर समानता लाने के लिये सबसे अधिक प्रभावशाली रणनीति है:

- महिला सशक्तीकरण,
- जेंडर मेनस्ट्रिमिंग और
- संस्थाओं की क्षमता में इस प्रकार वृद्धि हो कि उनके कार्यों में लैंगिक समानता के दृष्टिकोण को सम्मिलित किया जाए (वर्मा, 2005)।

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट 2003 के अनुसार एमडीजी को लागू करने तथा उसे नियंत्रित करने के लिये जेंडर मेनस्ट्रिमिंग आवश्यक है। इससे तात्पर्य यह है कि महिला और पुरुषों की विभिन्न भूमिकाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके लिये क्रियान्वित नीतियों और कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया जाए जिससे कि असमानता का उन्मूलन किया जा सके तथा दोनों समान रूप से लाभान्वित हों।

केंद्र सरकार द्वारा सभी मंत्रालयों, विभागों को जेंडर बजटिंग के लिये विस्तृत निर्देश दिए गए हैं कि सभी संसाधनों के वितरण में जेंडर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए नीतियों पर पुनर्विचार करें तथा योजनाओं को लागू करें। केवल सामाजिक क्षेत्र के विभागों जैसे- शिक्षा, स्वास्थ्य तथा ग्रामीण विकास में ही सार्वजनिक तथा नीतियों में जेंडर दृष्टिकोण को सम्मिलित नहीं किया गया है वरन सार्वजनिक व्यय के सभी क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है जिसमें वित्तीय नीतियां भी सम्मिलित हैं जैसे- सार्वजनिक मुद्रास्फीति, कर आदि जो महिलाओं के विकास को प्रत्यक्षत: प्रभावित करती हैं। राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण/अधिकारिता विनियम, 2001 में बजट बनाने की प्रक्रिया में जेंडर दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया गया है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नेशनल पॉलिसी, 2001 को क्रियान्वित करने के लिये सकारात्मक आर्थिक और सामाजिक नीतियों द्वारा ऐसा वातावरण निर्मित करने पर ज़ोर दिया गया जिसमें:

- महिलाएं अपना पूर्ण विकास कर सकें।
- पुरुषों की भांति मानवीय अधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं का कानूनी तथा वास्तविक उपभोग कर सकें।
- राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में सहभागिता और निर्णय प्रक्रिया में उनकी समान पहुंच हो।
- स्वास्थ्य रक्षा, सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता, रोज़गार, सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक पदों पर महिलाओं की समान पहुंच हो।
- विकास प्रक्रिया में लैंगिक दृष्टिकोण को सम्मिलित किया जाए। ❑

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं)

अपने लेख हमें ई-मेल करें

आप हमें अपने लेख और पत्र ई-मेल भी कर सकते हैं। ई-मेल करने इसके लिये कृतिदेव फांट इस्तेमाल करें और वर्ड ओपन फाईल exeed.yojana@gmail.com अथवा yojanahindi@gmail.com पर भेजें। एक से अधिक लेखकों के नाम केवल विशेष शोध लेखों पर ही दें। जिन रचनाओं के साथ मौलिकता का प्रमाणपत्र संलग्न नहीं होगा वे स्वीकार नहीं की जा सकेंगी। रचना के प्रकाशन के संबंध में किसी प्रकार का पत्र-व्यवहार अथवा फोन न करें। विशेष अवसरों के लिये लेख तीन माह पूर्व प्राप्त हो जाने चाहिए। रचनाओं के साथ यथासंभव प्रासंगिक चित्र भी भेजें। डाक से भेजे जाने वाले लेखों की एक प्रति सीडी में भी भेजें। वापसी के लिये कृपया टिकट लगा और पता लिखा लिफ़ाफ़ा संलग्न करें।

– वरिष्ठ संपादक

IAS - 09 (प्रारंभिक परीक्षा विशेष)

सामान्य अध्ययन

FREE WORKSHOP के साथ
कक्षा प्रारंभ : **16th Nov. 10.30 AM**

रजनीश तोमर
(M.A. Delhi University)
(भारतीय राजव्यवस्था, सामान्य ज्ञान, भौतिक, रसायन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा मानसिक योग्यता)

पूनम राज
(भारतीय इतिहास एवं संस्कृति)

दिनेश मिश्रा
(M.A. Economics Allahabad University)
(भारतीय अर्थव्यवस्था)

नीरज भूषण
(समसामयिकी, भूगोल)

अवनीश कुमार
(Msc. Biotech. J.R.F. GATE. CDRI Lukhnow)
(जीव विज्ञान)

भारतीय इतिहास

पूनम राज, रजनीश तोमर
एवं विशेषज्ञ टीम के साथ
FREE WORKSHOP के साथ
कक्षा प्रारंभ : **17th Nov. 4 PM**

प्रारंभिक परीक्षा (Test Series)

कार्यक्रम

विषय	टेस्ट संख्या
सामान्य अध्ययन	45
इतिहास	25
भूगोल	25
Gen. Studies	25
Public Admn.	25

विशेषता

- सभी प्रश्न मौलिक।
- सामान्य अध्ययन के प्रत्येक टेस्ट में 150 प्रश्न एवं वैकल्पिक विषय के प्रत्येक टेस्ट में 120 प्रश्न।
- सभी प्रश्नों के स्त्रोत सहित व्याख्यात्मक हल।
- सामान्य अध्ययन के अन्तर्गत समसामयिकी के 8 तथा भारत 2009 के 12 टेस्ट।

नोट : 1. 15th October के पूर्व Reg. कराने पर Fee में 20 प्रतिशत की छूट।
2. पालि के पुराने छात्रों को Fee में 33 % तथा 15 Oct. के पूर्व Reg. कराने पर 10 % की अतिरिक्त छूट।

VSCS VISHWAS SCHOOL OF CANONICAL STUDIES

DELHI
A-37/38/39, Basement,
Ansal Building,
B/H Mother Dairy (Safal Booth),
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 9
Ph. 011-27652066-67, 9868081777
09924191307, 9990608107

AHAMEDABAD
C/o. VISHWAS ACADEMY
A/1/G, Chinubhai Tower,
Nr. H.K. College, Ashram Road,
Ph.(079) 2658632, 30616926,
9427071727, 9428804127

SURAT
C/o. VISHWAS ACADEMY
Sahajanand, Nr. Jalpari Appt.
B/h. Ambika Niketan Temple,
Parle Point, Surat
Ph.9924191307, 9428804127,
9428804128

YH-10/08/17

जैविक खेती में स्वावलंबन

● अनिल प्रकाश

जब से केंचुआ खाद और जैविक कीटनाशक बनाने का चलन शुरू हुआ है तब से महिलाएं भी इस ओर उन्मुख हो रही हैं। कुछ महीने पूर्व सकरी सरैया गांव में आयोजित जैविक कृषक पंचायत में आए लगभग 500 लोगों में से दो सौ महिलाएं थीं। अगर यह सिलसिला चल पड़ा तो महिलाओं को स्वरोज़गार और स्वावलंबन का ठोस आधार मिल जाएगा

बिहार में वैशाली जिले के लालगंज में पहला महिला किसान क्लब कुछ वर्षों पहले बना और इसके कामों के कारण इसकी शोहरत भी हुई। धान की रोपनी, फ़सल की कटाई, ढुलाई सभी जगह महिलाएं होती हैं, लेकिन प्रबंधन और पैसे-कौड़ी पर अधिकार पुरुषों का रहता है। घर की मालकिन कहलाने वाली औरतों के हाथ में प्रबंधन, निर्णय और वित्तीय अधिकार अपवाद स्वरूप ही रहते हैं। लेकिन अब हालात कुछ बदल रहे हैं। रोज़गार की तलाश में पुरुषों का बड़े पैमाने पर प्रवासन होने के कारण खेती-किसानी घर की महिलाओं के जिम्मे आ जाती है। बकरी पालकर ग़रीब महिलाएं यहां तक कि निम्न-मध्यमवर्गीय महिलाएं भी दो पैसे का जुगाड़ करती रही हैं। कुछ गाय-भैंस भी पालती हैं। गोबर का गोइठा (उपला) बनाकर भी बेचती हैं और इससे बचे पैसे से बच्चों के इलाज और अब पढ़ाई-लिखाई

का इंतजाम करती हैं। लेकिन जब से बिहार में केंचुआ खाद और जैविक कीटनाशक बनाने का चलन शुरू हुआ है तब से महिलाएं भी इस ओर उन्मुख हो रही हैं। पारू प्रखंड के चांद केवारी की कलावती देवी और डुमरी की कमल देवी इसका उदाहरण हैं। कुछ महीने पूर्व मुजफ्फरपुर के सकरी सरैया गांव में आयोजित जैविक कृषक पंचायत में आए लगभग 500 लोगों में से दो सौ महिलाएं थीं। अगर यह सिलसिला चल पड़ा तो महिलाओं को स्वरोज़गार और स्वावलंबन का ठोस आधार मिल जाएगा।

आज सैकड़ों युवा किसान जैविक कृषि अपना रहे हैं। सुजावलपुर के अशोक कुमार, पुखरौली के कृष्णमोहन महतो, रजला के मुकेश, कृष्णा प्रसाद, सकरी सरैया के वीरेंद्र, नरेश, सुनील जैसे सैकड़ों युवा हैं जो जोर-शोर से जैविक खेती और उसके प्रसार में जुटे हैं।

वैशाली जिले के कम्मन, छपड़ा गांव के फुदेनी पंडित, गोविंदपुर के श्रीकांत कुशवाहा और मानिकपुर के सुबोध तिवारी ने लगभग आठ साल पूर्व जब केंचुआ खाद, जैविक कीटनाशक और औषधीय पौधों का प्रयोग और प्रचार-प्रसार शुरू किया तो लोग उन्हें पागल समझते थे। उनके घर वाले भी रासायनिक खाद, दवा पर आधारित कृषि को छोड़कर जैविक खेती को अपनाने के लिये तैयार नहीं थे। लेकिन ऐसे पागल उत्तर बिहार के हर जिले में प्रकट होने लगे। आज ये लोग किसानों के प्रेरणास्रोत, मार्गदर्शक और प्रशिक्षक बन गए हैं। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुंगेर, भागलपुर सभी जगह जैविक खेती का प्रसार होने लगा है। जो किसान इसे अपना रहे हैं उनकी खेती के लागत ख़र्च में काफी कमी आ गई है, सिंचाई का ख़र्च घट गया है, खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ रही है और भरपूर उत्पादन हो रहा है। मुश्तंफापुर के मनोज कुशवाहा सरीखे युवा किसानों की तक़दीर बदल रही है।

उत्तर बिहार के जिन युवा किसानों ने जैविक खेती अपनाई है उन्होंने इस बार अपने खेतों में सोना उपजाया। उनके गेहूं की बालियां और मक्के के बाल (भुट्टे) पहले से बड़े थे। दाने भी काफी पुष्ट और देखने में ज्यादा सुंदर। अमूमन गेहूं की एक बाली में 42 से 52 दाने रहते हैं, इस बार 72 से 82 दाने थे। एक एकड़ खेत में 26 क्विंटल 40 किलोग्राम तक गेहूं की उपज हुई। मकई तथा अन्य फ़सलों में भी इसी प्रकार की वृद्धि देखी गई। इन किसानों ने पिछले दो वर्षों के दौरान रासायनिक उर्वरकों और ज़हरीले कीटनाशकों का प्रयोग बंद करके जैविक कृषि की शुरुआत की है। केंचुआ खाद (वर्मी कंपोस्ट) और नीम की पत्तियों तथा गाय के मूत्र के संयोग से बने जैविक कीटनाशक के प्रयोग का ही परिणाम था कि मात्र दो वर्षों में ही उनके खेतों की उर्वरा शक्ति वापस लौट आई, जो लंबे समय तक रासायनिक खाद, दवा के प्रयोग के कारण नष्ट हो रही थी। जब रासायनिक खादों का प्रयोग शुरू किया गया था तो इन खेतों में उपज एकाएक बढ़ गई थी। लेकिन धीरे-धीरे उर्वरा शक्ति क्षीण होती गई। खेती का ख़र्च बढ़ता गया। जैविक खेती में बहुत कम सिंचाई में ही अच्छी फ़सल होने लगी है क्योंकि अब मिट्टी में वर्षा जल को सोखकर उसे टिकाए रखने की क्षमता काफी बढ़ गई है।

जिन खेतों में जैविक खाद और जैविक कीटनाशक के द्वारा सब्ज़ियां उगाई जा रही हैं वहां की सब्ज़ियां ज्यादा अच्छी, स्वादिष्ट और पौष्टिक हैं। मुजफ्फरपुर, मेहसी, वैशाली तथा आसपास के इलाके में काफी लीची पैदा होती है। लीची के जिन बागानों में जैविक खाद और जैविक कीटनाशक का प्रयोग किया जाने लगा है वहां की लीची का रंग, आकार, स्वाद और गुणवत्ता बेहतर है। जो किसान जैविक कृषि द्वारा आलू, प्याज उपजाते हैं उनका कहना है कि उनके खेत के आलू, प्याज कोल्डस्टोरेज में रखे बिना भी ज्यादा दिन तक सुरक्षित रहते हैं, जल्दी सड़ते नहीं। पौष्टिकता, स्वाद, गुणवत्ता और स्वास्थ्य के लिये निरापद होने के कारण जैविक तरीक़े से उपजाए गए अनाज, फ़ल और सब्ज़ियों के भाव भी ज्यादा मिलते हैं। इसलिये इस तरफ किसानों की अभिरुचि बढ़ने लगी है।

रासायनिक खाद-दवा वाली खेती ने फ़सल चक्र को भी बिगाड़ दिया है। एक ही फ़सल बार-बार लगाने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। दाल और अनाज की फ़सलों को अदल-बदल कर बोने से या विभिन्न फ़सलों को मिश्रित रूप से बोने से खेतों की उर्वरा शक्ति कायम रहती है। दाल वाली फ़सलें जैसे - मसूर, चना, मूंग, अरहर आदि अपनी जड़ों में गांठ के रूप में नाइट्रोजन जमा करती हैं। पौधे यह नाइट्रोजन वायुमंडल से प्रकाश संश्लेषण के दौरान इकट्ठा करते हैं। जैविक कृषि की ओर अग्रसर हुए किसानों ने फिर से मिश्रित खेती या अदल-बदल कर फ़सलें लगाने का सिलसिला शुरू किया है। रासायनिक कृषि के कारण खेती के लिये आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व भी समाप्त होने लगे हैं। फलत: किसानों को बाज़ार से महंगे सूक्ष्म पोषक तत्व ख़रीद कर खेतों में डालना पड़ता है। मिट्टी की जांच भी झंझट का काम है जो आम किसानों के लिये संभव नहीं होता जबकि केंचुआ खाद में खेती के लिये ज़रूरी सभी सूक्ष्म पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं।

फुदेनी पंडित द्वारा 'एसिनिया फटिडा' केंचुआ से निर्मित किए जाने वाले जैविक खाद में नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटैशियम की पर्याप्त मात्रा के साथ-साथ भरपूर मात्रा में कैल्शियम, मैग्निशियम, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, बोरोन, सल्फर, लोहा, तांबा, जस्ता, मैंगनीज, जिबरैलीन, साइटोकाइनिन तथा ऑक्सीजन पाया जाता है। इसके अतिरिक्त बायो एक्टिव कंपाउंड, विटामिन और एमिनो एसिड रहता है।

उत्तरी और पूर्वी बिहार के युवा किसान मधुमक्खी पालन का काम भी तेज़ी से अपनाने लगे हैं। बिहार के सवा लाख से भी ज्यादा किसान परिवार शहद उत्पादन का पेशा अपनाकर खुशहाल हैं। इस काम में अभी से दस गुना वृद्धि हो सकती है और 10-12 लाख परिवार इससे खुशहाल हो सकते हैं। एक खास बात यह भी है कि जिन फ़सलों या फलदार वृक्षों के आसपास मधुमक्खियों के बक्से रखे जाते हैं वहां उपज में बीस प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि मधुक्खियां फ़सलों और फलों के मंजरों के परागन में बहुत मददगार होती हैं लेकिन फ़सलों और लीची, आम आदि के मंजरों पर जहरीले रासायनिक कीटनाशकों के छिड़काव के कारण बड़ी संख्या में मधुमक्खियां मर जाती हैं। इनके अलावा तितली, केंचुए आदि सैकड़ों तरह के मित्र कीट और जीव-जंतु भी मर जाते हैं। मेंढक प्रतिदिन अपने शरीर के वज़न के बराबर खेती के शत्रु कीटों को खा जाता है। लेकिन आज मेंढकों के जीवन पर भी आफत है। कोयल की कूक, कौए की कांव-कांव, चिड़ियों की चहचहाहट और कबूतरों की गुटुर-गूं भी कम सुनाई पड़ती है। मोर मर रहे हैं, तोता, मैना और चील भी बहुत कम दिखाई देते हैं और गिद्ध तो दिखाई ही नहीं देते। लेकिन जिन गांवों में जैविक कृषि होने लगी है, वहां खेती और मनुष्य के मित्र जीव-जंतुओं की सुरसुराहट,

चिड़ियों की चहचहाहट का मधुर संगीत फिर से सुनाई देने लगा है।

मध्यकाल से ही तिरहुत के एक बड़े इलाके में तंबाकू की खेती हो रही है। मुगल दरबारों, अमीर-उमरा, नवाबों, जमींदारों, राजे-रजवाड़ों और रईसों के यहां तंबाकू का चलन था और उसकी अच्छी क़ीमत मिल जाती थी। इसलिये उसकी खेती को बढ़ावा मिला। धीरे-धीरे सामान्य जन भी तंबाकू के आदी होने लगे। किसान जानते हैं कि तंबाकू के रूप में वे ज़हर खा रहे हैं लेकिन पेट की खातिर तंबाकू उगाना पड़ता है। यहां ऐसा कोई समाज सुधारक भी नहीं हुआ जो तंबाकू की उपज और उसके उपयोग के बहिष्कार के लिये लोगों को प्रेरित करता। जिन्होंने प्रयास भी किए उन्हें आंशिक सफलता ही मिल सकी। लेकिन आज अनेक स्त्री-पुरुष किसानों ने पुदीना, लेमनग्रास, अश्वगंधा, सफेद मूसली, शतावर, आंवला, हर्रे, बहेड़ा, जस्टीसिया, ब्राह्मी, पुनर्नवा, तुलसी जैसे सैकड़ों औषधीय पौधों की खेती शुरू कर दी है। उन्हें इसके अच्छे दाम और अच्छा मुनाफ़ा भी मिलने लगा है। देसी और अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में इनकी बड़ी मांग है। एलोपैथिक दवाओं, खासकर एंटीबायटिक दवाओं के दुष्प्रभावों के चलते जड़ी-बूटियों तथा औषधीय वनस्पतियों की मांग और भी तेज़ी से बढ़ने वाली है। शुरू-शुरू में जब औषधीय पौधों की खेती होने लगी थी तो बड़ी-बड़ी कंपनियां किसानों से बहुत सस्ते में जड़ी-बूटियां ख़रीद लेती थीं। लेकिन अब अनेक कृषक आपसी सहयोग से औषधीय वनस्पतियों का प्रसंस्करण करके अच्छे भाव में बेचने लगे हैं।

कहते हैं - बिल्ली के भाग्य से छींका टूटा। कुछ वर्ष पूर्व असम से जर्मनी तथा अन्य यूरोपीय देशों को निर्यात की गई चाय वापस लौटा दी गई थी। उस चाय में ज़हरीले कीटनाशकों तथा रासायनिक खाद के अंश पाए गए थे, जिन्हें मानव स्वास्थ्य के लिये हानिकारक माना जाता है। नासिक से निर्यात किए गए अंगूर को भी इसी कारण लौटाया गया था। अमीर देश सब्ज़ियों, फलों, अनाज तथा दूध आदि की जांच के बाद निरापद पाए जाने के बाद ही उनके आयात की अनुमति देते हैं। इसलिये चाय बागान वाले अब केंचुआ खाद और जैविक कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ा रहे हैं, ताकि निर्यात संभव हो सके। निर्यात किए जाने वाले अंगूर, आम, केला, लीची आदि के बागानों से भी जैविक खाद और जैविक कीटनाशकों की मांग बढ़ती जा रही है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिये सरकार की ओर से सब्सिडी का भी प्रावधान है, लेकिन अफसोस की बात है कि बहुत थोड़े से किसान इससे लाभांवित हो पाते हैं। इस सब्सिडी का काफी पैसा वापस लौट जाता है तथा कुछ बिचौलिये मार लेते हैं। कुछ अपवाद को छोड़कर बैंकों का रवैया भी उदासीनतापूर्ण या नकारात्मक ही दिखाई देता है। सरकारी अधिकारी और सरकार भी सिर्फ़ निर्यात वाले खाद्य पदार्थों के जैविक तरीक़े से उत्पादन की चिंता करती है। खेती में ज़हरीले रसायनों के प्रयोग से पंजाब में कैंसर तथा अन्य प्रकार की घातक बीमारियों का प्रसार हुआ है। अन्य राज्यों से भी इसी प्रकार की रिपोर्टें आ रही हैं। अगर हम रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के उत्पादकों को दी जाने वाली भारी-भरकम सब्सिडी को सीधे किसानों के हाथों में पहुंचा सकें तो किसान अपनी सुविधा के अनुसार जैविक कृषि का विकल्प चुन लेंगे। इससे हमारा पेट्रोलियम आयात का बिल भी कम होगा, हमारी खेती भी बचेगी, हमारे किसान भी खुशहाल होंगे और हमारा स्वास्थ्य भी निरापद रहेगा। ऐसा हो सका तो जैविक कृषि के प्रसार-प्रचार में नि:स्वार्थ भाव से लगे पंकज, फुलदेव पटेल, शंकर, इंदीवर, जगत, संतोष सारंग, हेमनारायण विश्वकर्मा और विकास कुमार चरण सरीखे युवाओं के सपने भी साकार होंगे। ❑

(लेखक सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार हैं)

मज़दूरी करने वाली महिलाओं ने गढ़ा नया अर्थशास्त्र

● संजय दीक्षित

रोजी-मज़दूरी करके जीवनयापन करने वाली छत्तीसगढ़ की आधा दर्जन ग्रामीण महिलाओं ने सफ़लता की ऐसी इबादत लिख डाली कि प्रबंधन के डिग्रीधारी लोगों को भी इसके लिये सौ बार सोचना पड़ेगा। महिलाओं ने विश्व बैंक की मदद से राज्य में चल रही ग़रीबी हटाओ परियोजना (नवा अंजोर) से एक लाख रुपये कर्ज़ लेकर जेट्रोफा (रतनजोत) की नर्सरी लगाई और उसे बेच कर सालभर में 17 लाख रुपये की कमाई कर डाली। रायपुर में आयोजित एक समारोह में टीम लीडर विमल बाई को उत्कृष्टता पुरस्कार देते समय लोग नारी सशक्तीकरण की इस गाथा को सुनकर अवाक रह गए।

रायपुर से 80 किलोमीटर दूर बसना ब्लॉक के चनाउ गांव की छह महिलाओं में से चार ग़रीबी रेखा से नीचे से आती हैं और इनमें से एक पांचवीं पास है। बाकी सभी निरक्षर। एक आदिवासी और पांच पिछड़े वर्ग की। सभी समृद्ध किसान चमार सिंह पटेल की जेट्रोफा की नर्सरी में मज़दूरी करती थीं। चमार सिंह को जेट्रोफा की उत्कृष्ट खेती के लिये पूर्व राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम से पुरस्कार मिल चुका है। कहते हैं, एक की सफलता दूसरे को प्रेरणा देती है। विमला बाई के नेतृत्व में महिलाओं ने फ़ैसला किया कि वे भी कुछ करके दिखाएंगी। नर्सरी लगाने के लिये सबसे बड़ी अड़चन यह थी कि उनके पास एकड़भर भी ज़मीन नहीं थी मगर हौसला फ़ौलादी था। उनके हौसलों को पंख लगाया नवा अंजोर परियोजना ने। नवा अंजोर से ही किश्तों में उन्हें एक लाख रुपये मिले। इस पैसे से महिलाओं ने आठ एकड़ ज़मीन लीज पर ली। जंगल महकमे से बीज ली और जुट गईं कामयाबी की नयी परिभाषा गढ़ने में।

विमला बताती है- जितनी मेहनत हमलोग मज़दूरी के लिये करते थे, उससे कई गुना अधिक काम नर्सरी के लिये किए। आठ एकड़ ज़मीन में जेट्रोफा के 20 लाख पौधे तैयार हुए। इनमें से एक रुपये प्रति पौधे के हिसाब से 17 लाख 12 हज़ार पौधे छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल प्राधिकरण ने ख़रीद लिये। मिशन ने इस बार एक करोड़ पौधे का आर्डर दिया है। ❑

D दीक्षांत IAS — सिविल सेवा के लिए समर्पित संस्थान — **SYNERGY**

Tata McGraw-Hill
द्वारा शीघ्र प्रकाशित पुस्तकें

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा हेतु ...
समाजशास्त्र
डॉ. एस.एस. पाण्डेय
Tata McGraw-Hill

भारतीय समाज
एक परिचय
डॉ. एस.एस. पाण्डेय
Tata McGraw-Hill

अन्य प्रकाशित पुस्तक :
'Changing Focus on LMR in India'
by Dr. S.S. Pandey

समाजशास्त्र

by

DR. S. S. PANDEY

प्रथम बैच प्रारम्भ
14 October, 08

द्वितीय बैच प्रारम्भ
11 November, 08

हमारे छात्रों द्वारा समाजशास्त्र (हिन्दी माध्यम, CSE) में अंक प्राप्त किया गया...

Students	Paper-I		Paper-II		Total
Naval Kishor	177	+	181	=	358
Amit Kr. Singh	178	+	167	=	345
Kumar Abhishek	174	+	168	=	342
Saurabh Nayak	170	+	171	=	341
Ashutosh Goswami	164	+	174	=	338
Ashok Yadav	177	+	150	=	327
Mahendra Sharma	173	+	153	=	326
Mritunjay Singh	152	+	174	=	326
Chandra Shakher	158	+	168	=	326
Ashish Pandey	170	+	155	=	325
Sanjeev Pathak	170	+	165	=	325
Vivek Sukrishan	167	+	156	=	323
Punam	165	+	155	=	320
Arvind Wani	164	+	153	=	317
Shweta Chandraker	182	+	132	=	314
Saloni	138	+	175	=	313
Rahul Singh	170	+	142	=	312
Sunita	157	+	150	=	307
Manoj Patel	171(1st Paper)				

CSE-07 में हमारे सफल छात्र...

PUB. ADMN. M.K. Mohanty

SONAL GOEL
RANK **13**

ASHISH PANDEY CSE - 07 | ARWIND WANI CSE 07 | MAHENDER CSE-07 | RAGHU KIRAN B CSE-07 | ANU AGARWAL CSE-07
AJAY LINDA CSE-07 | GAURAV SHARMA CSE-07 | DEVESH GUPTA CSE-07 | E.V. VARDHAN REDDY CSE-07 | ARCHNA CSE-06

CSE-07 में अन्य चयनित छात्र

Chaavi Bhardwaj Rank 11	Vikas Pathak Rank 26	KALI INDI RAGHURAM Rank 43	VIKAS NARWAL Rank 58	CHANDRA SHEKHAR Rank 79	MOHD ZUBAIR ALI Rank 82	ATUL KUMAR Rank 91	NEEVA JAIN Rank 99
S SATEESH BINO Rank 105	ALOK RAJORIA Rank 167	C VAMSI KRISHNA Rank 175	ARAVA RAJKAMAL Rank 179	RAHUL S Rank 241	DEVINDER ARYA Rank 244	GAURAV SHARMA Rank 264	NEEVA JAIN Rank 277
PRIYANKA SINGLA Rank 287	SADRE ALAM Rank 311	RAGHU KIRAN B Rank 343	SIBA PRASAD PANDA Rank 351	ROHIT RAJ Rank 364	DEVESH GUPTA Rank 378	SHAIFALI G SINGH Rank 395	ROHIT ANAND Rank 416
ANU AGARWAL Rank 485	AMIT RAJ Rank 488	SENTHIL K Rank 507	AJAY LINDA Rank 532	E V SHIVASHANKERSHNA Rank 631	SACHIN KR. ATULKAR Rank 685	? आप भी हो सकते है?	

PT+MAINS SPECIAL PROGRAMME, 08

- प्रश्नोत्तर परिचर्चा कार्यक्रम जिसमें संभावित प्रश्नों के उत्तरों पर चर्चा एवं UPSC में पूछे गये 10 वर्षों के प्रश्नों की समीक्षा
- समीप घटनाओं एवं समीप सैद्धान्तिक विकास के साथ सम्बद्ध करते हुए अध्ययन एवं प्रत्येक सप्ताह Class Tests.
- UPSC के अतिरिक्त U.P., M.P., Raj., Bihar, Uttaranchal, Jharkhand, Chhattisgarh, Haryana, Himachal, PCS के लिए भी विशेष अध्ययन - कार्यक्रम
- Non Sociological Background वाले छात्रों के लिए 1 घंटे (प्रतिदिन) का विशेष कार्यक्रम

Correspondence Course: प्रा०-2000/- | मुख्य : 2500/- | प्रा० + मुख्य : 4000/- | भेजें - D.D., Shipra Pandey के नाम देय

301-302, Jaina Building Extn. Commercial Complex, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-9, Tel. : 9312511015, 9868902785, 011-27654518

YH-10/08/18

यौन प्रताड़ना : कुछ तथ्य

- **शिकायत दर्ज़ कराने की क्या प्रक्रिया है तथा शिकायत कौन दर्ज़ करा सकता है?**

1. इस अधिनियम के अंतर्गत
   - कोई भी पीड़ित महिला
   - पीड़ित महिला की मृत्यु हो जाने की स्थिति में उसका वैध उत्तराधिकारी या प्रतिनिधि
   - पीड़ित महिला के एक से अधिक उत्तराधिकारी होने की स्थिति में, सभी या एक या एक से अधिक द्वारा अपनी ओर से और अन्य की ओर से भी किसी प्राधिकरण अथवा व्यक्ति के समक्ष शिकायत दर्ज़ कराया जा सकता है, अथवा
   - उपर्युक्त व्यक्तियों की ओर से या उनकी लिखित सहमति/प्राधिकार से (क) पंजीकृत श्रमिक संगठन; (ख) महिलाओं का संगठन अथवा स्वैच्छिक संस्था; (ग) साथी कर्मचारी शिकायतकर्ता की ओर से शिकायत दर्ज़ करा सकते हैं। यह अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत केवल कार्रवाई शुरू करने तक ही सीमित है।

- **शिकायत किस स्थान पर दर्ज़ कराई जा सकती है?**
   - जिन कार्यस्थल पर आंतरिक शिकायत समिति गठित की गई हो वहां इस अधिनियम के अंतर्गत, शिकायत प्राप्त करने के लिये अधिकृत समिति के सदस्य अथवा व्यक्ति के समक्ष शिकायत दर्ज़ कराई जा सकती है।
   - यदि पीड़ित महिला का आरोप हो कि उसको किसी अन्य शाखा अथवा कार्यालय, जहां वह तैनात थी, अथवा अपने कार्य के सिलसिले में गई हुई थी, इस मामले में अपने नियमित कार्यालय अथवा शाखा की आंतरिक शिकायत समिति अथवा उस कार्यालय अथवा शाखा जहां यौन प्रताड़ना की घटना हुई की आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष शिकायत दर्ज़ कराई जा सकती है। परंतु इस शिकायत के संबंध में सारी कार्रवाई उसी स्थान पर की जाएगी, जहां प्रतिवादी कार्यरत है।
   - उस स्थिति को छोड़कर जब ऐसा करना मना हो, इस अधिनियम के तहत शिकायत जिलाधिकारी अथवा स्थानीय शिकायत समिति के पास भी शिकायत दर्ज़ कराई जा सकती है, बशर्ते:

क- जिन मामलों में शिकायत पीड़ित महिला के नियोक्ता के विरुद्ध हो या संबंधित कार्यस्थल के प्रभारी व्यक्ति के ख़िलाफ हो, वह (पीड़िता) यदि चाहे तो जिला अधिकारी के पास शिकायत दर्ज़ करा सकती है।

ख- इस अधिनियम के अंतर्गत यदि नियोक्ता सहित आंतरिक शिकायत समिति का गठन नहीं किया जा सका हो तो कथित नियोक्ता द्वारा नौकरी पर रखी गई पीड़ित महिला जिलाधिकारी अथवा स्थानीय शिकायत समिति के पास यौन प्रताड़ना की शिकायत दर्ज़ करा सकती है।

ग- यदि जिलाधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी कार्यस्थल पर अनेक महिलाओं के साथ यौन प्रताड़ना हो रही है, परंतु गंभीर ख़तरे अथवा बदले के डर से वे शिकायत करने अथवा शिकायत दर्ज़ कराने के लिये लिखित अनुमति देने की स्थिति में न हों, तो जिलाधिकारी स्वयं इस मामले में कार्रवाई कर सकता है।

घ- इस तरह गठित समिति की बैठकें शिकायतकर्ता के कार्यस्थल के आसपास ही होनी चाहिए।

- **तदर्थ आंतरिक शिकायत समिति क्या है?**

उन स्थितियों में जहां प्रतिवादी किसी कार्यस्थल या संगठन में कार्यस्थल के प्रमुख के तौर पर वरिष्ठ पद पर हो, अथवा नियोक्ता के प्रमुख के तौर पर वरिष्ठ पद पर हो, अथवा नियोक्ता हो या संबंधित कार्यस्थल का प्रभारी हो, उपयुक्त सरकार एक ऐसे व्यक्ति की अध्यक्षता में तदर्थ समिति का गठन करेगी, जो प्रतिवादी से पद और स्थिति में वरिष्ठ हो अथवा पीड़ित शिकायतकर्ता को स्थानीय शिकायत समिति के पास शिकायत दर्ज़ कराने का विकल्प प्रदान करेगी।

- **किन परिस्थितियों में मौखिक शिकायत को लिखित रूप दिया जा सकता है?**

जिस अधिकारी/व्यक्ति के समक्ष इस अधिनियम के तहत मौखिक शिकायत की गई हो उसकी यह जिम्मेदारी होगी कि उस शिकायत को लिपिबद्ध कर शिकायतकर्ता को उसकी इच्छित भाषा में पढ़कर सुनाया जाए और उस पर उसके हस्ताक्षर भी लिये जाएं।

- **यौन प्रताड़ना कब आपराधिक घटना बन जाती है?**

उस परिस्थिति में जब यौन उत्पीड़न की घटना भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 45 या अन्य किसी कानून के तहत हुई हो, तो यह उस प्राधिकारी, समिति के सदस्य, स्थानीय अधिकारी की जिम्मेदारी होगी, जिसके पास यह शिकायत आई हो कि वह शिकायत कर्ता को उसके उस अधिकार के बारे में बताए जिसके तहत उसे उपयुक्त प्राधिकारी के पास कानूनन कार्रवाई शुरू करने का अधिकार है, और उसके बारे में परामर्श दे और मार्गदर्शन करे।

शिकायतकर्ता भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 45 के तहत आपराधिक प्रक्रिया शुरू करने का विकल्प चाहे इस्तेमाल करे या नहीं, जिलाधिकारी/समिति के सदस्य और शिकायत समिति, अधिनियम के तहत, कार्रवाई शुरू करने और आगे बढ़ाने के लिये बाध्य होंगे। ❑

गांधी की आर्थिक दृष्टि

● कन्हैया त्रिपाठी

गांधी की आर्थिक दृष्टि मानवाधिकारों का एक गतिमान व स्थायी आग्रह है साथ ही साथ मनुष्य के गरिमा की हिफ़ाजत का अनुरोध भी है

"सच्चा अर्थशास्त्र सामाजिक न्याय की हिमायत करता है; वह समान भाव से सबकी भलाई का, जिनमें कमज़ोर भी शामिल हैं, प्रयत्न करता है, और सभ्यजनोचित सुंदर जीवन के लिये है" (*हरिजन,* 9 अक्तूबर, 1937)। महात्मा गांधी के इस सूत्र वाक्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि गांधी की आर्थिक दृष्टि नैतिकता की बुनियाद पर टिकी हुई है जिसमें शोषण की गुंजाइश नहीं है। वास्तव में, गांधीजी के आर्थिक दर्शन का यदि मूल्यांकन करे तो वास्तविक आर्थिक मॉडल क्या होना चाहिए और अहिंसक आर्थिक ढांचा तैयार करने के पैमाने क्या हैं, इसका पूर्णतया ज्ञान हो जाएगा। गांधी सर्वोदय के हिमायती थे और सर्वोदय का अर्थ ही होता है – 'सबका उदय', 'सबका उत्कर्ष' और 'सबका विकास'। कृष्णदत्त ने दादा धर्माधिकारी कृत *सर्वोदय दर्शन* नामक पुस्तक की भूमिका में सर्वोदय की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया है, सर्वोदय का आदर्श है – अद्वैत और उसकी नीति है समन्वय। मानवकृत विषमता का वह निराकरण करना चाहता है और प्राकृतिक विषमता को घटाना चाहता है (*सर्वोदय दर्शन,* पृष्ठ सं. 5)।" गांधीजी ऐसे विचार प्राय: व्यक्त करते रहे। उन्होंने कहा, "जब तक मुट्ठीभर धनवानों और करोड़ों भूखा रहने वालों के बीच बेइंतहा अंतर बना रहेगा, तब तक अहिंसा की बुनियाद पर चलने वाली राज्य व्यवस्था कायम नहीं हो सकती (*रचनात्मक कार्यक्रम,* पृष्ठ सं. 40-41)।"

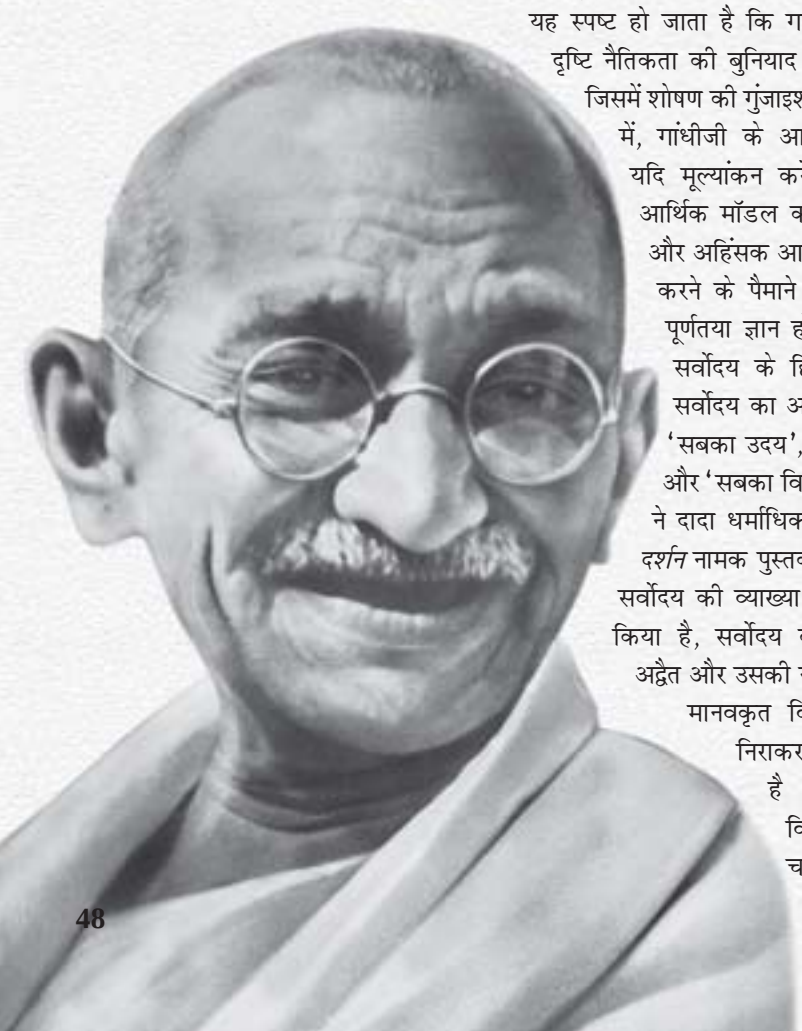

वस्तुत: समग्रता में यदि गांधी के आर्थिक मॉडल की व्याख्या की जाए तो गांधी स्वयं में एक बड़े अर्थविज्ञानी के रूप में प्रस्तुत होते हैं। गांधी की आर्थिक सोच उन ग़रीबों, बेसहारा लोगों की आर्थिकता से जुड़ी है जो आज की 'विकास की नवव्याख्या' में शामिल नहीं हैं। आज की 'वर्चुअल इकोनॉमिक पॉलिसीज' जो 'आवारा पूंजी' के खेल पर निर्भर है उसे भी गांधी स्वीकार नहीं करते, बल्कि गांधी श्रम पर आधारित पूंजी के विकास की बात करते हैं जिसका शुद्ध लाभ ग्रामीण, किसान व मज़दूर भी आसानी से प्राप्त कर सकते हों। इसीलिये शायद हम उनकी आर्थिक नीति में पूंजी के केंद्रीकरण की जगह विकेंद्रीकृत पूंजी का ढांचा पाते हैं। वह पूंजी के मर्म को बखूबी जानते हैं। केंद्रित पूंजी तो हिंसा का कारक है। उसे मुनाफ़े के सिवाय और कुछ भी नहीं सूझता। उसकी दृष्टि में मनुष्य उपभोक्ता है और वह मुनाफ़े के लिये बाज़ार का सहारा लेकर केवल तीन जगह

ध्यान केंद्रित करती है – उपभोक्ता, उत्पाद और बाज़ार। ज़ाहिर-सी बात है कि ऐसे वातावरण की आर्थिक योजना का लक्ष्य 'मनुष्य का विकास' न होकर 'पूंजी के विकास पर केंद्रित' होगा। भूमंडलीकरण के युग में आज यही हो रहा है। साम्राज्यवादी शक्तियों के 'शक्ति संतुलन' की आजमाईश की होड़ ने विकास का मॉडल बदल दिया। विकास की जगह विनाश आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि विध्वंसक सोच ने विध्वंसक पूंजी व मशीन का सृजन करते हुए उसे अनीति के रास्ते ऐसे प्रवाहित किया कि भारत समेत दुनिया के तमाम देश भूख से जीवन तोड़ रहे हैं। ग़रीबी दुनिया के तमाम देशों का दंश बन चुकी है। माना उत्पादन बढ़ा है। प्रौद्योगिकी के इस संजाल से बढ़े उत्पादन पर गांधी दृष्टि के संदर्भ में प्रो. नंदकिशोर आचार्य लिखते हैं कि "गांधीजी उस विशाल पैमाने के उत्पादन को ही विश्व संकट का मूल कारण मानते हैं जिसके लिये मशीनीकरण की आवश्यकता बताई जाती है। यदि प्रौद्योगिकी मनुष्य में वही सत्ता हो जाती है तो वह अपने लिये मनुष्य की स्वतंत्रता का दमन, उसकी शक्तियों का शोषण और उसकी गरिमा का हनन करती है।" ग़रीबी की विस्तीर्णता के संदर्भ में यदि मैं आचार्यजी के शब्दों में व्याख्या करूं तो वे कहते हैं, "गांधीजी ग़रीबी की विवशता को भी अभिशाप मानते थे क्योंकि वह मनुष्य का नैतिक पतन करती है।" प्रो. आचार्य ने गांधी को उद्धृत करते हुए लिखा है, "ग़रीबी में पिसते रहने पर भी कोई नैतिक अधोपतन से बच सकता है ऐसा किसी ने कभी नहीं कहा।" (*सभ्यता का विकल्प*, ले. प्रो. नंदकिशोर आचार्य, वाग्देवी प्रकाशन, बीकानेर, पृ. 42, 45, 48)

यद्यपि आज विकास की नयी-नयी रिपोर्टें प्रकाशित हो रही हैं। सूचना तकनीकी के विकास ने दुनिया को बहुत छोटा कर दिया है किंतु धारणीय आर्थिक विकास की बात आएगी तो गांधी सदैव याद किए जाएंगे क्योंकि गांधी ने जिन चार सूत्रों के आधार पर अपनी आर्थिक दृष्टि सर्वजन-हिताय सर्वजन-सुखाय आधृत की उनके आधार पर 'वर्चुअल' या आभासी जीवन जीने की जगह या बाज़ार और उत्पाद के गुलाम होने की जगह वास्तविक सुखपूर्ण जीवन मनुष्य जी सकता है। इसका एक उदाहरण महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के किसानों ने अगर आज गांधी के आर्थिक विकास के फार्मूले को अपना लिया होता तो वे आत्महत्या नहीं करते। हम गांधी के लघु और कुटीर उद्योगों की ओर संकेत करना चाहते हैं। गांधी ने चरखे व खादी क्रांति के माध्यम से किसान व मज़दूरों द्वारा साम्राज्यवादी शक्ति का सामना गुलामी के दिनों में किया था।

गांधी के आर्थिक स्वराज्य का स्वप्न था – सबका सामाजिक दर्ज़ा एक हो, मज़दूरी करने वाला वर्ग व स्वघोषित सभ्य समाज का दर्ज़ा एक हो। पूंजी और मज़दूरी के बीच के झगड़े बिल्कुल समाप्त हों। गांधी कहते हैं – "मेरी राय में भारत की, न सिर्फ़ भारत की बल्कि पूरी दुनिया की अर्थ रचना ऐसी होनी चाहिए कि किसी को भी अन्न और वस्त्र के अभाव की तकलीफ न सहनी पड़े ... आर्थिक समानता, अर्थात जगत के पास समान संपत्ति होना यानी सबके पास इतनी संपत्ति का होना कि जिससे वे अपनी कुदरती आवश्यकताएं पूरी कर सकें।" (*यंग इंडिया*, 15 नवंबर, 1928) गांधी स्पष्ट कहते हैं कि आर्थिक समानता की जड़ में धनिक का ट्रस्टीपन निहित है।

इस प्रकार संपूर्ण आर्थिक बहस में गांधी की ट्रस्टीशिप की अवधारणा एक बड़ी आर्थिक मानवाधिकारवादी अवधारणा साबित होती है क्योंकि वे न केवल धन के ठहराव को समाप्त करना चाहते हैं बल्कि मनुष्य को वॉलंटियर भी बनाने की कोशिश करते हैं। उनकी दृष्टि में – "जब मनुष्य अपने आपको सेवक मानेगा, समाज की ख़ातिर धन कमाएगा, समाज के कल्याण के लिये ख़र्च करेगा, तब उसकी कमाई में शुद्धता आएगी। उसके साहस में भी अहिंसा होगी। इस प्रकार की कार्यप्रणाली का आयोजन किया जाए तो समाज में बगैर संघर्ष के मूक क्रांति पैदा हो सकती है। वस्तुतः गांधी का आग्रह इन बातों में है कि "हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक स्वतंत्रता के बीच समन्वय करना सीखना है।"

किंतु वे स्पष्टतः इस तर्क़ को भी रखते हैं कि बिना विकेंद्रीकरण के समन्वय असरकारक नहीं हो सकता। गांधीजी ने कहा है, "यदि भारत को अपना विकास अहिंसा की दिशा में करना है, तो उसे बहुत-सी चीज़ों का विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा।" (*हरिजन*, 30 दिसंबर, 1939) वे शहर प्रधान भारत की अपेक्षा ग्राम प्रधान भारत और जड़ यंत्रों की अपेक्षा जीवित यंत्रों की वक़ालत करते हैं। गांधी लघु-कुटीर उद्योग, समुन्नत, स्वविकसित विपणन के साथ-साथ स्वावलंबन के लिये न केवल सामाजिक ढांचा बनाना चाहते हैं बल्कि मनुष्य को कम से कम मनुष्य रूप में ज़रूर देखना चाहते हैं। वे कतई गुलामी के ख़िलाफ़ अपने ढंग से मनुष्य को स्वश्रम से अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने की सलाह देते हैं।

इस नैतिक किंतु अहिंसक क्रांति से यह कहना बिल्कुल अतिश्योक्तिपूर्ण नहीं होगा कि गांधी हीगेल, मार्क्स व एडम स्मिथ के आर्थिक संरचना के बरक्स 'गांधीवादी आर्थिक ढांचा' की विशिष्टता कायम करने में सफल हो जाते हैं। उनके आर्थिक मॉडल में वर्ग या पूंजी के बीच का विश्लेषण नहीं है बल्कि स्मिथ के नैतिक मूल्यों की पूंजी से भी बाहर निकलकर सर्वोदयी संकल्पना को धरातल पर लाने के लिये उस अंतिम व्यक्ति की समृद्धि की चाह है जो विकेंद्रीकृत पूंजी के माध्यम से संभव है।

यदि समग्रता में देखें तो उनके चार फार्मूले- अहिंसा, ट्रस्टीशिप, विकेंद्रीकरण और अंतिम व्यक्ति, आर्थिक मॉडल के चाबी हैं। एक सच्चाई यह भी है कि गांधीजी इसके माध्यम से किसी विकास के मॉडल का जीडीपी या जीएनपी निर्धारित करते हुए अपने हुनर (नव आविष्कार) को दुनिया के सामने नहीं प्रकट करना चाहते बल्कि उनका लक्ष्य सिर्फ़ और सिर्फ़ मनुष्य और मनुष्यता है। वस्तुतः गांधी यह इसलिये कर पाते हैं क्योंकि वह स्वयं नैतिकता के प्रतिदर्श हैं और उनकी आर्थिक नीतियां भी मूलतः आध्यात्मिक स्तंभ पर खड़ी हैं जिसके केंद्र में विध्वंसक यंत्र, बाज़ार, मुनाफ़े की जगह मानवता व अहिंसा के अतिरिक्त कुछ नहीं है जिसकी सातत्यता मनुष्य के अस्तित्व तक विद्यमान रहे। अंततः यह कहा जा सकता है कि गांधी की आर्थिक दृष्टि कोई साफ़गोई से रखा जाने वाला भूमंडलीकृत युग की आर्थिक संरचना नहीं है बल्कि आर्थिक मानवाधिकारों का एक गतिमान व स्थायी आग्रह है साथ ही साथ मनुष्य के गरिमा की हिफ़ाजत का अनुरोध भी है। विकल्प के रूप में संभव है कि दुनिया को एक दिन गांधी की ओर लौटना पड़े। ❑

(लेखक महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र में अहिंसा एवं शांति अध्ययन विभाग में अध्यापन कर रहे हैं।

ई-मेल : kanhaiyatripathi@yahoo.co.in)

SIHANTA IAS

आप हमारे साथ परिश्रम करें, हम आप पर आपसे ज्यादा परिश्रम करते हैं।

यू.पी.एस.सी. 2008 प्रारंभिक परीक्षा में 154 अभ्यर्थी चयनित

इतिहास
रजनीश राज

G.S.
रजनीश राज एवं टीम

दर्शनशास्त्र
प्रभात राय

निबन्ध की कक्षाएं प्रारम्भ
प्रत्येक रविवार सांय 6-30 बजे

क्रैश कोर्स हेतु कक्षाएं प्रारंभ
प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से

प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु पत्राचार कार्यक्रम उपलब्ध

चयनित अभ्यर्थी (UPSC - 2007)

चयनित अभ्यर्थी (UPPCS - 2005)

Plot No. 8-9, Flat No. 301-302, Ansal Building, Comm. Complex, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi -9

011-42875012, 9873399588, 9891941827, 9212575646

YH-10/08/11

बुजुर्गों के लिये कल्याण योजनाएं

● प्रतापमल देवपुरा

जब तक प्रकृति जीवन पर पूर्णविराम नहीं लगा देती, तब तक मनुष्य की उपयोगिता न तो समाप्त होती है और न ही उसके दायित्व। वृद्धों में परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति दायित्व निर्वाह करने का न सिर्फ़ सामर्थ्य होता है बल्कि इसकी तीव्र इच्छा भी होती है। आवश्यकता सिर्फ़ इतनी है कि उन्हें अपने सामर्थ्य का अहसास रहे।

आर्थिक संपन्नता किसी मनुष्य के सामर्थ्य को नहीं दर्शाती। मनुष्य को मानसिक, सामाजिक एवं संवेदनात्मक सुरक्षा की भी दरकार होती है। वृद्धावस्था में इन तीन चीज़ों की सर्वाधिक ज़रूरत होती है। इसके लिये आवश्यक है कि उनकी भावनाओं का मखौल न उड़ाया जाए और उन्हें आर्थिक रूप से निराश्रित कर उनके जीवन का श्रम व्यर्थ सिद्ध न किया जाए।

केंद्र और राज्य सरकारों तथा अर्द्धशासकीय संस्थाओं व बैंकों द्वारा वरिष्ठ जनों को प्रमुख नागरिकों का दर्ज़ा दिया गया है और उन्हें कई तरह की विशेष सुविधाएं प्रदान की गईं हैं, ताकि वरिष्ठ नागरिक सुख-सुविधापूर्वक व सार्थक जीवन जी सकें। लेकिन यह पाया गया है कि वरिष्ठ नागरिकों के एक बड़े वर्ग को इन सुविधाओं व राहतों के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है। वरिष्ठ नागरिकों को उनसे संबंधित सामाजिक, आर्थिक व चिकित्सकीय समस्याओं की जानकारियों से अवगत कराना ज़रूरी है। वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, मार्गदर्शन व सेवा के लिये एक अलग मंच की आवश्यकता भी हर क्षेत्र में महसूस हो रही है, जहां वे अपनी समस्याओं का, अपने अनुभवों का खुले दिल से आदान-प्रदान कर सकें। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों ने बुजुर्गों के कल्याण की अनेक योजनाएं आरंभ की हैं।

अलग-अलग राज्य सरकारें अपने साधनों के अनुरूप योजनाएं चलाती हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से गुज़ारिश की है कि वह बुजुर्गों से संबंधित मुक़दमों का प्राथमिकता से निपटारा करें। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 65 वर्ष से अधिक उम्र के निराश्रित लोगों को हर महीने 400 रुपये पेंशन के रूप में दी जाती है।

1 अक्तूबर, अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर विशेष

इस योजना के तहत पेंशन स्थानीय निकाय से संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है।

आयकर

आयकर रिटर्न भरने के लिये वरिष्ठजन के लिये अलग खिड़की का प्रावधान है। उनके कर का मौके पर ही मूल्यांकन की व्यवस्था है। संपत्ति कर के लिये वरिष्ठ नागरिकों के लिये अलग खिड़की की व्यवस्था की है। वरिष्ठ नागरिकों के लिये आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई है। वर्तमान नियमों के अनुसार, जिस वरिष्ठ नागरिक की आय सालाना 2,25,000 से ज्यादा हो उसे रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। पूर्व में जायदाद, मोटरकार, बिजली का भुगतान, विदेश यात्रा, क्रेडिट कार्ड, क्लब की सदस्यता के आधार पर जो रिटर्न फाइल करना पड़ता था, उस आधार पर अब रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। धारा-80 डी के अंतर्गत सामान्य करदाता को मेडीकल इंश्योरेंस प्रीमियम चेक से भरने पर आय में 10 हज़ार रुपये तक कि छूट मिलती है और वही राशि वरिष्ठ नागरिक के लिये अदा की गई हो तो छूट की राशि 15,000 रुपये तक होती है।

किसी भी वरिष्ठ नागरिक की आय, ब्याज, लाभांश आदि पर अगर स्रोत पर कर काटा जा रहा हो तो उसके लिये फार्म 15एच देने पर स्रोत पर किसी प्रकार का कर नहीं काटा जाएगा। इसके लिये फार्म 15एच आय मिलने से पहले या मिलने के समय देना ज़रूरी है। आयकर की धारा 80सी के अंतर्गत कुछ निर्धारित निवेश अगर किए जाएं तो निवेश की राशि या एक लाख रुपये (जो भी कम है) कुल आय में से कम हो जाएंगे। इसके लिये राष्ट्रीय बचतपत्र, पीएफ,

जीवन बीमा, गृह ऋण के पुनर्भुगतान, सावधि जमा योजना, यूटीआई आदि में निवेश किया जा सकता है।

वित्तीय सुविधाएं

महाराष्ट्र में वरिष्ठ नागरिकों को व्यावसायिक टैक्स से मुक्ति दे दी गई है। कई कोऑपरेटिव, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के बैंक वरिष्ठ नागरिकों को उनके द्वारा जमा की गई धनराशि पर अधिक ब्याज देते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिये पोस्टल जमाओं पर दिए जाने वाले ब्याज की दर बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दी गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिये बचत योजना जो 2004 में शुरू की गई थी उसमें एक महत्वपूर्ण सुधार किया गया है जिसके अनुसार, बैंकों या पोस्ट ऑफिस का कोई भी खाता एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। चाहे व्यक्ति के पते में कोई परिवर्तन न भी हो (इसके पूर्व पते के परिवर्तन पर ही यह संभव था)। इस सुविधा के कारण अब व्यक्ति अपनी सुविधानुसार किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपनी जमा राशि स्थानांतरित करवा सकता है। इस प्रकार के अंतरण के लिये नाममात्र की शुल्क निर्धारित है जो कि पहले एक लाख रुपये के लिये 5 रुपये व अगले प्रत्येक 1 लाख रुपये के लिये 10 रुपये है। नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को निजी घर में रहने पर उसी घर के लिये 2 से 5 हज़ार रुपये तक मासिक राशि बिना ब्याज कर्ज़ में देने की सुविधा मिल सकती है।

चिकित्सकीय मदद

केंद्र व राज्य सरकार तथा कुछ कंपनियां भी अपने वरिष्ठ कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद भी चिकित्सा व मेडिकल सुविधा देती हैं। वरिष्ठ नागरिक 80 वर्ष की उम्र तक सामान्य बीमा कंपनियों से चिकित्सा बीमा प्राप्त कर सकते हैं। कुछ सरकारी अस्पतालों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिये मुफ़्त या रियायती दर पर डॉक्टरी जांच व चिकित्सा करवाने की सुविधाएं भी दी जा रही हैं। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिये समय-समय पर विशेष चिकित्सीय शिविर लगाए जाते हैं जिसका लाभ वृद्ध नागरिक उठा सकते हैं।

बुजुर्गों के लिये अस्पताल में अलग ओपीडी तथा अलग पंक्ति का प्रावधान किया गया है। चिकित्सा पाठयक्रम में जेयरोटिक्स (वृद्धों से संबंधित रोगविज्ञान) का स्नातकोत्तर कोर्स शुरू किया गया है तथा अस्पतालों में इसकी ओपीडी भी चलने लगी है।

दवाओं और इलाज पर ख़र्च में छूट

कोई भी करदाता अगर अपने ऊपर या अपने परिवार के किसी सदस्य पर जो कि उस कर दाता पर पूर्ण रूप से निर्भर है, दवा तथा इलाज के लिये विशेषकर ऐसे रोग जो कि कानून के प्रावधान 11डी में बताए हुए हैं जैसे - कैंसर, एड्स, पार्किन्संस आदि के लिये ख़र्च करता है तो ख़र्च की गई रक़म या 40 हज़ार रुपये, जो भी कम हो, उसमें छूट मिलती है। यही रक़म अगर किसी वरिष्ठ नागरिक पर ख़र्च हुई हो तो 60 हज़ार की छूट का प्रावधान है।

यात्रा में छूट

साठ वर्ष से ऊपर के पुरुषों को रेलों की सभी श्रेणियों के किराये में 30 प्रतिशत की तथा महिलाओं को 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है। आरक्षण के लिये भी अलग काउंटर की व्यवस्था है। विमानों में 65 साल या अधिक आयु के लोगों के मूल भाड़े में 50 प्रतिशत की छूट दी जाती है। सरकारी व निजी दोनों ही विमान सेवाओं में यह छूट दी जाती है। वरिष्ठ नागरिकों को बिना बारी के टेलिफोन कनेक्शन दिए जाने का प्रावधान भी है।

भरण-पोषण का अधिकार

दंड प्रक्रिया की धारा 125 के तहत आश्रितों को भरण-पोषण दिलाए जाने की व्यवस्था है। आश्रितों में वृद्ध माता-पिता भी आते हैं। इस धारा के अंतर्गत 500 रुपये महीने तक के भरण-पोषण की व्यवस्था थी, लेकिन गत वर्ष अधिनियम में किए गए संशोधन से राज्य सरकारों को भरण-पोषण राशि की सीमा निर्धारित करने का अधिकार दे दिया गया है। वृद्ध माता-पिता 'माइनेरिटी एंड वार्ड' अधिनियम की धारा 18 के तहत भी अपने बच्चों से भरण-पोषण प्राप्त कर सकते हैं। इस अधिनियम में भरण-पोषण राशि की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। हिंदू एडोप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के अनुसार, बेटे-बेटियों को असहाय माता-पिता के भरण-पोषण के लिये हर माह पैसा देना होगा। इस रक़म की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। जिस तरह बच्चे अपने माता-पिता की संपत्ति पर अधिकार जताते हैं, उसी तरह अपने बच्चों से उपेक्षित माता-पिता इस कानून की मदद से अपने ख़र्चे के लिये पैसे प्राप्त करने के अधिकार का दावा कर सकते हैं।

आवास की व्यवस्था

कई धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के रहने के लिये मुफ़्त या फिर रियायती दरों पर आवास सुविधाएं दी जा रही हैं। वृद्धाश्रम या वृद्धों के लिये घर का निर्माण किया गया है। यहां वरिष्ठ नागरिकों के रहने भोजन, मनोरंजन, पुस्तकालय, सामाजिक व आध्यात्मिक तथा उनके अनुकूल वातावरण की सुविधाएं प्रदान की गई हैं। कुछ ऐसे विशेष वृद्धाश्रम भी उपलब्ध हैं जहां कि मरणासन्न वृद्धों को शरण दिया जाता है। महाराष्ट्र सरकार ने तो तहसील व जिले स्तर पर भी मुफ़्त या रियायती दरों पर आवास या आश्रमों की व्यवस्था की है। ❑

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।
ई-मेल: prnd99@rediffmail.com)

सम्मान और सुरक्षा हेतु पेंशन योजना

भारत सरकार ने ग़रीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के 65 वर्ष से अधिक आयु के सभी पुरुषों-महिलाओं के लिये वृद्धावस्था पेंशन योजना आरंभ की है। इस योजना में प्रति लाभार्थी प्रतिमाह दो सौ रुपये की दर से पेंशन सरकार दे रही है तथा राज्यों को कहा गया है कि वे प्रति माह कम से कम अतिरिक्त दो सौ रुपये दें। राज्यों को यह भी कहा गया है कि पेंशन डाकघर अथवा बैंक खाते के माध्यम से भुगतान की जाए। राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि सभी पात्र लाभार्थियों को अनिवार्य रूप से पेंशन मिल रही है।

राज्यों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत शत-प्रतिशत आच्छादन सुनिश्चित करना है। यदि आपकी आयु 65 वर्ष से अधिक है और आपका नाम बीपीएल सूची में है तो कृपया यह सुनिश्चित करें कि आपका नाम पेंशनधारियों की सूची में तत्काल शामिल किया जाए ताकि आप पेंशन के हक़दार बन सकें।

वृद्धावस्था पेंशन के मानदंड को संशोधित करने के पश्चात इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या वर्ष 2006-07 में 87 लाख से बढ़कर अब 1.43 करोड़ हो गई है। इस वर्ष लाभार्थियों की यह संख्या बढ़कर 1.57 करोड़ होने की संभावना है।

लेह में फल व्यवसाय

लेह बेरी तोड़ने के काम से बढ़ रही
लेह-लद्दाख और करगिल की महिलाओं की कमाई

लेह लद्दाख और करगिल की दर्जनों महिलाएं आपको सी-बकथार्न (लेह बेरी) तोड़ते हुए दिख सकती हैं। इस फल को तोड़कर वे स्थानीय ननदुम कोऑपरेटिव सोसायटी को भेजेंगी। इसके बाद सोसायटी उनकी उपज को ऑल इंडिया एरोमैटिक प्लांट्स ग्रोअर्स एसोसिएशन (एआईएपीजीए) को भेजेंगी। औषधीय गुण वाले इस फल की आपूर्ति में महिलाओं को प्रति किलोग्राम 85 से 90 रुपये की कमाई हो जाती है। यह रकम किसी और काम की तुलना में बहुत ज्यादा है। हिमालयी क्षेत्र में औषधीय गुणों वाले पौधों को उगाने के रूप में ग़रीबी दूर करने का नया माध्यम मिल गया है। गौरतलब है कि देश में हर्बल उत्पादों की बढ़ती बिक्री से औषधीय गुण वाले पौधों की मांग तेज़ी से बढ़ी है।

चालीस सदस्यों वाली एनसीएस के अध्यक्ष मोहम्मद जफ़र ने बताया, "सी-बकथोर्न उगाने से हमारे सदस्य 50 फीसदी से ज्यादा का मुनाफ़ा कमा रहे हैं।" यह तो अभी सफ़र की शुरुआत भर है। सुदूर पहाड़ों पर बसने वाले ये लोग अब ऐमवे, के लिंक, डीएक्सएन और तेंजक्सी जैसी एफएमसीजी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के संपर्क में हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग से जुड़ी यह कंपनियां अपने सौंदर्य प्रसाधनों की वजह से पिछले एक दशक में भारतीय बाज़ार में छाई हुई हैं। क़रीब 6,000 सदस्यों वाले मज़बूत संगठन एआईएपीजीए ने पूरे देश में एक साझा ब्रांड के तहत हर्बल उत्पाद लांच करने की योजना बनाई है। इसका विपणन भी संगठन के द्वारा ही किया जाएगा। फिलहाल संगठन का 300 करोड़ रुपये का कारोबार अगले पांच वर्षों में 1,000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। एआईएपीजीए के अध्यक्ष और कांगड़ा हर्बल सोसायटी के निर्देशक रणधीर सिंह गुलेरिया ने कहा, "हम बड़ी कंपनियों को पूरी तरह तोड़कर रख देंगे। उनकी तुलना में हमारे उत्पादों की क़ीमत कम होती है और गुणवत्ता अच्छी होती है।" उत्पादकों को उम्मीद है कि एक बार व्यवस्था अच्छी तरह से बन जाने के बाद उन्हें उत्पादों पर क़रीब 40 फीसदी का लाभ मिल सकेगा। अभी हाल यह है कि भारतीय उपभोक्ताओं के पास हर्बल उत्पादों के मामले में बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है। गुलेरिया ने दावा किया, "हमारे उत्पाद आने के बाद बाज़ार पर काबिज़ पुराने खिलाड़ी पस्त हो जाएंगे और हमारे लिये नया बाज़ार तैयार होगा।"

बीज बोने से लेकर पैदावार को इकट्ठा करने, संग्रहण, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग तक की सारी रणनीति एसोसिएशन ने तैयार कर ली है। घरेलू स्तर पर ही लागू किया जाने वाला यह मॉडल बड़े औद्योगिक उत्पादन की तुलना में काफी सस्ता होगा। उत्पादकों को तब तक फायदा मिलता रहेगा, जब तक वे एसोसिएशन से जुड़े रहेंगे। धर्मशाला के एक हर्बल उत्पादक मनीष महाजन ने बताया, "हमारी 40 हेक्टेयर ज़मीन पूरी तरह ऊसर पड़ी हुई थी और हम यह समझ नहीं पा रहे थे कि उसका उपयोग किस तरह से करें। पिछले दो साल से हम औषधीय पौधों की पैदावार में लगे हैं। 'लेह, करगिल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हिमालय के कई अन्य क्षेत्रों में बहुत से उत्पादक औषधीय पौधे उगाने में लगे हैं। दूसरी तरफ, चीन भी हिमालय के तिब्बती क्षेत्र में हर्बल पौधे उगाने में लगा है और इससे वहां क़रीब 10,000 करोड़ रुपये का कारोबार हो रहा है। अभी देश के उत्तर-पूर्वी राज्यों के उत्पादक एआईएपीजीए के सदस्य नहीं बने हैं। उत्तर-पूर्व के उत्पादक अगर जुड़ गए तो संगठन में करीब 500 सदस्यों की बढ़त हो जाएगी। उत्तर-पूर्व में क़रीब 6,000 एकड़ ज़मीन पर 800 औषधीय पौधे उगाए जाते हैं।

पौधों को उत्पादकों से हासिल करने के बाद एसोसिएशन अपनी इकाइयों में उसका प्रसंस्करण करता है और उसे स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों में बदलता है। इस तरह के उत्पादों में हर्बल चाय, साबुन, जूस, टूथपेस्ट, शैम्पू होते हैं। एसोसिएशन की योजना आगे चलकर रीटेल आउटलेट खोलने की भी हैं पूरे देश में आउटलेट 'हर्बल हेल्थकेयर' नाम से शुरू किए जाएंगे। हर्बल उत्पादों की अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिये एसोसिएशन क़रीब 25 सदस्यों को इस साल के अंत तक प्रसंस्करण इकाई लगाने में सहयोग कर रहा है। गौरतलब है कि हर्बल उत्पादों से कैंसर, एचआईवी, डायबिटीज, साइनस और किडनी एवं हृदय संबंधी बीमारियों के इलाज में मदद मिलती है। ❑

स्वतंत्रता दिवस पर

आइये, स्वागत करें

बदलते नये भारत का

और

आर्थिक-सामाजिक विकास के
अभूतपूर्व राष्ट्रीय प्रयासों में शामिल हों

सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

DAVP 22202/13/0068/0809

YH-10/08/5

ख़बरों में

● **सुब्बाराव रिज़र्व बैंक के गवर्नर नियुक्त**

सरकार ने वित्त सचिव डी. सुब्बाराव को भारतीय रिज़र्व बैंक का नया गवर्नर नियुक्त किया है। उन्होंने वाई. वी. रेड्डी का स्थान लिया जिनका कार्यकाल 5 सितंबर को खत्म हो गया। सुब्बाराव को तीन साल के लिये नियुक्त किया गया है। हालांकि उन्हें दो और वर्षों के लिये दोबारा नियुक्त किया जा सकता है, क्योंकि आरबीआई अधिनियम के तहत किसी गवर्नर की नियुक्ति पांच साल तक के लिये हो सकती है।

वित्त सचिव का कार्यभार संभालने से पहले सुब्बाराव आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव के पद पर कार्यरत थे। भारतीय प्रशासनिक सेवा में 1972 बैच के आंध्र प्रदेश कैडर के अधिकारी सुब्बाराव ने प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सचिव के तौर पर भी काम किया है। सुब्बाराव आईआईटी कानपुर से निकलने वाली ऐसी पहली पीढ़ी में थे जिन्होंने लोक सेवा की राह पकड़ी। आईएएस से जुड़ने से पहले उन्होंने ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी से 1978 अर्थशास्त्र में एमएस किया। वर्ष 1982-83 के दौरान वह एमआईटी में हम्फ्रे फेलो रहे। उन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी भी की। सुब्बाराव रिज़र्व बैंक के 22वें गवर्नर के तौर पर नियुक्त किए गए हैं।

● **दो अक्तूबर से सिगरेट पर पाबंदी**

दो अक्तूबर से सरकारी, गैर सरकारी इमारतों और सार्वजनिक स्थलों पर सिगरेट, बीड़ी सुलगाने वालों की नकेल कसने की केंद्र सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन इसे सख़्ती से लागू करना राज्यों के सहयोग पर निर्भर करेगा। केंद्र सरकार इस संबंध में पुलिस अधिकारी, चुनिंदा गैरसरकारी संगठनों के कार्यकर्ताओं से लेकर ट्रेन में टिकटों की जांच करने वाले अधिकारी तक को धूम्रपान नियमों का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ दो सौ रुपये का जुर्माना करने का अधिकार देने जा रही है।

सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान के खिलाफ़ कानून पहले से ही मौजूद है। 30 मई को बाकायदा अधिसूचना जारी कर स्पष्ट कर दिया गया कि 2 अक्तूबर से इस पर सख़्ती से अमल शुरू कर दिया जाएगा। ज्ञातव्य है कि 40 प्रतिशत बीमारियां केवल तंबाकू के सेवन के कारण होती है।

● **आसिफ अली ज़रदारी पाकिस्तान के राष्ट्रपति चुने गए**

पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सह अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी को बहुमत के साथ पाकिस्तान का नया राष्ट्रपति चुन लिया गया। आधिकारिक परिणामों में जरदारी के प्रतिद्वंद्वी पीएमएल-एन के उम्मीदवार सईद उजमां सादिक 111 मत पाकर काफी पीछे रहे, जबकि एक अन्य उम्मीदवार पीएमएल-क्यू के मुशाहिद हुसैन सैयद को मात्र 34 मत प्राप्त हुए।

राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन सीनेट और नेशनल असेंबली और चार प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों को मिला कर 'निर्वाचक मंडल' का निर्माण होता है।

जरदारी को इन चारों प्रांतीय असेंबलियों पश्चिमोत्तर प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान में भी भारी बहुमत मिला है।

● **दिलीप कुमार, लता मंगेशकर और सरोजा देवी को लाइफटाइम एचीवमेंट पुरस्कार**

अभिनय सम्राट दिलीप कुमार को सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिये तथा स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर और मशहूर दक्षिण भारतीय अभिनेत्री बी. सरोजा देवी को गत माह राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील ने 54वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में 'लाइफटाइम एचीवमेंट' सम्मान प्रदान किया। गांधीगीरी पर बनी फिल्म *लगे रहो मुन्नाभाई* ने चार पुरस्कार जीते। मशहूर बांग्ला फिल्मकार तपन सिन्हा को सिनेमा का सर्वोच्च दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया।

राष्ट्रपति ने इस मौके पर फिल्म समुदाय से कहा कि "फिल्में जनमानस को प्रभावित करती हैं इसलिये फिल्म जगत से जुड़े हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह इस माध्यम का इस्तेमाल समाज के निर्माण के लिये करें।" बांग्ला सिनेमा के महानायक सौमित्र चटर्जी को *पोडोखेप* के लिये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और तमिल अभिनेत्री प्रियमणि को *पारूपि वीरन* के लिये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया।

मधुर भंडारकर को *ट्रैफिक सिग्नल* के लिये सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला। वहीं *खोसला का घोंसला* ने सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के लिये पुरस्कार पाया।

शेक्सपीयर के मशहूर नाटक *ओथेला* पर बनी विशाल भारद्वाज की फिल्म *ओंकारा* ने अंतरराष्ट्रीय कथानक के बावजूद ज़मीन से जुड़ी फिल्म होने के लिये जूरी का विशेष पुरस्कार जीता। इसी फिल्म के लिये कोंकणा सेन शर्मा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। वह इससे पहले *मिस्टर एंड मिसेज अय्यर* के लिये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार पा चुकी हैं। मलयालम फिल्म *पुलियाजनम* को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। कबीर खान की *काबुल एक्सप्रेस* और मधु कैथापुरम की मलयालम फिल्म *एकांतम* ने संयुक्त रूप से किसी निर्देशक की पहली फिल्म का इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता। पुरस्कार समारोह में दो बच्चे आकर्षण का केंद्र रहे। नौ बरस की उम्र में कन्नड़ फिल्म *केयर ऑफ फुटपाथ* के लिये सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार जीतने वाले निर्देशक किशन एस.एस. और कोंकणी फिल्म *अंतर्नाद* में जीवंत अभिनय करने वाली दिव्या

चहाड़कर ने इस फिल्म में नामचीन मों की प्रतिभावान लेकिन गुमनामी के साए में खोई बेटी का किरदार निभाने के लिये सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार जीता।

- **23 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार**

राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटील ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी सहित देश के लिये विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 23 खिलाड़ियों को राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया।

धोनी को वर्ष 2007 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजा गया। सचिन तेंदुलकर के बाद धोनी यह पुरस्कार हासिल करने वाले दूसरे क्रिकेटर हैं।

वर्ष 2007 के लिये 11 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया जिनमें हॉकी खिलाड़ी प्रभजोत सिंह, गोल्फर अर्जुन अटवाल, एथलीट चित्रा के. सोमण, बैडमिंटन खिलाड़ी अनूप श्रीधर, निशानेबाज अवनीत कौर सिद्धू और शतरंज खिलाड़ी हरिका द्रोणावल्ली भी शामिल हैं।

इसके अलावा राष्ट्रपति ने चार प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार, खेलों में उत्कृष्ट योगदान के लिये तीन पूर्व खिलाड़ियों को ध्यानचंद पुरस्कार और भूमि और वायु में साहसिक प्रदर्शन करने वाले चार जांबाजों को तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके अलावा पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला को मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी प्रदान की गई।

द्रोणाचार्य पुरस्कार हासिल करने वाले कोचों में मुक्केबाजी कोच जगदीश सिंह भी शामिल हैं जिनके सानिध्य में रहकर ही ओलंपिक कांस्य पदक विजेता विजेंदर सिंह ने अपना कौशल निखारा था। उनके अलावा संजीव कुमार (तीरंदाजी), जगमिंदर सिंह (कुश्ती) और जीई श्रीधरन (वॉलीबाल) को भी यह पुरस्कार दिया गया।

- ***योजना* के पूर्व संपादक एच.वाई. शारदा प्रसाद नहीं रहे**

एच. वाई. शारदा प्रसाद का लंबी बीमारी के बाद गत 3 सितंबर को निधन हो गया। वे 84 साल के थे। उन्होंने मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के अधीन दो दशकों तक प्रधानमंत्री कार्यालय में मीडिया सलाहकार के रूप में काम किया।

वे इंदिरा गांधी के बहुत क़रीब रहे। शारदा प्रसाद उनके भाषण लिखा करते थे। उन्हें वर्ष 2000 में पद्मभूषण और वर्ष 2001 में राष्ट्रीय एकता के लिये इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने *योजना* पत्रिका का भी संपादन किया। वे भारतीय जनसंचार संस्थान के निदेशक और योजना आयोग में उपसचिव भी रह चुके थे। जनता सरकार के शासन काल में वे मोरारजी देसाई के सलाहकार रहे।

बंगलूर में जन्मे शारदा प्रसाद की शिक्षा व परवरिश मैसूर में हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वे जेल भी गए। उन्होंने 1945 में इंडियन एक्सप्रेस समूह में मुंबई से अपनी नौकरी शुरू की। वे 1955-56 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पत्रकारिता के नेईमैन फेलो रहे।

उन्होंने राष्ट्रपति भवन पर *द स्टोरी ऑफ द प्रेसीडेंट्स हाउस* और जवाहरलाल नेहरू के चुनिंदा कार्यों पर पुस्तकें लिखीं। उनकी अंतिम पुस्तक *द बुक आर्ट वुड नाट बी राईटिंग* रही जो कि *एशियन एज* में छपे उनके लेखों का संग्रह है। ❑

IAS PCS
संवाद
हिन्दी साहित्य
कुमार "अजेय"
(B.P.S.C. Topper)
'सफलता का मानक एक सफल शिक्षक के मार्गदर्शन में ही सम्भव है।'
सामान्य अध्ययन
संवाद टीम
Bihar PCS : मुख्य परीक्षा (स्वतंत्र बैच)
हिन्दी साहित्य | इतिहास
दर्शनशास्त्र | L.S.W.
समाजशास्त्र | भूगोल
टेस्ट सिरीज | निबंध/साक्षात्कार
क्रैश कोर्स | For Working Students Classes on SAT&SUN
नोट : पटना में संवाद के Branch Office में भी नोट्स + कक्षा पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं
पत्राचार कोर्स उपलब्ध
203,Bhandari House (Behind Post Office)
Mukherjee Nagar, Delhi-9
27652040, 9213162103, 9891360366
YH-10/08/3

गुणों की खान शहद

● प्रेमलता मौर्य

शहद प्रकृति प्रदत्त वह अमूल्य अमृत है जिसका नाम सुनते ही बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के मुंह में पानी आ जाता है। इसका सेवन विविध रूपों में आज भी किया जाता है। *ऋग्वेद, कुरान* एवं *एंजिल* आदि प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की गई है। हिंदुओं के प्रत्येक शुभ कार्य में शहद का उपयोग होता है। पंचामृत में भी शहद मिलाने का विधान है। शहद मधुमक्खियों द्वारा विभिन्न प्रकार के फूलों के पराग एवं अन्य स्वास्थ्यवर्धक तत्वों आदि को छत्तों में एकत्रित करने से तैयार होता है। शहद विशेषज्ञों का मानना है कि एक छत्ते में लगभग 75 हज़ार मक्खियां नियंत्रित रूप से कार्य करती हैं। मधुमक्खियों द्वारा 62 हज़ार फूलों के पराग एकत्रित करने के बाद एक किलोग्राम शहद तैयार होता है। आधा किलोग्राम शहद तैयार करने के लिये मक्खियों को 37 लाख बार बाहर जाना पड़ता है।

सरसों, गुलाब, गेंदा, अनार, अरहर, आंवला, कमल, नींबू, नीम, खरबूजा आदि के फूलों से मधुमक्खियां शहद तैयार करती हैं।

अलग-अलग फूलों के सत्व भिन्न होते हैं इन्हीं कारणों से शहद के रंग, स्वाद व गंध में विविधता होती है, जैसे - नीम व जंगलों से प्राप्त शहद पतला, गहरे रंग का होता है। सरसों, सेब, चकोतरा आदि का शहद गाढ़ा होने के साथ-साथ गाय के घी के रंग का होता है।

उच्च कोटि के शहद का रंग भूरा होता है और इसकी मिठास सामान्य शहद की तुलना में अधिक होती है। शहद के लक्षण, प्रकार व गुण के संबंध में *शालीग्राम निघंटु* में लिखा गया है :

माक्षिक तैलवर्ष स्वाद्घृत वर्णन्तु पौत्तिकम्।
क्षौद्रं कपिल वर्ष स्वाच्छेत भ्रामर सुच्यते।।
(पृष्ठ सं. 1075)

अर्थात माक्षिक शहद तैलवर्ण का एवं पतला, पौत्तिक शहद घृतवर्ण व गाढ़ा, क्षौद्र शहद कपिल रंग का एवं भ्रामर शहद बहुत गाढ़ा, सफेद स्फटिक पत्थर या मिश्री तुल्य अधिक पारदर्शक एवं चमकदार होता है।

एक प्रयोग से पता चला है कि शहद रोगजन्य कीटाणुओं को नष्ट करने के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेचिस के कीटाणु शहद में एक घंटे व मोतीझरा के कीटाणु कुछ घंटे के अंदर ही मर जाते हैं। शहद में कीटाणुओं को नष्ट करने का सबसे बड़ा कारण, जिन फूलों से शहद प्राप्त किया जाता है उनका निरंतर धूप में रहना व सूर्य की रश्मियों को अपने में अवशोषित कर लेना है।

इसी अवशोषक क्षमता के कारण फूलों में विषनाशक गुण सहज रूप में विकसित हो जाते हैं। इस तरह की क्षमता नीम, आंवला, नींबू आदि के फूलों में होती है।

यदि शहद बहुत पुराना है तो स्वाद में थोड़ा-बहुत अंतर हो सकता है लेकिन उसकी गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं आता। मिस्र में एक कब्र की खुदाई करने पर तीन हज़ार साल पुराना शहद प्राप्त हुआ, लेकिन जांच करके देखा गया तो वह गुणों की दृष्टि से ज्यों-का-त्यों था।

वहां कब्र में शव के साथ शहद को अमृत मानकर रखे जाने की प्रथा थी।

शहद के प्रकार

शहद, कच्चा व पक्का दो प्रकार का होता है।

लोक प्रशासन

द्वारा **अनिल सिंह**

प्रीलिम्स
100% गारंटी
अन्यथा स्टाम्प पेपर लिखित
पूरी फीस वापस (यदि G.S. 45%)

प्रारम्भिक परीक्षा हेतु नवीन बैच :
5 अक्टूबर & 5 नवम्बर, अवधि : 4 माह

मात्र 4 पुस्तकों व क्लास नोट्स के द्वारा सफलता सुनिश्चित करें।

मेन्स हेतु नवीन बैच : 10 अक्टूबर & 5 नवम्बर
गारंटी के साथ 330+ अंक अन्यथा 50% फीस वापस **अवधि 3½ माह**

Trust on us & Dare to Think Beyond the Big Names. Come & Join...

CSE-2007 में हमारे सफल अभ्यर्थी

SHIV KUMAR
IAS-07

MANISH
IRS-07

DHARMVEER
IRS-07

भूगोल with कुमार ज्ञानेश

ज्योग्राफी गुरू
(Scored-365)

निम्न पुस्तकों के लेखक

अन्य : सुरेश मीणा एवं हरिकेश मीणा

प्रा. एवं मुख्य
परीक्षा पृथक-पृथक
बैच-2009-10 प्रारम्भ
12 Oct.
&
6th Nov.

NEW VISION IAS ACADEMY

M-3, 1st Floor, Jaina Building, A-31-34, Beside Arya Gas Agency, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-9
Mob. : 09891147383, 09313458877, 09250914314

YH-10/08/14

कच्चा शहद छत्ते में भरा हुआ हल्का, ताज़ा तथा अधपका होता है। यह पित्त, कफ व वात को बढ़ाकर विष का काम करता है। जब शहद छत्ते में अच्छी तरह से पककर गाढ़ा हो जाता है तो वह पक्का व शुद्ध शहद कहलाता है। इस प्रकार का शहद अमृततुल्य होता है।

आज के इस मिलावटी युग में शुद्ध शहद पहचानना एक विकट समस्या है। यहां शहद की शुद्धता को परखने के कुछ नुस्खे दिए जा रहे हैं, जिनके आधार पर आप इसकी शुद्धता जांच सकते हैं।

शुद्ध शहद की पहचान

- शुद्ध शहद खाते ही ठंडक का अहसास होता है।
- यदि शुद्ध शहद व चूना को हथेली पर रगड़ा जाए तो असहनीय गर्मी होती है।
- शहद वाले बर्तन में कील से सुराख करके थाली या प्लेट में उस बर्तन को रख दें और बर्तन में शहद सांप की कुंडली (गेंड़ली) की शक्ल जैसी जमा होने लगे तो समझिए कि शहद शुद्ध है।
- पानी से भरे पारदर्शी बर्तन में शहद की बूंद डालने पर यदि बूंद ज्यों-का-त्यों बर्तन की तह तक पहुंच जाए तो शहद शुद्ध होगा। यदि वह पानी में घुलते हुए जाता है, तो अशुद्ध होगा।
- शुद्ध शहद तुरंत आग पकड़ लेता है।
- शुद्ध शहद में मक्खी पड़ जाए तो उसके जिस्म पर शहद एकदम नहीं चिपकेगा।
- शुद्ध शहद की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसे कुत्ते नहीं खाते हैं।
- शहद को आंख में लगाने पर यदि आंखों में जलन हो तो शुद्धता का, यदि कम जलन हो तो अशुद्धता का प्रतीक है।

सेवन विधि

शहद को बेहोशी, कमज़ोरी व दिल बैठने की अवस्था में गुनगुने पानी के साथ सेवन करने से तत्काल ऊर्जा प्राप्त होती है। डेनमार्क के लोग रोटी व मक्खन के साथ शहद को बड़े चाव से खाते हैं। स्विट्जरलैंड के लोग शक्कर की जगह शहद का प्रयोग करते हैं। नींद अच्छी आने व सुबह खुलकर शौच होने के लिये सोते समय ठंडे पानी में शहद मिलाकर सेवन करने से लाभ होगा। कई देशों में चाय में चीनी के स्थान पर शहद डालकर पीते हैं। शहद सभी मौसम में गुणकारी होता है। वर्षा ऋतु में माधवीलता का रस 10 मिली. व 10 ग्राम शहद को बरसाती पानी में मिलाकर दिन में एक बार सेवन करने से मकरध्वज जैसा लाभ प्राप्त होता है। ग्रीष्म ऋतु में शहद की थोड़ी कम मात्रा सेवन करनी चाहिए।

शहद को किसी अपक्व खाद्य में मिलाकर खाने से ज्यादा लाभ मिलता है। ताज़ा शुद्ध दूध, मक्खन, छाछ, क्रीम, मलाई, फलों के रस आदि के साथ शहद को मिलाकर सेवन करने से सेहत काफी अच्छी हो जाती है।

अमरीका के मैनेसोटा विश्वविद्यालय के कृषि विभाग के प्रोफेसर हेडक ने चार महीने तक प्रतिदिन केवल दूध, संतरे के रस व आधा किलोग्राम शहद खाकर बिताए और अत्यंत स्वस्थ रहे। इसी प्रकार से कप्तान जोह.डी. केरग (गहरे समुद्र में गोता लगाने के विशेषज्ञ) कई सालों तक नाश्ते में शहद व संतरे का रस लेते रहे और पूर्णतया स्वस्थ रहे।

शहद का सेवन कम मात्रा से शुरू करके इसकी मात्रा को धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिए। नौजवानों को प्रारंभ में 20 ग्राम शहद दो बार में व चार-पांच दिन बाद मात्रा बढ़ाकर 30 ग्राम, 10-10 ग्राम करके तीन बार में लेना चाहिए। इस प्रकार दिन में चार बार लेते हुए यह मात्रा एक बार में 30 ग्राम तक बढ़ाई जा सकती है। अभ्यस्त हो जाने पर शहद की यह मात्रा 400 ग्राम तक बढ़ाई जा सकती है। शहद नमी को सोखती है। इसीलिये शहद खाने के बाद प्यास लगती है।

मोटापा कम करने में भी उपयोगी

मोटे आदमी को दुबला होने के लिये खाली पेट शहद का सेवन करना चाहिए। लेकिन बच्चों को किसी भी दशा में खाली पेट शहद नहीं देना चाहिए।

दांत निकलते समय बच्चों की पाचनक्रिया ख़राब हो जाती है। इसके लिये सुहागा व शहद को मिलाकर दिन में कई बार मसूढ़ों पर मलना चाहिए। यदि मसूढ़ों में सूजन हो तो भी शहद लगाने से आराम मिलता है।

आजकल महिलाओं में उनकी दिनचर्या व मौसम में परिवर्तन के कारण मासिक धर्म कम जाने, खुलकर न आने या बिल्कुल न आने जैसी समस्या आम हो गई है। ऐसी रोगग्रसित महिलाओं को नित्य बकरी या गाय के धारोष्ण दूध या गुनगुने पानी या किसी फल के रस के साथ 10 ग्राम से धीरे-धीरे बढ़ाकर 40 ग्राम तक शहद मिलाकर सेवन करने से बहुत लाभ मिलेगा। जिन महिलाओं को मासिक धर्म के समय पीड़ा होती हो उन्हें मासिक स्राव प्रारंभ होने के एक सप्ताह पूर्व से ही दो ग्राम रेबंदी चीनी व 10 से 20 ग्राम शहद को मिलाकर प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। मासिक धर्म बंद होने की आयु के पूर्व अतिस्राव होने से घेघा की बीमारी, रक्त के रोग, ज्वर या गर्भाशयिक व्रण, गुर्दे की बीमारी जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे रोगों से छुटकारा मूल रोग (अतिस्राव) को दूर करके ही प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिये शहद व गूलर का रस मिलाकर पीने से लाभ होता है।

- जिन महिलाओं को संतानोत्पत्ति नहीं हो रही हो वे आधा लीटर पानी में 20 ग्राम असगंध (अश्वगंधा) डालकर उबालें और जब चौथाई भाग रह जाए तो उसे छानकर ठंडा कर लें। तत्पश्चात उसमें थोड़ा-सा शहद मिलाकर मासिक स्राव समाप्त होने के बाद नित्य शाम को दूसरे मासिक स्राव आने के एक दिन पूर्व तक पीएं तो लाभ होगा। इस प्रकार से इसका सेवन 6 से 12 माह तक करना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान इसका सेवन वर्जित है।
- प्रसव के बाद यदि कमज़ोरी का एहसास हो तो एक गिलास गुनगुने पानी में 20 ग्राम शहद मिलाकर पीने से कमज़ोरी दूर हो जाती है। शहद में विटामिन 'के' होने के कारण यह रक्तस्राव को रोकता है व टिटनेस आदि की आशंका को भी दूर करता है।

सावधानियां

- शहद को अधिक गर्म या अधिक ठंडे पानी के साथ सेवन नहीं करना चाहिए।
- शहद अम्लीय होता है। इसे गर्म दूध में मिलाने से दूध फट जाता है।
- मछली, मिश्री, खांड, गुड़, शक्कर, गरम औषधि, चिकनी चीजें, तेल, गरम वस्तु, समभाग घी, पके कटहल, मांस के साथ शहद का सेवन नहीं करना चाहिए।

प्राचीन काल में जब कृत्रिम मिठाइयां व सफेद चीनी नहीं हुआ करती थीं तब लोग शहद से ही मुंह मीठा करते थे। आयुर्वेद में शहद को योगवाही कहा जाता है क्योंकि इसका प्रभाव गरम के साथ इस्तेमाल करने पर गरम व ठंडे के साथ इस्तेमाल करने पर ठंडा होता है। शहद की हर बूंद स्फूर्ति, उत्साह, ताज़गी व शक्ति से भरी है। ❑

इतिहास

OPTIONAL Learning Programme

प्रारंभिक + मुख्य परीक्षा / मुख्य परीक्षा 2009-10

by

YD MISRA

Programme Highlights

- कालक्रमबद्ध पाठ्यक्रम
- विषय के विभिन्न खण्डों का गहन व विस्तृत विश्लेषण व सभी संभावित प्रश्नों पर सविस्तार चर्चा
- संक्षिप्त, सूक्ष्म, समयबद्ध एवं सटीक उत्तर लेखन प्रविधि पर बल
- मानचित्र संबंधित प्रश्न हेतु नवीन वैज्ञानिक रणनीति
- विगत वर्षों के प्रश्नों की विवेचना
- प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु वास्तविक संपरीक्षा योजना
- विषयवस्तुओं पर अध्ययन सामग्री का वितरण
- 25 प्रारंभिक टेस्ट सिरीज
- मुख्य परीक्षा हेतु मॉडल उत्तरों की प्रस्तुति।

बैच प्रारंभ **अक्टूबर 24** | नामांकन प्रारंभ **सितंबर 15**

Alternative Learning Systems (P) Ltd.

ALS Alternative Learning Systems

Corporate Office: B-19, ALS House, Commercial Complex, Dr Mukherjee Nagar, Delhi-9
Ph. 27651700, 27651110 • **South Delhi Centre :** 62/4, Ber Sarai, Delhi-16, Ph. 26861313
Mobile Nos. 9910600202, 9910602288, 9810312454, 9810269612

ALS ASSOCIATES interactions | YD MiSRA'S IAS | MiPS EDUCATION | WIZARD | ISGS

YH-10/08/21

समझें अपनी प्रकृति

● रमेश प्रसाद गुप्ता

किसी भी व्यक्ति की सफ़लता उसकी प्रकृति (स्वभाव) एवं क्षमता पर निर्भर करती है। यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रकृति एवं योग्यता के अनुसार अपनी आजीविका चुनता है तो वह जीवन में काफी सफ़ल साबित हो सकता है। क्योंकि कई बार एक व्यक्ति अपनी प्रकृति को ठीक से समझ नहीं पाता और वह एक ऐसे पेशे को चुन लेता है जो उसकी प्रकृति के बिल्कुल विपरीत होती है। नतीज़तन वह जीवनभर कुढ़ता रहता है और दतचित्त होकर पूरा कार्य नहीं कर पाता जिसके चलते अपेक्षित सफलता उसके हाथ नहीं लगती। मेरा एक मित्र है जो अंतर्मुखी स्वभाव का, शांत-संकोची युवक है। वह पढ़ने-लिखने में शुरू से ही अच्छा रहा और कविताएं आदि भी अक्सर लिखता-पढ़ता रहा। वह राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में साक्षात्कार तक पहुंचा भी लेकिन अंततः उसका चयन नहीं हुआ। एक दिन वह थक-हार कर एक प्रसिद्ध दवा कंपनी का विक्रय प्रतिनिधि (सेल्स रिप्रेजेंटेटिव) हो गया और कंपनी का बिक्री लक्ष्य पूरा करने के लिये खूब भाग-दौड़ करने लगा। परंतु सच पूछिए तो भीतर से उसका मन इस काम में नहीं लगता था। उसका मन क़िताबें पढ़ने में लगता है, कविता और पेंटिंग में लगता है, नयी-नयी कल्पनाओं को सिरजने में लगता है। डॉक्टर-केमिस्टों के द्वार-द्वार भटकना और चिरैती करना उसको अपने स्वभाव के विरुद्ध कार्य लगता है। किंतु जीविका-निर्वाह के लिये वह फिलहाल यह काम कर रहा है। यह कोई एक ही उदाहरण नहीं है हमारे समाज के होनहार युवकों का। इस तरह के असंख्य उदाहरण हमारे आसपास ही बिखरे पड़े हैं जिनसे हमारा रोज़ सामना होता है और हम यह सोचने को मज़बूर हैं कि आखिर इसका सही निदान कहां है।

यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे समाज में एक भेड़ चाल की परिपाटी विकसित हो गई है। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे समाज में अधिकांश अभिभावक अपने बच्चे की रुचि, प्रकृति और क्षमता को बिना जाने-समझे एक ही तरह की पेशागत पढ़ाई में उन्हें ठेल देते हैं। आज इक्कीसवीं सदी में रोज़गार की नयी-नयी संभावनाओं के बीच सही ज्ञान-सूचना एवं मानसिकता के अभाव के चलते अधिकांश मध्यवर्गीय अभिभावक अपने बच्चे को या तो इंजीनियर बनाना चाहते हैं या डॉक्टर और नहीं तो आईएएस। वह यह नहीं जानना चाहते कि बच्चे की रुचि, प्रकृति एवं स्वप्न क्या हैं। अधिकांश अभिभावक अपनी अतृप्त एवं दमित इच्छाओं एवं सपनों को अपने बच्चों पर थोपना चाहते हैं। नतीज़तन एक पूरी जवान होती पीढ़ी अपनी प्रकृति एवं स्वप्न के विरुद्ध ऐसे पेशागत पढ़ाई में फंसी पड़ी है कि न तो वह उसके साथ ठीक से न्याय कर पा रही है और न अपने साथ। और जो युवा बेरोज़गारी के दंश से मुक्ति पाने के लिये अपनी प्रकृति के विरुद्ध ऐसे पेशे में चले जा रहे हैं वे भी पूरी तरह उस पेशे में फिट नहीं हो पाते। हमारे समाज में ऐसे अनफिट युवाओं की एक पूरी पीढ़ी मौजूद है। वे भले ही यह कहकर कि, 'हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता' संतोष कर लें और अपने मन को मार लें, पर सच तो यह है कि उन्हें हमेशा यह लगता रहता है कि वे जो कुछ कर रहे हैं, वह उनकी रुचि और प्रकृति के अनुकूल नहीं है। इस कारण उन्हें ज़िंदगी में सफ़लता की जितनी सीढ़ियां चढ़नी होती है, उतनी चढ़ नहीं पाते यानी उन्हें जितना आगे जाना होता है, उतना आगे वे जा नहीं पाते।

अतः जीवन में पूर्णतः सफल होने के लिये सबसे पहले यह ज़रूरी है कि हर युवा अपनी प्रकृति एवं रुचि को पहचाने और उसी के अनुकूल पेशागत पढ़ाई का चुनाव करे। विशेष तौर पर अभिभावकों एवं शिक्षकों से मेरा अनुरोध है कि वे अपने बच्चे और छात्रों की रुचि, प्रकृति एवं क्षमता को पहचानें एवं उसको ध्यान में रखते हुए उसी के अनुरूप रोज़गार एवं पढ़ाई चुनने को प्रेरित करें। क्योंकि कुछ बच्चे अंतर्मुखी, स्थिर एवं कल्पनाशील स्वभाव के होते हैं तो कुछ बच्चे बहिर्मुखी, गतिशील स्वभाव के होते हैं जो प्रकृति अनुसार अलग-अलग सामाजिक जीवन की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इसीलिये किशोरों एवं युवाओं को पेशागत पढ़ाई में डालने से पहले अभिभावक, शिक्षक इस तथ्य को ध्यान में रखें तो उन्हें अपनी संतानों/छात्रों से निराशा नहीं होगी। इसके लिये वे अनुभवी विशेषज्ञों, मनोवैज्ञानिकों से सलाह ले सकते हैं। वैसे हमारे देश में अभी 'कैरियर-काउंसिलिंग' का क्षेत्र पर्याप्त रूप से विकसित नहीं है, फिर भी एक दिशानिर्देश तो उपलब्ध है ही। अनुभवी प्राध्यापकों, मनोवैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों से भी यह दिशानिर्देश मिल सकता है।

वस्तुतः सभी किशोर एवं युवा सबसे पहले अपनी प्रकृति को समझें तब उसके अनुकूल जीविका वृत्ति के क्षेत्र को चुनें। ऐसे में सफ़लता उनके कदम चूमेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। ❑

(लेखक रामदयालु सिंह महाविद्यालय मुजफ्फरपुर में हिंदी के प्रवक्ता हैं)

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अस्तित्व का आईना

● अनामिका

पुस्तक का नाम : भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया; **लेखक :** डॉ. देवव्रत सिंह; **प्रकाशक :** प्रभात प्रकाशन, दिल्ली; **मूल्य :** 350 रुपये; **प्रकाशन वर्ष :** 2007

आज संपूर्ण विश्व में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपनी स्थूल एवं सूक्ष्म परिकल्पनाओं, चुनौतियों से पूर्ण खोज और विश्वसनीयता के बल पर अपने अस्तित्व का डंका बजा रहा है। आज परिवर्तन के इस दौर में सरकारी दंड विधानों, अपराधियों के निशानों या मानहानि के मुक़दमों का सामना जितना मीडिया के लोगों ने किया, उतना शायद ही किसी अन्य विधा से संबद्ध लोगों को करना पड़ा होगा। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास भी उन महान संपादकों और पत्रकारों के संघर्षों एवं बलिदानों का साक्षी है जिन्होंने अपने अस्तित्व को संकट में डालकर लोक परंपरा एवं लोक समाज में जागरण की अलख जगाई थी। भारतीय पत्रकारिता में सृजन की संभावनाओं से जुड़ी उपलब्धियों को जिस उतार-चढ़ाव के साथ रेखांकित किया गया है वह मीडिया के लिये न केवल एक सुरक्षा कवच है अपितु उसकी विश्वनीयता को आगे बढ़ाने का प्रशस्त मार्ग भी है।

आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने समाज पर पड़ने वाले अनेक कुप्रभावों, अंधविश्वासों एवं सामाजिक बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंकने का बीड़ा उठाया है। किंतु कुछ चैनल ऐसे भी हैं जो सस्ती लोकप्रियता के लिये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया की साख पर बट्टा लगा देते हैं तथा असंवेदनशीलता की सारी सीमाओं को पार कर जाते हैं।

प्रस्तुत पुस्तक में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इतिहास को बहुत ही बारीक़ी एवं तथ्यपूर्ण ढंग से कलमबद्ध करने का कार्य किया गया है। पुस्तक का संपादन एवं प्रकाशन चूंकि माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के सहयोग से किया गया है, अतः इस पुस्तक की विश्वसनीयता के प्रति किसी भी प्रकार के संदेह की गुंजाइश नहीं रह जाती। पुस्तक में प्रिंट मीडिया के उद्भव एवं विकास को राष्ट्रीय परिस्थितियों के संदर्भ में रखकर समझाने एवं रेखांकित करने का प्रयास किया गया है। पुस्तक को लेखक ने नौ अध्यायों में विभक्त कर उसकी ऐतिहासिकता की विकास यात्रा को बहुत ही संजीदगी के साथ व्याख्यायित करने का योग्य प्रयास किया है। यह पुस्तक मीडिया की ऐसी पाठशाला है जिसमें सभी के लिये सूचनाप्रद एवं उपयोगी सामग्री मौजूद है।

पुस्तक का प्रथम अध्याय आकाशवाणी की अंतरंग विकास यात्रा के पहलुओं एवं उसमें निहित इतिहास की अवधारणाओं पर केंद्रित है। इस अध्याय में लेखक ने आकाशवाणी के ऐतिहासिक पलों, उसके प्रथम नियमित प्रसारण का चित्रण, तथ्यात्मक एवं रोचक ढंग से प्रस्तुत कर उसकी गहराई से पड़ताल की है। इस संबंध में लेखक ने बीबीसी के पहले महानिदेशक जॉन डिड के भारत में हुए रेडियो प्रसारण का उल्लेख कर पुस्तक की उपयोगिता में चार चांद लगा दिया है। लेखक ने भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत होने की ख़बर को *टाइम्स ऑफ इंडिया* समाचारपत्र के प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित करने को एक ऐतिहासिक घटना की संज्ञा दी है और उसे आज़ादी के आंदोलन का श्रीगणेश कहा है। पुस्तक का पहला अध्याय जहां अनेक चित्रों से भरपूर है वहीं दूसरी ओर उसके जननायकों के गौरवशाली इतिहास का चित्रण भी है। ऐतिहासिकता, विश्वसनीयता एवं यथार्थ के धरातल पर पुस्तक का प्रथम अध्याय रोचक एवं सूचनाप्रद सामग्री से भरपूर है।

दूसरा अध्याय निजी रेडियो चैनलों से जुड़ा हुआ है जिसमें आरंभ से लेकर अंत तक उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है। इस अध्याय में निजी चैनलों की विश्वसनीयता, उसमें छिपी अपार संभावनाओं को प्रस्तुत कर लेखक ने एक प्रशंसनीय कार्य किया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी भी चैनल का मेरूदंड होती है। यदि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अवहेलना होती है तो स्वाभाविक रूप से इन चैनलों की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लग जाता है। इस अध्याय में लेखक ने निजी चैनलों के इतिहास को न केवल रोचकता से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है बल्कि उसकी स्वाभाविक सृजनशीलता को अभिव्यक्ति देने में पूरी संजीदगी

दिखाई है। लेखक की पीड़ा यह है कि सरकार द्वारा निजी चैनलों को समाचार एवं समसामयिक गतिविधियों से जुड़े हुए कार्यक्रमों को प्रसारित करने की सैद्धांतिक अनुमति तो दी गई है, लेकिन फिर भी इसमें अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है।

लेखक ने इस पुस्तक में निजी चैनलों की कमियों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है। लेखक का मानना है कि निजी चैनलों में दो अर्थों वाले संवादों, फूहड़ चुटकुलों तथा अश्लील संवादों पर रोक लगाई जानी चाहिए ताकि भारतीय संस्कृति की मान-मर्यादा और पत्रकारिता की स्थापित परंपराओं को सुरक्षित रखा जा सके। लेखक ने निजी रेडियो चैनलों को एक क्रांति की संज्ञा से विभूषित किया है जिसमें जीवन की समग्र विचारधाराओं को अभिव्यक्त करने और उसमें निहित सूत्रों को पिरोने की पूरी क्षमता रहती है।

पुस्तक का तीसरा अध्याय विश्व में टेलीविजन के इतिहास को समेटे हुए है। इस अध्याय में संपूर्ण विश्व में टेलीविजन के माध्यम से वैश्विक स्तर पर राष्ट्र की अस्मिता और सामाजिक सरोकारों को जोड़ने की अपार संभावनाओं को तलाशने की कोशिश की गई है। लेखक ने विश्व में महत्वपूर्ण टीवी चैनलों, ब्रिटेन, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, चीन आदि की चर्चा करते हुए लिखा है कि "ऐतिहासिक दृष्टि से टीवी चैनलों का अपना अलग ही महत्व है। विश्व के सभी देशों के टीवी चैनलों ने समाज के प्रति अपनी जवाबदेही एवं प्रतिबद्धता और परंपरा को एक साथ मेल कराने की नयी तकनीक ही विकसित नहीं की अपितु उसने पत्रकारिता की दृष्टि से सामाजिक धरातल पर होने वाली घटनाओं को एक नयी दिशा भी दी है।"

पाश्चात्य मीडिया का कार्यक्रम और विषयवस्तु के संबंध में अपना एक अलग ही नज़रिया है। उनका एकमात्र उद्देश्य अपने देश की जीवनशैली में राष्ट्र की अस्मिता के प्रति प्रेम को दर्शाना तथा सांस्कृतिक स्तर पर उसे समृद्ध और मज़बूत करना है। विकसित और विकासशील देशों में मीडिया का अपना अलग अस्तित्व है। कुछ देश ऐसे भी हैं जहां बाहर के कार्यक्रम ख़रीद कर उसमें आवश्यक संशोधन कर प्रसारण किया जाता है। इन प्रसारणों से किसी भी समाज का भला नहीं होता। अपितु सांस्कृतिक बिखराव की संभावना बनी रहती है।

पुस्तक का चौथा अध्याय टेलीविजन में प्रसारित होने वाले धारावाहिकों के इतिहास को केंद्र में रख कर लिखा गया है। लेखक का मानना है कि किसी भी टेलीविजन में प्रसारित होने वाले धारावाहिकों से उस देश की संस्कृति, रीति-रिवाज़, रहन-सहन एवं सामाजिक गतिविधियों को समझने में आसानी होती है। ये धारावाहिक न केवल दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करते हैं अपितु वे विभिन्न विषयों पर स्पष्ट विचारों को भी दर्शकों के साथ बांटते हैं। किसी भी देश का टेलीविजन समाज के लिये एक धारदार औज़ार के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेखक का यह भी दृष्टिकोण है कि केवल सूचनापरक संदेश देने वाले कार्यक्रमों के प्रसारण से ही काम नहीं चलेगा अपितु उसमें ऐसे संदेशों को भी जोड़ना पड़ेगा जो न केवल समाज के लिये हितकारी हों बल्कि उनमें जीवन पद्धति को साथ जोड़ने की अपार क्षमता भी हो। भारत में 'हमलोग' और 'बुनियाद' जैसे धारावाहिकों के प्रसारण से धारावाहिकों के इतिहास को न केवल नयी ऊंचाइयां मिलीं अपितु उसमें अभिव्यक्त ज़िंदगी के कथानकों को निकट से देखने का एक नया संबल भी मिला। इन दोनों धारावाहिकों में निम्न एवं मध्यमवर्गीय परिवार के बारे में, उनके जीवन में होने वाली रोज़मर्रा की घटनाओं को, समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, माफिया की समस्याओं तथा परिवार नियोजन जैसे संवेदनशील मुद्दों को बहुत ही बारीक़ी के साथ उठाया गया है। यह दोनों ही धारावाहिक ऐसे हैं जो आम आदमी की ज़िंदगी की सच्चाई के साथ जुड़े हुए हैं। इस प्रकार अनेक ऐसे धारावाहिक भी प्रसारित हुए हैं जिन्होंने लोकजीवन से जुड़ी हुई अपनी परंपरा को न केवल आत्मसात किया है बल्कि जनजीवन की समस्याओं को रोचक अभिव्यक्ति के सहारे एक नयी दिशा देने का भी प्रयास किया है।

पुस्तक का पांचवां अध्याय दूरदर्शन की विकास यात्रा के अंतर्संबंधों को स्थापित करने पर केंद्रित है। इस अध्याय में लेखक ने 1959 से 1974 के काल को टेलीविजन के इतिहास का 'रेनसां' का काल माना है। इस काल में कुछ तो ऐसे प्रयोग किए गए जो भारतीयता की तलाश पर केंद्रित किए गए और कुछ ऐसे प्रयोग किए गए जिसमें कार्यक्रम निर्माण प्रक्रिया की एक नये तरीक़े से व्याख्या कर संवेदनशील समस्याओं को बढ़ावा दिया गया। दूरदर्शन के लिये कुछ समय तो ऐसे चुनौतीपूर्ण थे जिसमें निजी चैनलों की बाढ़ के कारण उनके व्यवसाय में अनेक प्रकार की ख़ामियां आनी शुरू हो गईं और इन ख़ामियों के कारण उनकी विश्वसनीयता पर आंच आना स्वाभाविक था। स्वायत्तता के सफ़र ने टेलीविजन के इतिहास को न केवल अधिक जागरूक, संवेदनशील तथा लोकप्रिय बनाया बल्कि उसमें विज्ञापन, रंगीन प्रसारण और क्षेत्रीय उपग्रहों के माध्यम से शैक्षिक स्तर पर उनके द्वारा प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को एक नयी राह दिखाने में सफ़लता प्राप्त की।

पुस्तक के अंतिम तीन अध्याय निजी टीवी चैनलों की यात्रा को समेटे हुए हैं जिसमें बड़े-बड़े उद्योगपतियों ने अपने-अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिये स्टार चैनलों की बाढ़-सी ला दी है। आम आदमी ने जीवन में निजी चैनलों की घुसपैठ को न केवल नकारा है अपितु समय-समय पर उसके विरुद्ध आवाज़ भी बुलंद की है। आम आदमी की आवाज़ ने न केवल निजी चैनलों को अपने कार्यक्रमों में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिये विवश किया बल्कि समाज और देश के हित में कार्यक्रमों को स्थापित करने की मुहिम चलाने की सीख भी दी है।

कुल मिलाकर भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ी यह पुस्तक न केवल एक दस्तावेज़ है अपितु उसके इतिहास की आधुनिक व्याख्या करने वाली उपयोगी एवं महत्वपूर्ण कृति भी है। इस पुस्तक में लेखक ने जहां एक ओर आधुनिक और प्राचीन मीडिया के अंतर्संबंधों को एक साथ स्थापित करने का प्रयास किया है वहीं दूसरी ओर बदलते हुए औद्योगिक युग में मीडिया की भूमिका को सुनिश्चित करने की कोशिश भी है। लेखक का यह प्रयास उसकी कर्म साधना और कठोर परिश्रम का परिचायक है जिसने इतने कम समय में और कम शब्दों में गागर में सागर भरने का एक दुस्साहसभरा कार्य किया है।

लेखक ने आज के संवाददाताओं, रिपोर्टरों, उद्घोषकों के लिये एक नयी सीख की वक़ालत की है जिसमें यह बताया गया है कि वह मीडिया के माध्यम से सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रमों को, नैतिकता के संदेशों को भी अपने-अपने चैनलों में स्थान दें।

यह पुस्तक एक ओर जहां मीडिया के साथ भारतीय जीवन पद्धति को जोड़ने का सशक्त माध्यम बनती है वहीं दूसरी ओर भविष्य में मीडिया के साथ जुड़ने वाले युवकों के लिये एक सूचनाप्रद एवं उपयोगी पुस्तक साबित होती है। पुस्तक की भाषा, शैली एवं छपाई आकर्षक एवं आमजन की समझ में आने वाली है। मुद्रण की अशुद्धियां नहीं के बराबर हैं। भाषा पर लेखक का पूरा अधिकार है। ❑

योजना

का

नवंबर 2008

अंक

बाल अधिकार पर केंद्रित

- अपने समाज से सर्वोत्तम देखरेख और सहूलियतें हासिल करना प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। प्रत्येक बच्चे का विकास ऐसे परिवेश में होना चाहिए जहां उसे गरिमा और आजादी के साथ शिक्षा व स्वास्थ्य के समुचित अवसर मिलें ताकि वह समर्थ नागरिक के रूप में विकास कर सके।
- नवंबर अंक में हम बच्चों के सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने वाले अधिकारों व जरूरियातों पर गौरतलब सामग्री प्रस्तुत करेंगे। कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

IAS/PCS - 2009-10
Eng./ हिन्दी Medium

समाजशास्त्र का विशेषज्ञ संस्थान

नया पाठ्यक्रम - नई चुनौतियाँ - प्रत्युत्तर सिर्फ एक

धर्मेन्द्र

समाज शास्त्र

समाजशास्त्र की विशेषता-

★ छोटा पाठ्यक्रम
★ किसी पृष्ठभूमि की आवश्यकता नहीं।
★ दिन-प्रतिदिन की घटनाओं से संबंधित, अतः रूचिकर।
★ 830-अंकों का योगदान (600-वैकल्पिक विषय, 200-निबंध तथा 30-सा0 मुद्दे)
★ मात्र तीन महिने में कोर्स पूरा।
★ चयनित अध्ययन की अपार संभावनाएँ।

निःशुल्क कार्यशाला
नवंबर प्रथम सप्ताह
नामांकन प्रारम्भ

संस्था की रणनीतिः

- अध्यापन की शुरूआत मूल अवधारणाओं के साथ-जिसमें गैर-समाजशास्त्रीय पृष्ठभूमि के अभ्यर्थी सहजता प्राप्त करें।
- संपूर्ण, संबंधित तथा अद्यतन पठन सामग्री
- राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों का विश्लेषण।
- ईकनॉमिक एवं पॉलिटिकल वीकली, योजना एवं अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं से समृद्ध क्लास नोट्स।
- गहन उत्तर लेखन अभ्यास।
- नवीनतम समाज शास्त्रीय अध्ययन,विवेचना के साथ

Dharmendra's SOCIOLOGY
302, A-12-13, Top Floor, Ansal Building, Mulherjee Nagar, Delhi-9
Ph.: 011-65152590, Cell 9811115930

YH-10/08/13

डा. अन्बुमणि रामदास
माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री

आपके द्वारा किए गए नेत्रदान से दो दृष्टिविहीन व्यक्तियों को दृष्टि मिल जाती है

श्रीमति पानाबाका लक्ष्मी
माननीया केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री

23वाँ राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा
25 अगस्त से 8 सितम्बर, 2008

- कार्नियल दृष्टिविहीनता ने हमारे देश के लगभग बीस लाख लोगों को प्रभावित किया है और यह प्रतिदिन बढ़ रहा है।
- हम कोर्निया की कुल आवश्यकता के केवल एक तिहाई हिस्से को ही पूरा कर पाते हैं।
- नेत्रदान को अपने परिवार की परंपरा बनाएँ।

आइयें आप भी
नेत्रदान अभियान
में शामिल हों

नेत्रदान के लिए 1919 डायल करें (24 घंटे एम टी एन एल की टोल फ्री सेवा)

राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता नियंत्रण कार्यक्रम, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110108.

davp 17138/13/0010/0809

YH-10/08/07

प्रकाशक व मुद्रक वीना जैन, अपर महानिदेशक द्वारा प्रकाशन विभाग के लिये ब्रजबासी आर्ट प्रेस लिमिटेड, ई-46/11, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस-2, नयी दिल्ली-110 020 से मुद्रित एवं प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110 003 से प्रकाशित। संपादक : राकेशरेणु

Licenced under U (DN)-53/2006-08
रजि.सं.डीएल (एस)-05/3231/2006-8 तथा डाक व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक में डालने के लिए लाइसेंस-प्राप्त पंजी सं. 951/57
Reg. No. D.L.(S)-05/3231/2006-08 Licenced to post without pre-payment at RMS, R.N.951/57

क्या आप

बैंक प्रोबेशनरी ऑफीसर्स

पिछले वर्षों के हल प्रश्न-पत्रों सहित

Code 1168
मूल्य : 260/-

परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, तो पढ़िए...

उपकार की पुस्तकें

योग्य एवं अनुभवी लेखकों द्वारा लिखित पुस्तकें जो आपको महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी विषय-वस्तु उपलब्ध कराने के साथ-साथ परीक्षा में आपका उचित मार्गदर्शन भी करेंगी.

Code 1152
मूल्य : 275/-

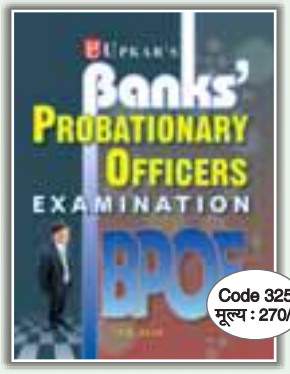

Code 325
मूल्य : 270/-

Code 20
मूल्य : 345/-

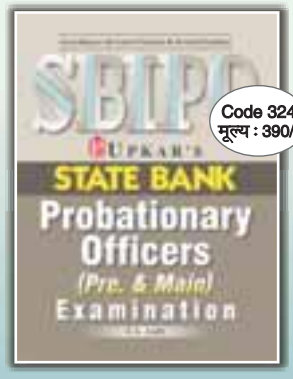

Code 324
मूल्य : 390/-

Code 671
मूल्य : 135/-

Code 1383
मूल्य : 62/-

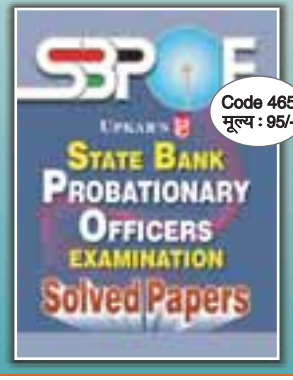

Code 465
मूल्य : 95/-

उपकार प्रकाशन
(An ISO 9001:2000 Company)
2/11 ए, स्वदेशी बीमा नगर, आगरा-282 002 फोन : 2531101, 2530966, 3208693; फैक्स : (0562) 4031570
• E-mail : publisher@upkar.in • Website : www.upkar.in
ब्रांच ऑफिस : 4840/24, गोविन्द लेन, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-2, फोन : 23251844/66

YH-10/08/1